



जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक JAMMU AND KASHMIR GRAMEEN BANK

Scheduled Bank Owned by Government

1st

ANNUAL REPORT

2025-2026



Inclusive
Banking



Sustainable
Growth



Trust &
Transparency



Stronger
Tomorrow





Hon'ble Union Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman handing over sanction letters to Mr. Sanjay Gupta, Chairman, Jammu and Kashmir Grameen Bank for Credit linkage of 500 JLGs in UT of Ladakh during Credit Outreach Programme held at Leh on 15.06.2025".

PMSBY death claim of Rs 2.00 Lac handed over to the nominee of the deceased customer by Mr. Chandrashekhar Azad, Regional Director RBI-Jammu in a Digital and financial literacy camp organised at village Jaswan, Jammu.



Mr. Vikas Mittal GM/OIC NABARD, RO JAMMU, Launching e-Calendar of Jammu and Kashmir Grameen Bank for the year 2026 at JKGB, Head Office, Narwal, Jammu



1st Annual Report 2025-26

With Best Compliments from :-

MR. SANJAY GUPTA

Chairman

Jammu and Kashmir Grameen Bank

Head Office : Narwal, Jammu (J&K)



CONTENTS

1. Board of Directors
2. Management Team
3. Performances of the Bank at a Glance
4. Director's Report
5. Auditor's Report
6. Balance Sheet
7. Profit and Loss Account
8. Schedules
9. List of Branches



BOARD OF DIRECTOR



Mr. A. K. Thakur
 Director, Govt. of India,
 Ministry of Finance



Mr. Ashutosh Sareen
 Chief General Manager,
 Jammu & Kashmir Bank
 (Sponsor Bank)



Mr. Sunit Kumar
 Chief General Manager,
 Jammu & Kashmir Bank
 (Sponsor Bank)



Mr. Sanjay Gupta
 Chairman
 Jammu and Kashmir
 Grameen Bank



Mr. Shubhabrata Ghosh Maulik
 General Manager,
 RBI Rail Head Complex
 Jammu-180012



Ms. Urmil Lata
 Deputy General Manager,
 NABARD, Near Saraswati Dham
 Railway Station, Jammu



Mr. Vikramjit Singh (IPS)
 Commissioner/Secretary to the
 Government, Industries and
 Commerce Department
 Finance Department, J&K



Mr. Subash Chander Chhibber
 JKAS, Special Secretary to the
 Government, General
 Administrative Department, J&K

MANAGEMENT TEAM



Mr. Sanjay Gupta
Chairman



Mr. Raja Sajad Hussain Khan
General Manager,
Kashmir



Mr. Sachin Gupta
General Manager,
Head Office Jammu



Mr. Sajad Wani
General Manager,
IT



Mr. Sanjeev Kumar
Chief of Audit,
Inspection & Vigilance Department

FROM CHAIRMAN'S DESK...

"Strong institutions are not defined by the absence of challenges, but by their ability to rise above them. The first year of Jammu and Kashmir Grameen Bank has been a journey of unification and resilience - a journey made possible by the trust of our customers, the dedication of our employees, and the unwavering support of our stakeholders."

It gives me immense pleasure to present the First Annual Report of Jammu and Kashmir Grameen Bank for FY 2025–26.

The year marked a defining chapter in our journey as a unified institution. Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, issued by the Department of Financial Services, Government of India, the amalgamation of J&K Grameen Bank (JKGB) and Ellaquai Dehati Bank (EDB) was approved under Phase IV of the "One State One RRB" initiative.

Consequently, the newly formed Regional Rural Bank, Jammu and Kashmir Grameen Bank, with its Head Office at Jammu and sponsored by J&K Bank Ltd., commenced its operations on May 1, 2025. The Bank began its journey with the responsibility of integrating systems, processes, people, and cultures while ensuring uninterrupted and seamless banking services to customers across Jammu & Kashmir and Ladakh.

Despite the challenges associated with amalgamation, the Bank successfully achieved all key milestones prescribed under NABARD's SOPs, successfully completing key milestones such as CBS unification on 15.09.2025, followed by HR integration, and the IS/Migration Audit on 26.12.2025.

Operational Footprint

Today, Jammu and Kashmir Grameen Bank serves rural communities through a network of 330 branches and extension counters, supported by 453 Business Correspondents and a dedicated workforce of 1,424 employees. The Bank serves over 20.82 lakh deposit account holders and 2.69 lakh loan account holders, and continues to expand its reach through a robust digital ecosystem.

Strong Foundations, Steady Progress

FY 2025–26 was a defining year for the Bank. Amalgamating two institutions with different financial positions, systems, processes, and work cultures while ensuring uninterrupted customer service was a significant undertaking. Through the collective efforts of our employees and the guidance of our stakeholders, the Bank successfully adhered to all milestones prescribed under NABARD's amalgamation roadmap, including CBS unification, HR integration, and the Information Systems and Migration Audit well ahead of the regulatory timeline.

Despite the complexities of amalgamation, the Bank continued to strengthen its business fundamentals and maintain growth momentum.

Our aggregate business reached ₹13,799.51 Crores as on 31st March 2026, registering a growth of ₹1,192.92 Crores over the opening balance of the amalgamated entity. This growth reflects the resilience of our institution, the trust of our customers, and the commitment of our employees.

Total Deposits grew by ₹ 655.55 Crores (8.53%) to ₹ 8,341.71 Crores, while Advances increased by ₹ 537.37 Crores (10.92%) to ₹ 5,457.80 Crores. During the year, the Bank disbursed fresh credit amounting to ₹ 2,969 Crores, supporting economic activity and livelihoods across our area of operation.

Our Priority Sector lending remained strong at ₹4,174.54 Crores, constituting 76.49% of total advances, while Agricultural Advances stood at 28.18% of total advances. The Credit-Deposit Ratio improved to 65.43%, and Net Interest Margin remained healthy at 3.24%.

Asset Quality and NPA Management

Prudent credit management remains at the core of our operations. The Gross NPA ratio improved from 4.94% (April 2025) to 4.83% as on 31st March 2026, while Net NPA stood at 1.91% .

Our focussed NPA recovery strategies encompassing the JKGB Special OTS Scheme 2025-26 (Settle Today Else Regret Tomorrow & Annadata OTS Offer - Easy Settlement for Farmers), Operation Thunder Campaign, SARFAESI actions, and dedicated Recovery Teams at HO and Regional Offices has yielded meaningful progress in reducing stressed assets while maintaining strong borrower relationships.

Operational Reforms and Excellence

FY 2025–26 was also a year of transformative reforms. One of the most significant achievements of the year was the successful completion of IT integration within the timeline prescribed by the Department of Financial Services (DFS), Government of India. This complex exercise involved the seamless integration of Core Banking Systems, digital channels, and other critical applications onto a unified platform. Bank also rolled out the e-Office application for a paperless workplace, deployed an AI-based Mobile Attendance System, migrated to a modern Webmail interface, and implemented Phase I of Continuous Clearing in compliance with the regulatory guidelines.

In digital banking, Bank introduced Pay Nest for educational fee collection, the Soundbox (Boombox X1) device for POS merchants, launched the 1600-series customer communication number, migrated to the secure “.bank.in” domain, and introduced the Beneficiary Account Name Look-Up (BANL) facility to combat fraudulent transfers. Our Digital Scorecard now tracks branch performance across all digital channels.

Financial inclusion continued to remain at the heart of our mission. During the year, the Bank conducted 5,887 Financial Literacy Camps, reaching over 1.40 lakh citizens across Jammu & Kashmir and Ladakh and helping spread awareness about banking, savings, digital payments, and financial security. We also financed 1,552 Joint Liability Groups, extending credit access to underserved sections of society, while continuing to support more than 5 lakh PMJDY account holders and earned ₹69.36 Lakhs in total commission through social security and digital services.

These efforts reflect our commitment to ensuring that banking services reach every segment of the rural population. These efforts reaffirm our commitment to ensuring that the benefits of formal banking reach every segment of the rural population

The Road Ahead

As we move forward, our focus in the coming years will be anchored on five strategic pillars:

Strengthening Deposit Mobilization

Accelerating Credit Growth in Priority and Agriculture Sectors

Deepening Digital Adoption at the Grassroots

Further Improving Asset Quality

Investing in Our People.

I express my sincere gratitude to the DFS, GOI, Government of the UT of Jammu & Kashmir, Reserve Bank of India, NABARD, J&K Bank Ltd (Our Sponsor Bank), our Board of Directors, Statutory Auditors, customers, and employees for their continued support and confidence.

At Jammu and Kashmir Grameen Bank, we recognise that our role extends beyond banking. We are partners in the aspirations of farmers, entrepreneurs, self-help groups, and rural families who look to us for opportunity and progress. As we begin this new chapter as a unified institution, we remain committed to earning their trust every day and contributing meaningfully to the development of the regions we serve.

The first year has demonstrated what we can achieve together. The years ahead will define what we can become.

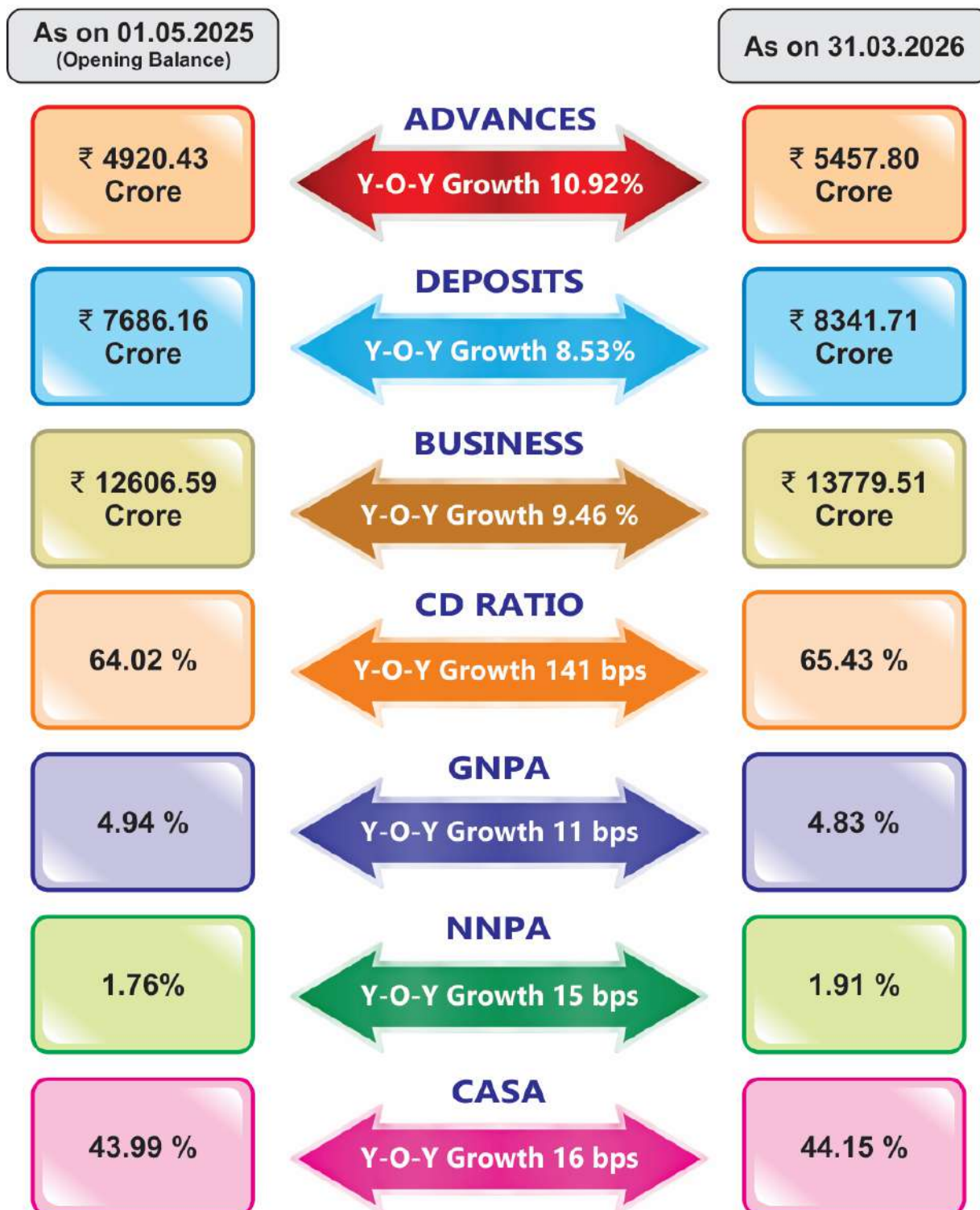
Sanjay Gupta

Chairman

Jammu and Kashmir Grameen Bank

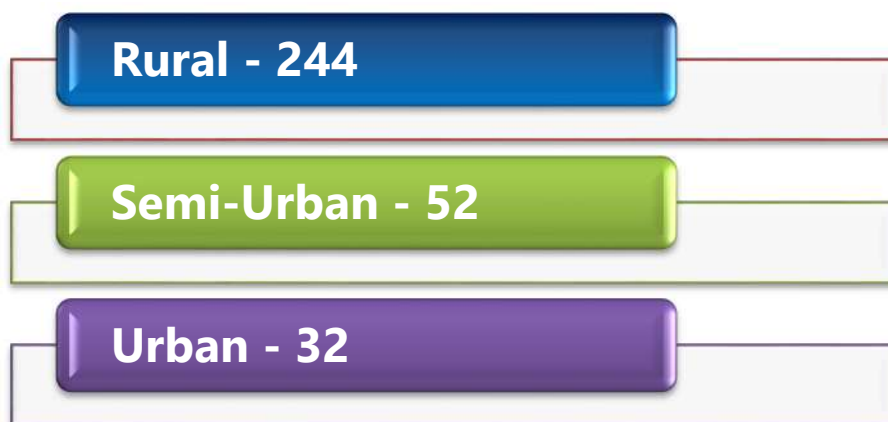
Head Office : Narwal, Jammu

Jammu and Kashmir Grameen Bank at a GLANCE



BRIEF PROFILE OF THE BANK

- Jammu and Kashmir Grameen Bank came into existence on 1st May, 2025, with the issuance of statutory notification by GOI, MOF, Department of Financial services under sub section (i) of Section 23 A of the RRB Act 1976 giving effect to amalgamation of two Regional Rural Banks, viz J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehatti Bank, into a single RRB under the name of **"Jammu and Kashmir Grameen Bank"** with its Head Office at Jammu and has commenced business w.e.f 01.05.2025.
- The operational area of the bank covers Twenty (20) Districts in the UT of J&K & two (2) districts in the UT of Ladakh which includes 324 branches in UT of J&K and 4 in UT of Ladakh. The focus of the bank is to make the banking services accessible to the general masses across both the UTs. The area wise breakup of branch network as on 31.03.2026 is as under :-



Jammu and Kashmir Grameen Bank Branches across UT of J&K and Ladakh

- The bank was established primarily to strengthen availability of basic banking facilities in the remote rural areas, mobilize savings from rural masses that were not adequately served by Commercial Banks, provide credit facilities especially those below poverty line enabling them to carry out the economic activities under agriculture, cottage and small industries, retail trade, dairy and other allied activities etc. in the process pushing the growth of the rural economy, ultimately leading to prosperity and employment generation.

CREDIT DISTRIBUTION(O/S) as on 31-3-2026

Activity	No of A/Cs	Amt. (In Cr.)
KCC/Crop Loan	151042	1388.76
Other Term Loan for Agriculture & Allied Activities	9886	149.23
MSME	45185	1162.40
Retail Trade	27617	1018.56
Education	402	14.90
Housing	5097	437.49
Other P/S	700	3.20
Total Priority Sector	239929	4174.54
Non-Priority Sector	29246	1283.26
Total	269175	5457.80

Disbursement during the period 01.05.25 to 31.03.26
(Amount in Cr.)



KEY FINANCIAL INDICATORS

(Amount in '000')

S. No.	Particulars	As on 31-03-2026
1.	No. of Districts covered	22
2.	No. of Branches	328
	a) Rural	244
	b) Semi-Urban	52
	c) Urban	32
3.	a) Staff Strength of JKGB	1414
	b) On deputation from Sponsor Bank	10
	c) Total Staff Strength	1424
	d) of which Officers (JKGB)	937
4.	Deposits	83417117
	Growth %	8.53%
5.	Borrowings outstanding (NABARD)	8878645
	Growth %	13.66%
6.	Gross Loans & Advances Outstanding	54577956
	Growth % (wef 01.05.2025)	10.92%
	Of 6 above, loans to Priority Sector	41745402
	Of 6 above, loans to Non- Priority	12832554
7.	C D Ratio	65.43%
8.	Investment Outstanding	16568390
	Growth % (wef 01.05.2025)	-1.12%
	SLR investment Outstanding	16568390
	Non- SLR Investment Outstanding	-
9.	Average Deposits	78734849
10.	Average Borrowings	8016489
11.	Average Gross Loans & Advances	50528489
12.	Average Investment (including FDs)	36738806
13.	Average Working Fund	92038169

LOANS ISSUED DURING THE YEAR :	
14. Loans issued during the year 1.5.25 to 31.03.2026	29689963
Growth %	
Of 14 above, loans to Priority Sector	24270228
Of 14 above, loans to Non- Priority	5419735
15. a) Business Per Branch	420717
b) Business Per Employee	96907
RECOVERY PERFORMANCE	
Bank prepare the position of Demand Collection and overdue for the period 01.07.24 to 30.06.2025 The amalgamated entity formed on 01.05.2025. The combined position of Demand, Collection and Overdue of the Two amalgamated RRB's on 30.06.2025 is as under :-	
16. Total Demand	37611943
17. Recovery	27320143
18. Overdue	10291800
19. Recovery % (June Position)	72.64%
FARM SECTOR	
20. Demand	18368677
21. Recovery	13598948
22. Overdue	4769729
23. Recovery % (June Position)	74.03%
NON FARM SECTOR	
24. Demand	19243266
25. Recovery	13721195
26. Overdue	5522071
27. Recovery % (June Position)	71.30%
ASSET CLASSIFICATION	
28. a) Standard	51943489
b) Sub-Standard	611184

c) Doubtful	1789770
d) Loss	233513
TOTAL	54577956
29. Std. Assets as % Gross Loans & Adv. O/S	95.17%
PROFITABILITY ANALYSIS	
30. Interest paid on	
a) Deposits	3618080
b) Borrowings	498742
31. Salary	2005067
32. Other operating expenses	821410
PROVISIONS MADE	
33. a) Against NPAs	235615
b) COVID-19 Provisioning against standard assets	-
c) Against Adhoc wage revision	18231
d) Against pension provision	246200
e) Other Provisions	29395
34. Interest received on	
a) Loans and Advances	4292079
b) SLR/Non SLR /FDR Investments	2560383
35. Miscellaneous Income	336785
36. Net Profit/Loss before Taxes	-283493
37. Tax Expenses (including DTA)	--
38. Net Profit/Loss	-283493
OTHER INFORMATION	
39. Paid up Capital	9883517
40. Share Capital Deposit	--

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT 2025-26

1. Performance at a glance :-

- The aggregate Business of the Bank reached another height and stood at **₹13799.51** Crores as on 31st March, 2026 registering an increase of **₹1192.92** Crores as compared to 12606.59 on 30th April, 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank).
- The total deposits of the Bank have grown by **₹655.55** Crores from **₹7686.16** Crores as on 30th April 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank) to **₹8341.71** Crores as on 31st March 2026, registering a growth of **8.53%**.
- Cost of Deposits for the period from 01-05-2025 to 31-03-2026 stood at 5.01%.
- The advances of the Bank increased by **₹537.37** Crores from **₹4920.43** Crores as on 30-04-2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank) to **₹5457.80** Crores as on 31-03-2026 registering a growth of 10.92%.
- Yield on advances for the period from 01-05-2025 to 31-03-2026 stood at **9.27%**.
- Priority Sector advances stood at **₹4174.54** Crores, as on 31st March, 2026 constituting 76.49 % of the total advances.
- The percentage of agricultural advances to total advances stood at 28.18% well above the prescribed norms.
- The Credit Deposit Ratio of the Bank has increased from 64.02% as on 30-04-2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank) to 65.43% as on 31-03-2026, registering a growth of 141 basis points (BPS).
- CASA percentage of Bank stood at **44.15 % as on 31.03.2026.**
- The Net NPA of the bank stood at **₹100.97 Crores** as on 31st March, 2026 compared to **₹83.68** crores as on 30th April, 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank). The Net NPA percentage to the Net Advances stood at 1.91% as on 31st March 2026
- The Gross NPA of the bank stood at **₹263.45 Crores** as on 31-03-2026 as compared to **₹243.30 Crores** as on 30th April, 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank). Gross NPA percentage of the bank reduced to **4.83%** as on 31st March, 2026 from **4.94%** as on 30th April, 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank).
- The Provisioning Covering Ratio (PCR) of the Bank stood at 68.23% as on 31st March, 2026 compared to 70.94% as on 30th April, 2025 (Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank).
- Credit disbursement to the tune of **₹2969** Crores were recorded during the period from 01-05-2025 to 31-03-2026.

- Net Interest Margin of Bank as on 31-03-2026 stood at 3.24%.
- ***CRAR of the bank stood at 3.66% as on 31st March, 2026 as compared to 4.45% as on 30th April, 2025.***

2. Share Capital :-

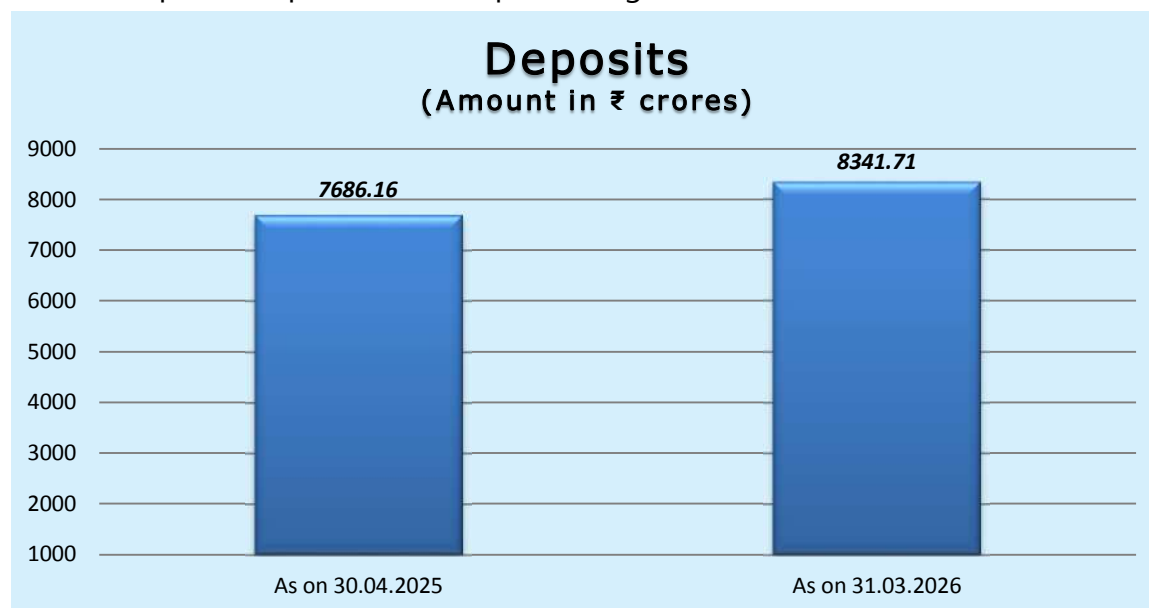
- The Authorized Capital of the bank as on 31st March 2026 is ₹2000 Crores (200 crores shares of ₹10 each).
- The Paid up Share Capital of the bank is ₹ 988.35 Crores (988351700 shares of ₹10 each). The breakup of paid up Share Capital as on 31st March 2026 is as under:

(Amount in Crores)

Particulars	Share of Government of India (50%)	Share of Government of U.T of J&K (15%)	Share of J&K Bank (Sponsor Bank) (35%)	Total
Paid up Share Capital	₹ 494.18	₹ 148.25	₹ 345.92	₹ 988.35

3. Deposits :-

The total deposits of the Bank have grown by ₹655.55 Crores from ₹7686.16 Crores as on 30th April 2025(Opening Balance of Newly amalgamated Jammu and Kashmir Grameen Bank) to ₹ 8341.71 Crores as on 31st March 2026; registering a growth of 8.53%. The comparative position of deposits is given below:



- As on 31st March, 2026, the CASA deposit stood at **44.15%** of the total deposit. The total number of deposit accounts stood at **2082884** as on 31-03-2026 and the average deposits per branch stood at **₹25.43** crores.

New Initiatives :-

Revision in relaxations for Variants of Saving & Current accounts:

During FY-2025-26, keeping into consideration the present market competition and to make our bank's product most lucrative in the banking industry, various attractive changes vis-a-vis **waiver in LOCKER/ QR/ POS charges, no cash deposit charges, slashed minimum balance requirements**, and many others, have been made in the offerings which our bank is providing under the said variants.

Introduction of Pay Nest for Educational Institutions:

The Bank has introduced "**Pay Nest**" a digital platform for online fee collection and payment for educational institutions. The initiative aims to digitize fee collection for education institutions, improve customer convenience, and boost deposits through wider institutional onboarding.

Offering additional rate of interest to Super Senior Citizen:

The Bank has introduced an additional interest rate for "**Super Senior Citizens**" (resident individuals aged 80 years and above). Under this initiative, Super Senior Citizens including Super Senior Citizen Staff will be offered additional interest up to 0.25% (decided by ALCO) per annum over and above the rates applicable to senior citizens/ senior citizen staff on Term deposits only of less than ₹5 crores. This measure is aimed at attracting and retaining the deposits within the super senior segment, thereby supporting overall deposit growth.

4. Borrowings/Refinance/Loans :-

The bank availed need based refinance/ borrowings from NABARD/ Sponsor Bank during the year to augment its resources and to leverage the benefits of refinance facility from NABARD by focusing on enhancing the lending under agriculture sector. The repayment of the refinance availed from NABARD was regular, prompt and within the due dates according to their repayment schedule/s. The position of refinance/ borrowings sanctioned, availed and repaid during the year is as under:

(Amount in 000's)						
Sr. No.	Particulars	Outstanding balance as on 30-04-2025 (Opening Balance of Jammu and Kashmir Grameen Bank)	Funds Sanctioned during 01-05-2025 to 31-03-2026	Funds availed during 01-05-2025 to 31-03-2026	Repayment during 01-05-2025 to 31-03-2026	Outstanding balance as on 31-03-2026
A	NABARD	7811750	7823600	7823600	7756705	8878645
B	Sponsor Bank	467769	1560000	1060100	1060100	157770
C	NSFDC	3787	0	0	1683	2104
	Total A+B+C	8283306	9383600	8883700	8818488	9038519

5. DICGC Claims :-

The Bank is regularly paying premium to DICGC on its due date in respect of deposit insurance.

6. Cash and Balance with Banks :-

The bank has fixed cash retention limit for each branch based on volume and business mix. The cash retention limits are reviewed periodically. The details of cash held by the bank and also the average cash balance maintained as on 31-03-2026 is furnished as under:

(Amount in 000's)	
Particulars	
Cash-in-Hand (as on 31-03-2026)	₹ 90375
Average Cash during the year (01-05-2025 to 31-03-2026)	₹118426
Average cash as % to average deposits (01-05-2025 to 31-03-2026)	0.15

Balances held by the Bank in Current Account with RBI and other Banks including J&K Bank and interest earned thereupon for the financial year 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026) is given below:

(Amount in 000's)	
Particulars	As on 31-03-2026
Balance in Current Account with RBI	₹2489695
Balances in Current Account with commercial Banks including Sponsor Bank	₹87621
Balances in Term Deposits with other commercial Banks including Sponsor Bank	₹22243575
Interest earned on Term Deposits etc. (01-05-2025 to 31-03-2026)	₹1478351

7. Investments :-

The bank has total investment of ₹165684 lakhs as on 31.03.2026 in Government and other approved securities. The year wise breakup of investments is given below:

(Amount in Lakhs)

As on	Total Investment	SLR Investment	Non-SLR Bonds
31-03-2026	₹165684	₹165684	0
For the period	Total Interest Earned	Interest on SLR Investment	Interest on Non-SLR Bond
01-05-2025 to 31-03-2026	₹10820	₹10817.36	₹2.64

- In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, entire investment portfolio of SLR securities has been classified under three categories viz **Held to Maturity, Available for Sale** and **Held for Trading**. Premium has been amortized over the remaining life of the securities pro rata on straight line method basis. Amortization of premium is adjusted against income under the head 'Income on Investments'.
- Investments under Non-SLR category are valued under 'mark to market' norms and the depreciation has been fully provided for.

➤ **Transfer Price Mechanism:**

The Bank has adopted dual transfer price mechanism under which interest rate on funds borrowed by Head Office from branches and funds borrowed by branches from Head Office were fixed as per the detail given below: -

For the period	Interest payable on funds borrowed by Head Office from branches	Interest payable on funds borrowed by branches from Head Office
01-05-2025 to 30-06-2025	6.00%	7.00%
01-07-2025 to 31-12-2025	5.75%	6.75%
01-01-2026 to 31-03-2026	6.00%	6.75%

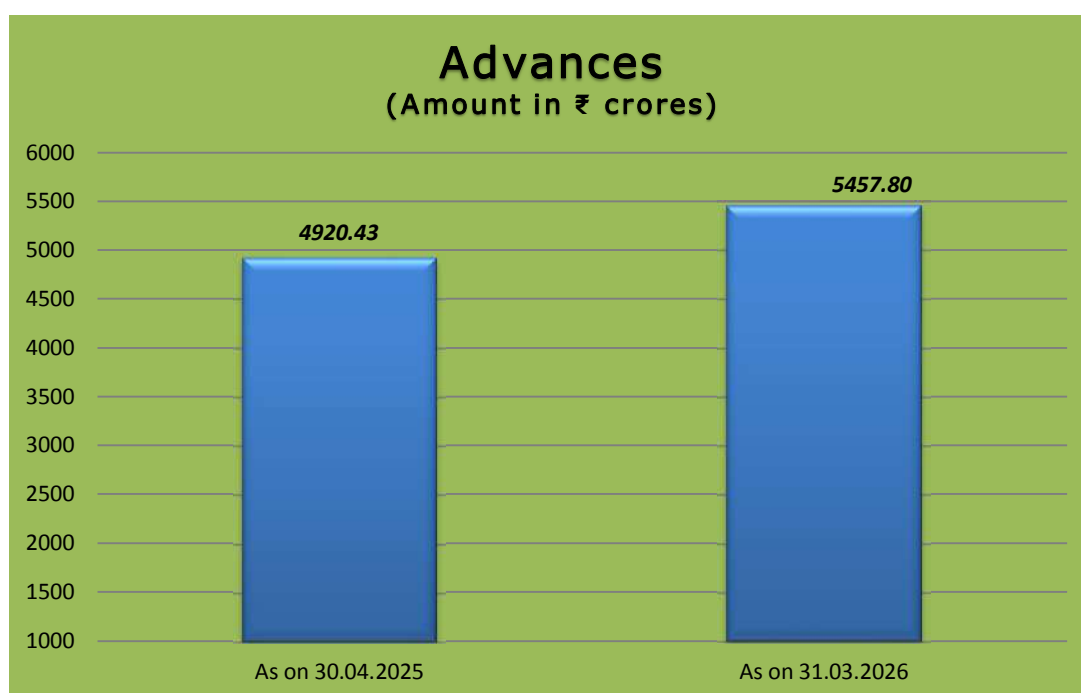
8. Financial Ratios :-

Sr. No.	Particulars	01-05-2025 to 31-03-2026
1	Average Working Funds (in 000s)	92038169
2	Financial Return	8.12
3	Financial Cost	4.88
4	Financial Margin	3.24
5	Operating Cost	3.66
6	Miscellaneous Income	0.40
7	Operating Margin	-0.02
8	Risk Cost	0.31
9	Net Margin	-0.33

9. Credit Portfolio :-

Bank continued its prudent approach in expanding the asset quality and launched some fresh loan schemes & modified some existing schemes in order to accelerate the flow of credit. Further, interest rates on loans & advances were revised/ made competitive from time to time with an objective to beat tough competition in market. All out efforts have been made to boost the credit flow by deploying funds in diversified economical/ developmental activities. The sector-wise and activity-wise position of outstanding advances as on 31st March 2026 is detailed here-under:

(Amount in 000's)			
Sr. No.	Particulars	No. of A/Cs	Amount
1	KCC/Crop Loan	151042	₹13887606
2	Term Loan for Agriculture & Allied Activities	9886	₹1492318
3	Rural Artisan/SSI/Village Industries	34566	₹6286408
4	Transport	8072	₹5002485
5	Trade and small business	30163	₹10520566
6	Housing Loan	5628	₹5561542
7	Others	29818	₹11827031
	Total	269175	₹54577956



10. Loan Disbursement :-

Bank continued its emphasis on lending under the Priority Sector and has disbursed ₹2427.02 Crore under this sector, which constitutes 75% of total disbursement to the extent of ₹ 2969 Crore during the FY ended 31st March 2026. Bank has disbursed ₹ 1043.91 Crore under the Agriculture Sector, which was 43.01% of its total disbursement made under the Priority Sector. The activity wise disbursements made during the period 01.05.2025 to 31.03.2026 are given here under :-

Amount in 000's)			
Sr. No.	Particulars	No. of A/Cs	Amount
1.	Crop Loan / KCC	115220	₹9750381
2.	Term Loan for Agriculture & Allied Activities	2714	₹688716
3.	Rural Artisan/SSI/Village Industries	17642	₹3024078
4.	Transport	2044	₹1993693
5.	Trade and Small Business	22959	₹7703920
6.	Housing Loan	1168	₹1369983
7.	Other Purpose	11962	₹5159192
	Total	173709	₹29689963

11. Income from Priority Sector Lending Certificate (PSLC) Trading :-

During the period from 01-05-2025 to 31-03-2026, the bank has sold Priority Sector Advances of ₹166 crores under PSLC scheme in the category of PSLC-SF /MF and earned premium of ₹4.78 crores have been included in "Profit and Loss Account" under the" head "Non Interest Income".

12. IRAC Norms :-

The Bank has classified its assets as per directives of RBI. The detail of asset classification and provisioning as on 31.03.2026 is given as under: -

(Amount in 000's)			
Classification of assets	Amount of Assets	Provision as required by RBI	Provision made by Bank
a) Standard	51943489	168542	168567
b) Sub-Standard	611184	61118	107730
c) Doubtful	1789770	1093667	1318703
d) Loss Assets	233513	198317	198317
TOTAL	54577956	1521644	1793317

13. NPA Management :-

- The Gross NPA of the bank stood at ₹ 263.45 crores as on 31.03.2026 and Net NPA of the Bank stood at ₹ 100.97 crores as on 31.03.2026.
- Gross NPA percentage to the total advances stood at 4.83% as on 31.03.2026. While the Net NPA percentage to the Net Advances stood at 1.91% as on 31.03.2026.

(Amount in lakhs)		
Sr. No.	Particulars	2025-26
1.	NPA as on 30-04-2025	₹24329.59
2.	Addition during the period 01-05-2025 to 31-03-2026	₹9113.44
3.	Recoveries during the period 01-05-2025 to 31-03-2026	₹5615.78
4.	Less: Technical Write Off	₹1482.57
5.	NPA's at the end of the FY (Gross)	₹26344.67
6.	Net NPA's (Net of provisions)	₹10097.17
7.	% age of Gross NPA's to Gross Advances	4.83%
8.	Net NPA's as %age of Net Advances	1.91%

Key tools used for NPA Management: -

▪ **NPA Recovery Policy**

NPA Recovery Policy is a multi-dimensional Recovery Policy which aims at providing information related to various tools & methods of recovery to all operative levels at one platform, to streamline the process of management and recovery of non-performing assets (NPAs) and to launch proactive initiatives to prevent slippages in asset portfolio. However, with the passage of time and new emerging challenges, a need was felt to further intensify the scope of this policy and make it more comprehensive.

In this connection, Bank has revised / introduced below mentioned paras:

- SARFAESI Action timelines and detailed SOP made a part of NPA Recovery Policy through Guidance Note which was otherwise issued as a separate circular.
- SOPs for non-traceable vehicles made a part of NPA Recovery Policy through Guidance Note which was otherwise issued as a separate circular.
- Delegation of Powers for Waiver / Remission / Write Off of Loans at Different Levels.

▪ **Recovery Teams:**

Recovery team of Senior Officers, having expertise in NPA recoveries, has been constituted at HO as well as GMO(K) to monitor, follow up and provide necessary support to all operative levels for recovery & up-gradation of NPA accounts.

Recovery Teams at Regional Offices have also been strengthened by providing additional hands, recovery vehicle/s on need basis, etc., which are being utilized exclusively for NPA recoveries. Every possible support is being provided at ground level for reduction of NPAs and the progress of recovery is being reviewed by the Top Management on regular basis.

▪ **Recoveries under SARFAESI Act, 2002:**

Jammu and Kashmir Grameen Bank issued a total number of 55 fresh notices to defaulting borrowers and their guarantors under the SARFAESI Act' 2002 during the period 01-05-2025 to 31-03-2026 making the total number of notices to 288 (including notices issued by erstwhile J&K Grameen Bank and erstwhile Ellaquai Dehati Bank). Out of total number of such notices issued 29 accounts were closed in FY 2025-26 (01-05-2025 to 31-03-2026) thereby affecting a recovery of ₹4.39 crores.

▪ **Seizure & Sale Policy of Moveable Assets (Vehicle):**

Jammu and Kashmir Grameen Bank seized a total 30 vehicles during the period 01-05-2025 to 31-03-2026 as per Board approved policy for seizure & sale of vehicle/s. A total recovery of ₹ 39.21 Lakhs was made from such seizures & sale of vehicles. 314 vehicles have been seized by Jammu and Kashmir Grameen Bank (including erstwhile J&K Grameen Bank and erstwhile Ellaquai Dehati Bank) resulting into total recovery of ₹ 7.33 crores as on 31-03-2026.

▪ **One Time Settlement (OTS):**

All operating levels have been delegated discretionary powers to settle chronic/hard-core NPA cases in most deserving cases under Negotiated Settlement (OTS) scheme. Bank has closed / settled 1499 cases involving a recovery of ₹11.96 crores during the period 01-05-2025 to 31-03-2026.

▪ **SPECIAL ONE TIME SETTLEMENT SCHEME-2026**

"JKGB Special One Time Settlement Scheme, 2025-26" was introduced by the Bank which has been approved by the Hon'ble Board of Directors of the Bank (**JKGB SOTS 2025-26 (SOTS – A, SETTLE TODAY ELSE REGRET TOMORROW & SOTS – B, ANNADATA OTS OFFER - EASY SETTLEMENT FOR FARMERS)**). Principal waiver was being permitted in some categories of NPA accounts under Special One Time Settlement Scheme 2025 with the aim to create an amicable and effective pathway for resolving, recovering and reducing chronic NPAs. During this scheme Bank has granted sanction of 2747 accounts involving amount of ₹32.19 crores.

▪ **OPERATION THUNDER CAMPAIGN:**

The objective behind launch of this short term campaign was to give boost to the on-going JKGB Special One Time Settlement Scheme. The campaign was of short term.

Targets: During the campaign branches were advised to upgrade / close / Sanction under OTS minimum 10% of the total NPA cases in their NPA portfolio based on the NPA figures as on 03-02-2026.

Result: The eligible branches has resulted into action of ₹6.43 crores reduction from period 05-02-2026 to 28-02-2026.

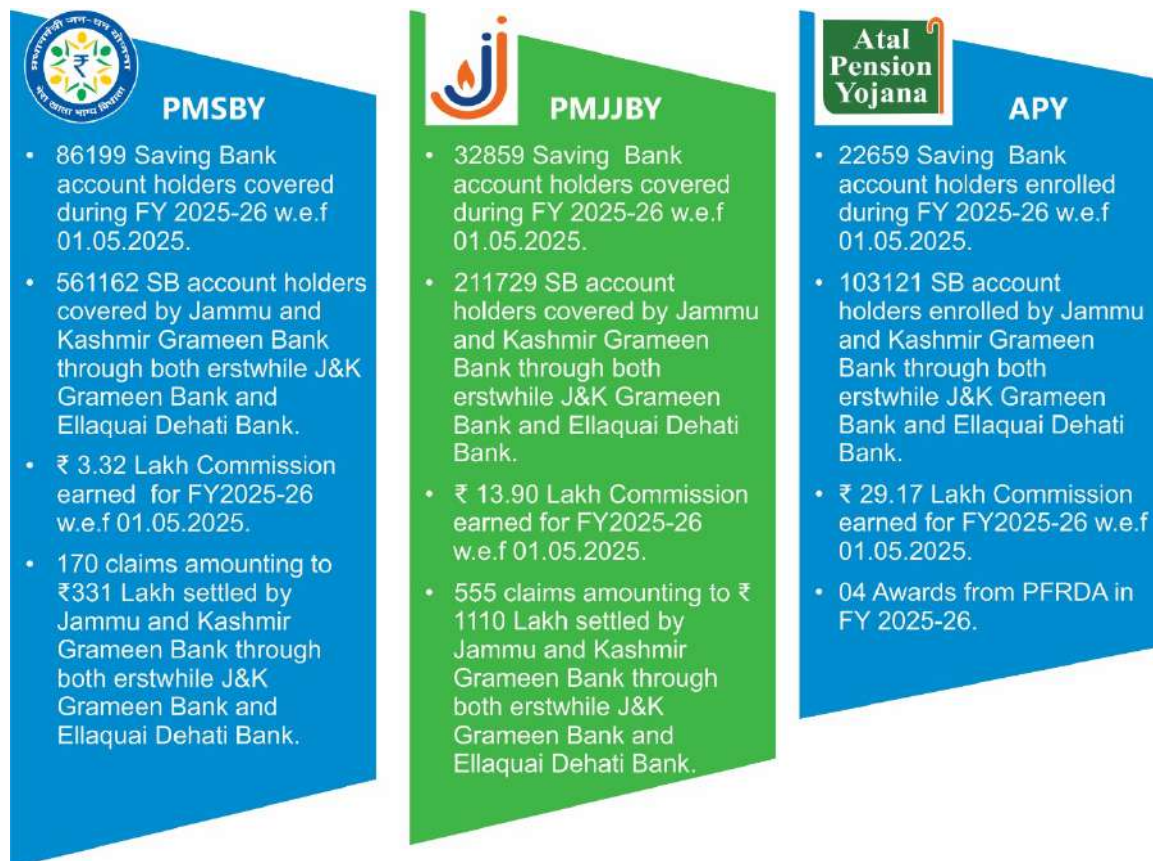
14. Financial Inclusion and Insurance Business :-

For the objective of greater financial inclusion and imparting financial literacy among the rural masses, the bank has a robust network of total of **453 BCs as on 31-03-2026** across various villages allocated to our Bank. Under financial inclusion, more than 5.00 Lakh PMJDY accounts have been opened. As on 31-03-2026, **164 Business Correspondents are giving the Micro ATM/AePS services to the public of their areas**, through which the bank has earned commission of ₹7.12 Lakhs in FY 2025-26 w.e.f 01.05.2025. The Bank has **201 farmer's club** to provide a platform to the farmers to solve their problems themselves and adopt better farming practices through dissemination of new practices and improvement of existing practices. The Farmers' Club is managed by the farmers themselves with the help of NABARD and Bank's rural branches. **Under the able guidance of NABARD, bank has been able to finance 1552 JLGs in the FY 2025-26** wef 01.05.2025, thereby earning ₹ 15.85 Lakh as incentive from NABARD.

Financial literacy and Awareness Programmes (FLAPs)

During the FY 2025-26 w.e.f 01.05.2025, our bank has conducted 5887 camps (i.e., 2717 Rural Monthly FLC Camps+1670 RBI Financial Literacy Week camps, 1065 Special Camps (Going Digital) and 435 Awareness camps through Financial Literacy Centres). In these Camps, major focus was made on creating financial awareness among unbanked masses of remote areas. More than 140000 people participated in these Camps conducted during FY 2025-26. Pamphlets and other printed materials that contained details of bank's schemes including Social Security Schemes were also distributed amongst participants.

Position of Social Security Schemes as on 31.03.2026



Position of PMJDY as on 31.03.2026 w.e.f 01st May 2025



Total Commission/ incentive earned during FY 2025-26 w.e.f 01st May2025 through Social Security Schemes, JLGs and Micro ATMs: ₹ 69.36 Lakh.

Insurance Business

Jammu and Kashmir Grameen Bank cater insurance services through our insurance tie-ups with various insure ₹ The insurer-wise new premium business issued/booked and gross commission earned for the financial year 2025-26 w.e.f 01st May 2025 is as mentioned below :

Sr. No.	Name of Insurer	Insurance type	Premium Issued (Amount in Rs. Lakhs)	Commission Earned (Amount in Rs. Lakhs)
1	Bajaj General Insurance Ltd.	Non-Life	1332.39	138.28
2	SBI General Insurance Ltd.	Non-Life	318.21	23.90
3	Care (erstwhile Religare) Health Insurance Ltd.	Non-Life	416.97	34.65
4	Life insurance Corporation (LIC) of India	Health	968.96	49.68
5	SBI Life Insurance Company Ltd.	Life	1.27	35.58
6	Bajaj Life Insurance Ltd. *	Life	0.00	1.62
7	PNB Metlife India Insurance Company Ltd.*	Life	0.00	0.17

*Only renewal business is pursued with PNB Metlife Insurance Co. Ltd. as well as Bajaj Life Insurance Ltd. Corporate Agency Agreements with these insurance companies are terminated.

Apart from above, insurance commission income of ₹ 43,154.13/- (in actual figures) was also earned through LIC Micro-insurance business in FY 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026).

Awards/ Recognition/ Appreciation from PFRDA in FY 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026)

During FY 2025-26, Bank has qualified for 4 awards at National Level campaigns launched by Pension Fund Regulatory and Development Authority namely **"APY Premier League"**, **"Warriors of Winning Wednesday"** and **"Circle of Excellence"**.

15. Information Technology: -

Information Technology continues to play a pivotal role in strengthening the Bank's operational resilience and service excellence. During the current financial year, the Bank has undertaken several mission-critical technology initiatives that align with its vision of becoming a digitally strong and future-ready institution. From the successful migration to a unified Core Banking Solution and allied applications, to the rollout of advanced digital platforms such as **e-Office**, **AI-based attendance**, and **secure communication systems**, the Bank has consistently leveraged technology to enhance efficiency, compliance, and customer convenience.

These initiatives not only modernize internal processes but also reinforce the Bank's commitment to innovation, and sustainability. By embracing cutting-edge solutions and adhering to regulatory mandates, the Bank has positioned itself as a digitally empowered institution, capable of delivering faster, safer, and more inclusive financial services across its network.

Below is a summary of the key IT initiatives successfully implemented:

a. IT Integration Post-Amalgamation

During the current financial year, the Bank successfully completed the IT integration following the amalgamation of Erstwhile EDB and Erstwhile JKGB within the Government-stipulated timeline of 15th September 2025. This large-scale migration was a complex and mission-critical exercise, involving seamless consolidation of Core Banking Systems, Digital Channels, and allied applications into a unified platform. The achievement ensured uninterrupted customer service, operational continuity, and strengthened the Bank's technological foundation for future growth. The Bank also successfully conducted the Information Systems (IS) and Data Migration Audit well before the mandated deadline of 31st December 2025.

In addition, a DC-DR drill was carried out post IT integration to validate system resilience, business continuity, and disaster preparedness. This exercise demonstrated the Bank's ability to maintain secure, reliable operations under adverse scenarios, further strengthening confidence in its IT infrastructure.

b. Rollout of e-Office Application – Building a Paperless and Digitally Efficient Workplace

Aligned with the Bank's broader vision of becoming a digitally strong and future-ready institution, the e-Office application was rolled out as a key step in the operational transformation journey. This initiative underscores the Bank's commitment to adopting advanced technologies that enhance internal efficiency, strengthen compliance, and improve service delivery across all departments and branches. The e-Office system replaces manual workflows with secure, digital processes, enabling faster approvals, reducing delays, and ensuring safe, trackable file movement. All documents are stored in a centralized digital repository, accessible to authorized users across the Bank's network, thereby fostering a truly paperless and collaborative workplace.

c. Implementation of AI-Based Mobile Attendance System

The Bank introduced an AI-powered Mobile Attendance System, reinforcing its digital modernization agenda. Each entry is geo-tagged and time-stamped, with data seamlessly integrated into the HRMS portal for centralized monitoring. The mobile-based, contactless interface reduces hardware dependency, simplifies deployment, and ensures secure & efficient attendance management.

d. Rollout of “e-EDB Legacy Information Retriever” Application

Following the Bank’s migration to the Unified Core Banking Platform (Finacle10), Bank developed and deployed the Erstwhile EDB Legacy Information Retriever application to support branches of erstwhile Ellaquai Dehati Bank. The application enables secure retrieval of customer information and generation of account statements for migrated accounts, ensuring uninterrupted customer service. Key features include secured login, centralized monitoring, statement generation from 2011 onwards, and lookup facilities based on CIF ID, mobile number, or PAN.

e. Migration to New Webmail User Interface

The Bank successfully migrated to a modern **Webmail User Interface (Orion)**, marking a significant upgrade in its digital communication environment. This large-scale initiative enhances performance, accelerates email loading, and introduces a clean, Outlook-like interface for improved usability. This represents a major step in strengthening productivity and aligning with contemporary communication standards across the Bank.

f. Implementation of Continuous Clearing – Phase I

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank successfully implemented Phase I of **Continuous Clearing**. This transition marks a significant shift from the earlier CTS batch processing to a real-time clearing and settlement framework, ensuring faster realization and improved efficiency in payment processing.

16. Digital Channels :-

Digital banking has brought about a transformative shift in the delivery of financial services, significantly enhancing both customer convenience and operational efficiency. Customers are now empowered to access and manage their financial transactions anytime and from anywhere, thereby reducing dependency on physical branch visits.

The adoption of digital channels has led to a substantial improvement in transaction speed and processing efficiency. Services that traditionally required considerable time are now executed in near real-time, resulting in improved service delivery and reduced turnaround time.

Digital banking has also played a crucial role in advancing financial inclusion by extending banking services to customers in remote and underserved areas through mobile-based platforms.

In addition, digital banking has fostered innovation in financial products and services, enabling banks to introduce user-friendly and technology-driven solutions. It also contributes to environmental sustainability by minimizing the use of paper through digital statements and online documentation.

The Bank is continuously undertaking initiatives to strengthen digital adoption across customer segments through awareness drives, targeted onboarding, and enhanced digital infrastructure, thereby ensuring wider reach, improved service delivery, and alignment with regulatory and technological advancements.

Projects implemented in the FY 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026)

- a) **Introduction of new Soundbox (Boombox X1) device:** Bank has introduced **Soundbox (Boombox X1)** device for its POS customers to provide seamless & future-ready banking experience. This new device supports **Card Dip, Tap & Pay, and QR code** functionalities — representing a significant advancement in our digital payments ecosystem.
- b) **Pay Nest for Educational Institutions:** Bank has introduced "**Pay Nest Portal**", a simple and efficient digital payment solution designed exclusively for educational institutions. This facility enables educational institutions to collect fees seamlessly through multiple payment modes ensuring hassle-free transactions for both institutions and students.
- c) **New Website Domain for Enhanced Cybersecurity and Fraud Prevention:** As part of the ongoing digital transformation of the banking sector, bank has successfully migrated to the **".bank.in" domain**. The new web address www.jkgrameen.bank.in will henceforth serve as the single, trusted point of access for all information and services of the Bank. This initiative is a critical step in safeguarding customers from fraudulent or misleading websites and mitigating risks associated with digital fraud.
- d) **Digital Scorecard:** In order to institutionalize a culture of accountability and ensure continuous performance enhancement, the Bank introduced the "**Digital Scorecard**" as a key tool for evaluating branch performance across the bank's digital platforms. The channels included are **ATM, UPI, Mobile Banking Application (M-Bank App), AEPS, POS, QR, Internet Banking, digital transaction volumes, SMS services and E-KYC**.
- e) **Beneficiary Account Name Lookup (BANL) functionality:**
 Recently introduced Beneficiary Account Name Look-Up (BANL) facility enables remitters to verify the beneficiary's account name using the account number and IFSC prior to initiating a transaction. This facility aims to enhance efficiency and reduce erroneous or fraudulent fund transfer.
- f) **Launch of 1600 Series number:** In continuation to the Bank's ongoing initiatives to enhance secure and reliable customer communication, Bank has operationalized 1600-series verified number (**1600203022**) for making outbound calls to customers through **Contact Centre and IVR services**.
- g) **UDIR (Online Dispute Resolution Module) on IMPS:** Bank has successfully implemented UDIR (Online Dispute Resolution Module) for automated resolution of disputed IMPS transaction thereby significantly reducing the settlement timeline of pending transactions.

Key initiatives under progress: -

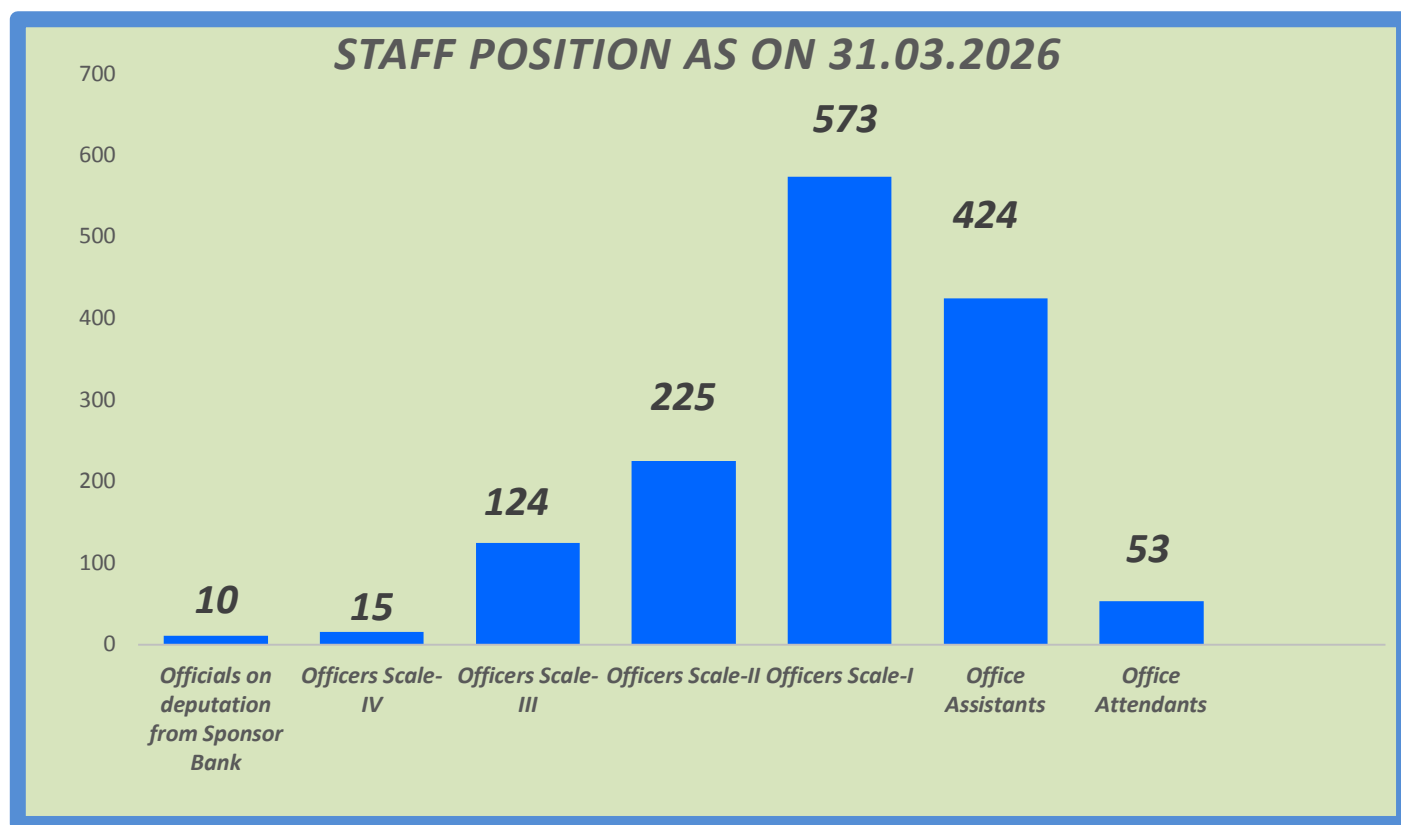
- Internet Banking platform (With Transaction facility).
- Aadhaar Data Vault.
- Whatsapp Banking Service
- Health and Deceased Aadhaar API

- Centralized and integrated reconciliation platform for all digital products.
- Single window platform for ekyc, rekyc & ckyc.

Besides the above, the Bank is actively exploring and leveraging emerging digital opportunities to further enhance digital adoption, improve customer experience, and strengthen overall operational efficiency.

17. Human Resource Development :-

Sr. No.	Particulars	As on 31-03-2026
a)	Staff Strength of Jammu and Kashmir Grameen Bank	1414
b)	On d On Deputation from Sponsor Bank	10
c)	Total Staff Strength	1424
	No. of Officers (Jammu and Kashmir Grameen Bank)	937



New Initiatives

1. Bank has issued Appointment Order in favour of dependent family member of 1 (one) deceased official who was eligible under Scheme for appointment on compassionate grounds in Jammu and Kashmir Grameen Bank, thereby ensuring financial support for the family members of deceased official.
2. To ensure that the employees and their dependents can access necessary medical treatments without any financial strain thereby promoting the well-being and productivity of the employees, a total of 153 medical claims amounting to ₹ 97.74 Lakhs were settled under Medical Reimbursement Scheme for active employees of the bank.
3. To keep the employees well acquainted with the latest banking reforms, guidelines and enhance the knowledge for organizational success, a total of 781 officials were involved in trainings.
4. Bank has also constituted Staff Grievance Redressal Committee at Head Office to Handle Grievances of Staff effectively.
5. Bank have also put in place of a safe working environment for women employees in the Bank by implementing the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) POSH Act' 2013. Bank has constituted Internal Complaints Committee (ICC) to handle the complaints of sexual harassment. Bank is also sensitizing the employees of both the genders via various training awareness programmes.
6. The provisions of reservation policy for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Special category of persons as per the guidelines of the **Department of Personnel and Training, Government of India** issued from time to time have been implemented in the Bank for recruitments and promotions. Liaison Officers have been designated to look after reservation related matters. Moreover, reservation rosters for direct recruitment and internal promotion for calendar year ending Dec'2025 stands uploaded on Bank's Website for accessible information.

18. Audit, Inspection & Vigilance :-

The working of Audits, Inspection and Vigilance Department is reviewed quarterly by Audit Committee of Board (ACB). During FY 2025-26, Audit committee of board meetings were conducted on 27.05.2025, 21.07.2025, 14.10.2025 and 19.01.2026.

During the financial year 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026) Bank's Audit, Inspection and Vigilance Department conducted internal inspection of **241 Branches**. The concurrent Audit of all 330 Branches (including Extension Counters) as per NABARD guidelines was conducted by External Auditors/Retired Bank Officers during the FY 2025-26 (01.05.2025 to 31.03.2026). The department has conducted IS Audit of all 330 Branches (including Extension Counters).

New initiative:

The department has developed an innovative in-house platform, whereby, the process for Internal inspections report preparation, generation, follow up and closures all have been made online portal based, thereby, bringing efficiency in the conduct, follow up and closure of Internal Inspection reports. With the successful implementation and operational success of the portal, now the Department is in process of putting in place similar mechanism for Concurrent Audit process.

Besides bringing efficiency in operations, this shall save paper and space used for physical record keeping.

The platform shall provide intuitive tools for data analysis and reporting, allowing for comprehensive insights into inspection findings and trends over time.

By digitizing the Audit processes, we significantly reduce our reliance on paper, contributing to our commitment towards the environmental sustainability.

19. Various initiatives were undertaken under Special Campaign of GOI w.e.f 02.10.2025 to 31.10.2025 :

- a) Cleanliness drive was conducted at **150 sites** including sites of historical importance such as Chingus Fort, Airwan Temple Nagri Parole, tourist spot Noori Chamb waterfall, etc. covering UT of J&K and UT of Ladakh.
- b) A total of 24 financial literacy awareness camps were organized across the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.
- c) Various activities such as construction of ramps, providing magnifying glass at branches, special counter were initiated for differently-abled and senior-citizen for assisting them in availing Banking services.
- d) 8811 inactive/ unclaimed accounts were made operational and 2147 nominations in Bank accounts and 20 nominations in safe deposit lockers were registered during the campaign w.e.f 02.10.2025 to 31.10.2025.
- e) During the special Campaign 51 locker agreements have been renewed.
- f) Pension Grievance week was observed w.e.f 13-10-2025 to 18-10-2025. During the said week 577 pensioners were contacted through wide publicity and only one grievance was received during the said period.
- g) 44 plantation drives were organized by the bank.
- h) A drive for Disposal of scrap was organized and a revenue of ₹ 35,882/- was earned through disposal of scrap at various branches & offices. 37 branch/office sites were cleaned and beautified, thereby freeing up a total of 2,687 sq. ft. of space.

20. Management / Board of Directors: -

During the period 01-05-2025 to 31-03-2026, 10 Board Meetings and 4 meetings of ACB were conducted.

21. Names of the Directors on Board at present.

1. **Mr. Sanjay Gupta**, Chairman
2. **Mr. Vikramjit Singh**, Director (UT of J&K Govt)
3. **Mr. A.K Thakur**, Director (Government of India).
4. **Mr. Sunit Kumar**, Director (Sponsor Bank-J&K Bank)
5. **Mr. Ashutosh Sareen**, Director (Sponsor Bank-J&K Bank)
6. **Mr. Subash Chander Chhibber**, Director (UT of J&K Govt)
7. **Mr. Shubhabrata Ghosh Maulik**, Director (RBI)
8. **Ms. Urmil Lata**, Director (NABARD)

22. Acknowledgements :-

I would like to take this opportunity to thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs during the course of journey throughout the year.

I would also like to extend my sincere gratitude to **Govt. of India, J&K UT Govt, RBI, NABARD, J&K Bank (Sponsor Bank)** and **Statutory Auditors** of the Bank for their continued support and trust in us. I would also like to acknowledge the unstinted support and patronage received from our loyal customers in the growth story of the Bank. I appreciate our dedicated and devoted work force for their untiring efforts and outstanding performance in challenging times. It's possible just because of the hard work of front-line soldiers working in Branches and the trust of lakhs of satisfied customers and well-wishers of the bank spread across UT of J&K and UT of Ladakh.

Our journey towards progress and growth is a collective effort, and we remain committed to serving our customers' financial needs while contributing to the overall economic development of the nation.

At Jammu and Kashmir Grameen Bank, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead in our quest for excellence.

For and on behalf of Board of Directors
Jammu and Kashmir Grameen Bank

Sanjay Gupta
Chairman

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

**The Members of
Jammu and Kashmir Grameen Bank
Jammu.**

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of **Jammu and Kashmir Grameen Bank ('the Bank')** which comprises of the Balance Sheet as at March 31 2026, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement for the year ended, and notes to the financial statements Including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **29 Branches audited by us, 192 Branches and 01 extension counter audited by Statutory Branch Auditors** located in the **UT of Jammu & Kashmir** and **UT of Ladakh**.

The Branches audited by us and those audited by the other Auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank of Agriculture and Rural Development ('NABARD').

Also incorporated in the Balance sheet, the profit and loss accounts are the returns from 107 branches and 01 extension counter which were not subject to audit, however out of such branches, 85 Branches have been reviewed by the concurrent Auditors and rest unaudited returns and information made available to us of 22 branches and 01 extension counter.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, these financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the "Act"), Regional Rural Banks Act, 1976 and Circular, directions and guidelines issued by Reserve Bank of India and NABARD in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- (a) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026.
- (b) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of the profit for the year ended on that date.
- (c) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and applicable laws. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical

requirements that are relevant to our audit of the financial statements under applicable laws, and the rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Schedule 18 Note No. 11.3 of financial statements regarding un-amortized pension liability of Rs 37.88 crores, permitted by RBI vide letter number RB1/2024-25/127 DOR.ACC.REC.No.67/21.04.018/2024-25 dated 20th March, 2025.

Further, we draw attention to Schedule 18 Note No. 1 of financial statements regarding Amalgamation of RRBs. The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), vide notification no.CG-DL-E-07042025-262329 dated 07 April 2025, amalgamated two Regional Rural Banks, erstwhile J&K Grameen Bank and erstwhile Ellaquai Dehati Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural into a single Regional Rural Bank now called as Jammu and Kashmir Grameen Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Jammu under the sponsorship of The Jammu and Kashmir Bank Ltd. which came into existence effective on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation).

The notification provides that from the effective date of amalgamation, all types of Balance Sheet and off Balance Sheet assets and liabilities of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank. Accordingly, the accounts of the bank for FY 2025-26 have been prepared for eleven months by taking the figures for the period 01.05.2025 to 31.03.2026 for incorporating in the Profit and Loss Account.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of material uncertainty related to going concern for the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing advances (Refer Para 4 & 8 of Schedule 17, read with Note 5 of Schedule 18 to the financial statements)

The net advances of the Bank constitute 54.62% percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to

classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA). The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed.

Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further in terms of security wise and sector-wise classification of advances there is large amount of dependency on manual data entry in the CBS which is prone to various types of inconsistencies like wrong drawing power being fed in the system, security details requiring proper updation, Identification of group exposure also is based on manual process.

Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.

2. Material uncertainty related to Going Concern

The Bank has incurred a loss of Rs.28.35 crores during the financial year 2025-26 and net accumulated losses of the Bank stands at Rs.747.13 crores as on 31st March 2026. As at 30th April 2025, CRAR of the bank was 4.45% which has further deteriorated to 3.66% at the end of the financial year 2025-26. The CRAR stood at 3.66% as against the minimum stipulated regulatory requirement of 9%.

In the opinion of the Bank, based on operational capabilities of the bank and growth trend, the Bank will be able to realize its assets (including its deferred tax asset) and discharge its liabilities in its normal course of business and hence the financial results have been prepared on a going concern basis. The said assumption of going concern is inter-alia dependent on the Bank's ability to achieve improvements in liquidity, asset quality and solvency ratios and thus a material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the bank ability to continue as a going concern. However, as stated above, as per management there are mitigating factors to such uncertainties.

Our conclusion on the Financial Results is not modified in respect of this matter.

Principal Audit Procedures

We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following:

- a. We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to

determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures.

- b. The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the **29 branches** allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. We have emphasised with the Bank's management regarding system-based classification of advances, automation of provisioning process and calculation of required provision in respect of advances being identified as NPAs.
 - c. Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
 - d. Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank.
 - e. Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time.
 - f. Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's prudential norms.
 - g. We have also relied on the work done by the branch auditors for branches selected by the Bank.
 - h. Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.
 - i. Performing relevant analytical procedures.
 - j. Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.
 - k. Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.
- 3. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Refer 2 of Schedule 17 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds and other approved securities.

Investments constitute 17.09% per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, financial statements of unlisted companies etc.

Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.

Principal Audit Procedures

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on :

- a. We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments.
- b. For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.
- c. Independently test-checked valuation of quoted investments, based on the latest available financial statements or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Director's Report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The other information as above is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and we will not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially

misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Regional Rural Banks Act, 1976, section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI and NABARD from time to time.. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also :-

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. We are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in Place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of 299 branches and 02 extension counters included in the financial statements of the Bank. These branches cover 80.63% (4444.82 cr) advances and 82.62% (6892.03 cr) deposit of the Bank as on 31st March 2026. The financial statements of 192 branches and 01 extension counter have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us. Also, 107 unaudited Branches and 1 Extension counter incorporated in the financial statements as on date, which accounts 13.75% (Rs 758.22 cr) advances and 13.88% (Rs 1157.99 cr) deposit of the Bank. In our opinion in so far as it relates to the

amounts and disclosures included in respect of 299 branches and 02 extension counter is based solely on the report of such branch auditors, Concurrent auditors and the unaudited returns provided by the branches not covered by SBA and concurrent auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to the limitations of the audit indicated above and also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (c) There returns received from the offices and branches have been found adequate for the purposes of our audit.

We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us
- b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the 29 branches audited by us, 192 branches and 01 extension counter audited by Statutory Branch Auditor and 107 branches and 01 extension counter not audited under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For DHARAM RAJ & CO.

Chartered Accountants
(Firm Regn. No.: 014461N)

(CA Sunil Chowdary)

Partner

M. No.: 508018

UDIN No.: 25508018BMJQ0B9290

Date : 24-04-2026

Place : Jammu

FINANCIAL RESULTS AS AT 31st MARCH 2026

(Amount in Crore)

FINANCIAL RESULTS AS AT 31st MARCH 2026		QUARTER ENDED March 2026		During the period 01.05.2025 to 31.03.2026
		31.03.2026	31.12.2025	
S.N.	Particulars	(Audited)	(Reviewed)	(Audited)
1	Interest Earned (a+b+c+d)	182.25	188.14	685.24
	a) Interest/Discount on Advances/Bills	113.21	120.03	429.20
	b) Income on Investments	29.21	28.99	108.20
	c) Interest on Balance with R.B.I. & Other Inter Bank Funds	39.83	39.12	147.84
	d) Others	-	-	-
2	Other Income	11.21	6.45	33.68
3	Total Income (1+2)	193.46	194.59	718.92
4	Interest Expended	112.09	111.20	411.68
5	Operating Expenses (I+II)	84.08	90.75	309.09
	I. Employees Cost	60.90	63.72	226.95
	II. Other Operating Expenses	23.18	27.03	82.14
6	Total Expenditure (4+5) (Excluding Provisions & Contingencies)	196.17	201.95	720.77
7	Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)	(2.71)	(7.36)	(1.85)
8	Provisions (other than tax) and Contingencies	(1.00)	15.10	26.50
9	Exceptional Items	-	-	-
10	Profit (+)/loss (-) from ordinary activities before tax (7-8-9)	(1.71)	(22.46)	(28.35)
11	Tax Expenses including DTA	-	-	-
12	Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary activities after tax (10-11)	(1.71)	(22.46)	(28.35)

13	Extraordinary items (net of tax expenses)	-	-	
14	Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13)	(1.71)	(22.46)	(28.35)
15	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per share)	988.35	988.35	988.35
16	Share Capital Deposit	0.00	0.00	0.00
17	Reserves excluding Revaluation Reserves	-747.13	-745.43	-747.13
18	Revaluation Reserves	-	-	-
19	Analytical Ratios			
(i)	Percentage of share held by Government of India	50%	50%	50%
(ii)	- Capital Adequacy Ratio %			
	- Total Capital Ratio (CRAR) %	3.66%	3.74%	3.66%
(iii)	-NPA Ratio's			
	a) Amount of Gross NPAs	263.45	275.27	263.45
	b) Amount of Net NPAs	100.97	112.80	100.97
	c) % of Gross NPAs to Gross Advances	4.83%	5.27%	4.83%
	d) % of Net NPAs to Net Advances	1.91%	2.23%	1.91%

Sd/-
Sanjay Gupta
 Chairman

Sd/-
Sunit Kumar
 Director

Sd/-
A. K. Thakur
 Director

Sd/-
Shubhabrata Ghosh Maulik
 Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
 Chartered Accountants
 FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
 Partner
 MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 24.04.2026

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2026

(Rs.'000' Omitted)

	Sch.	31.03.2026	01.05.2025
CAPITAL AND LIABILITIES		(Audited)	(Opening)
Capital	1	98,83,517	98,83,517
Reserves and Surplus	2	(74,71,347)	(71,87,854)
Deposits	3	8,34,17,117	7,68,61,633
Borrowings	4	90,38,519	82,83,306
Other Liabilities and Provisions	5	20,84,002	33,20,247
TOTAL		9,69,51,807	9,11,60,849
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	25,80,070	32,69,803
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	7	2,23,31,196	2,04,13,518
Investments	8	1,65,68,390	1,67,55,247
Advances	9	5,29,53,206	4,76,08,194
Fixed Assets	10	1,75,298	1,71,176
Other Assets	11	2,343,647	29,42,911
TOTAL		9,69,51,807	9,11,60,849
Contingent Liabilities	12	3,45,960	2,88,257
Bills for Collection		-	-

Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

Sd/-

Sanjay Gupta
Chairman

Sd/-

Sunit Kumar
Director

Sd/-

A. K. Thakur
Director

Sd/-

Shubhabrata Ghosh Maulik
Director

In terms of our report of even date annexed

For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)

Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 24.04.2026

(AUDITED) PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD FROM 01.05.2025 TO 31.03.2026

	Sch.	(Rs.'000' Omitted) During the period 01.05.2025 to 31.03.2026
I. INCOME		(Audited)
Interest Earned	13	68,52,462
Other Income	14	3,36,785
TOTAL		71,89,247
II. EXPENDITURE		
Interest Expended	15	41,16,822
Operating Expenses	16	30,90,908
Provisions and Contingencies		2,65,010
TOTAL		74,72,740
III. NET PROFIT / (LOSS) BEFORE TAXES		(2,83,493)
<u>Tax Expenses</u>		
- Provision for Income Tax		-
- Provision for Deferred Tax		-
- Prior Period Income Tax Adjustment		-
IV. PROFIT/(LOSS) AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS		(2,83,493)
V. LOSS BROUGHT FORWARD		(74,05,446)
VI. APPROPRIATIONS/TRANSFERED TO:		
i) Statutory Reserve		-
ii) Capital Reserve		-
iii) Revenue and Other Reserves		-
BALANCES CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		(76,88,939)

Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

Sd/-

Sanjay Gupta

Chairman

Sd/-

Sunit Kumar

Director

Sd/-

A. K. Thakur

Director

Sd/-

Shubhabrata Ghosh Maulik

Director

In terms of our report of even date annexed

For Dharam Raj & Co.

Chartered Accountants,

FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)

Partner

MRN : 508018

Place : Jammu

Date : 24.04.2026

SCHEDULE-1 CAPITAL

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2026	01.05.2025
AUTHORISED CAPITAL		
2,00,00,00,000 (P.Y. 2,00,00,00,000)		
Equity Shares of Rs. 10/- each	20,000,000	20,000,000
ISSUED SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL		
988,351,700		
Equity Shares of Rs. 10/- each	9,883,517	9,883,517
TOTAL	9,883,517	9,883,517

SCHEDULE-2 RESERVES & SURPLUS

(Rs.'000' Omitted)

	31.03.2026	01.05.2025
I. STATUTORY RESERVES		
Opening Balance	184,304	184,304
Additions/(Deductions) during the period	-	-
CLOSING BALANCE	184,304	184,304
II. CAPITAL RESERVES		
Opening Balance	33,288	33,288
Additions/(Deductions) during the period	-	-
CLOSING BALANCE	33,288	33,288
III. SHARE PREMIUM		
Opening Balance	-	-
Additions/(Deductions) during the period	-	-
CLOSING BALANCE	-	-
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
Opening Balance	-	-
Additions/(Deductions) during the period	-	-
Draw Down	-	-
CLOSING BALANCE	-	-
V. Balance in Profit & Loss Account	(7,688,939)	(7,405,446)
TOTAL (I, II, III, IV & V)	(7,471,347)	(7,187,854)

SCHEDULE-3 DEPOSITS

(Rs.'000' Omitted)			
		31.03.2026	01.05.2025
A I.	Demand Deposits		
	i) From Banks	-	-
	ii) From Others	4,085,358	3,083,955
	TOTAL (I & ii)	4,085,358	3,083,955
II.	Saving Bank Deposits	32,740,570	30,728,927
III.	Term Deposits		
	i) From Banks	-	-
	ii) From Others	46,591,189	43,048,751
	TOTAL (I & ii)	46,591,189	43,048,751
	TOTAL A (I+II+III)	83,417,117	76,861,633
B. I.	Deposits of branches in India	83,417,117	76,861,633
II.	Deposits of branches outside India	-	-
	TOTAL B (I+II)	83,417,117	76,861,633

SCHEDULE-4 BORROWINGS

(Rs.'000' Omitted)			
		31.03.2026	01.05.2025
I.	Borrowings in India		
i)	Reserve Bank of India	-	-
ii)	Other Banks (Sponsor Bank)	157,770	467,769
iii)	Other Institutions & Agencies	8,880,749	7,815,537
	TOTAL (i to iii)	9,038,519	8,283,306
II.	Borrowings outside India	-	-
	GRAND TOTAL (I & II)	9,038,519	8,283,306
	Secured borrowings included in I & II above	Nil	Nil

SCHEDULE-5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
i)	Bills Payable	79,239	52,792
ii)	Inter Office Adjustments (Net)	17,495	22,099
ii)	Interest Accrued	80,337	814,939
v)	Deferred Tax Liability	-	
v)	Provision Against Standard Assets	168,567	143,906
i)	Provision for Special Resolution Framework	11,160	11,160
ii)	Others (Including Other Provisions)	1,727,204	2,275,351
	TOTAL (i to vii)	2,084,002	3,320,247

SCHEDULE-6 CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	Cash in Hand (Including Foreign Currency Notes)	90,375	114,643
II.	Balance with Reserve Bank of India		
	i) In Current Account	2,489,695	3,155,160
	ii) In Other Accounts	-	-
	TOTAL (I & II)	2,580,070	3,269,803

SCHEDULE-7 BALANCE WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	In India		
	i) Balance with Banks		
	a) In Current Accounts	87,621	232,684
	b) In Other Deposit Accounts	22,243,575	20,180,834
	TOTAL (i)	22,331,196	20,413,518

	ii) Money at Call and Short Notice		
	a) With Banks	-	-
	b) With Other Institutions	-	-
	TOTAL (ii)	-	-
	TOTAL (i & ii)	22,331,196	20,413,518
II.	Outside India		
	i) In Current Accounts	-	-
	ii) In Other Deposit Accounts	-	-
	iii) Money at Call & Short Notice	-	-
	TOTAL II of (i ii & iii)	-	-
	GRAND TOTAL (I & II)	22,331,196	20,413,518

SCHEDULE-8 INVESTMENTS

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	Investments in India		
	Gross	16,568,390	16,755,247
	Less: Provision for Depreciation	-	-
	Less: Provision for Investment (NPI)	-	-
	Net Investments	16,568,390	16,755,247
i)	Government Securities	16,568,390	16,753,947
ii)	Other Approved Securities	-	-
iii)	Shares (Pref. + Equity)	-	-
iv)	Debentures and Bonds	-	-
v)	Sponsored Institutions	-	-
vi)	Others	-	1,300
	TOTAL (I)	16,568,390	16,755,247
II.	Investments Outside India		
i)	Government Securities	Nil	Nil
ii)	Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	Nil	Nil
iii)	Others (Swap)	Nil	Nil
	TOTAL (II)	-	-
	TOTAL (I & II)	16,568,390	16,755,247

SCHEDULE-9 ADVANCES

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
A	i) Bills Purchased and Discounted	-	-
	ii) Cash Credits Overdrafts and Loans Repayable on Demand	27,952,329	25,044,308
	iii) Term Loans	25,000,877	22,563,886
	iv) Amount Receivable from GOI under ADWDRS 2008	-	-
	TOTAL (i to iv)	52,953,206	47,608,194
B	i) Secured by Tangible Assets	50,820,075	45,296,579
	ii) Covered by Bank/Govt. Guarantees	706,678	208,670
	iii) Unsecured	1,426,453	2,102,945
	TOTAL (i to iii)	52,953,206	47,608,194
C	I. Advances in India		
	i) Priority Sector	40,197,325	35,860,333
	ii) Public Sector	-	-
	iii) Banks	-	-
	iv) Non Priority Sector (Others)	12,755,881	11,747,861
	TOTAL (i to iv)	52,953,206	47,608,194
	II. Advances Outside India		
	i) Due from Banks	-	-
	ii) Due from Others	-	-
	TOTAL (i to ii)	-	-
	GRAND TOTAL (I & II)	52,953,206	47,608,194

SCHEDULE-10 FIXED ASSETS

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	Premises		
	a) Land		
	At cost as on 31st march of the proceeding year	1385	1,385
	Additions during the period	-	-
		1,385	1,385
	Deductions during the period	-	-
	Total	1,385	1,385
	Depreciation to date	(978)	(1,146)
	Total (a)	407	239
	b) Building		
	At cost as on 31st march of the proceeding year	18,683	18,683
	Additions during the period	-	-
		18,683	18,683
	Deductions during the period	-	-
	Total	18,683	18,683
	Depreciation to date	(5,235)	(15,582)
	Total (b)	13,448	3,101
	c) Constructions work in progress	-	-
	TOTAL (I) [a+b+c]	13,855	3,340
II.	Other Fixed Assets		
	(Including Furniture & Fixtures)		
	At cost as on 31st march of the proceeding year	883,656	853,734
	Additions during the period	55,893	5,277
		939,549	859,011
	Deductions during the period	(7,764)	(2,364)
		931,785	856,647
	Depreciation to date	770,342	(688,811)
	TOTAL (II)	161,443	167,836
	GRAND TOTAL (I & II)	175,298	171,176

SCHEDULE-11 OTHER ASSETS

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	Interest Accrued (On Investment)	749,134	1,181,192
II.	Interest Accrued (On loan and Advances)		86,357
iii.	Tax paid in Advance/TDS (Net of Provisions)	3,114	1,630
III.	Stationery and Stamps	9,385	9,537
IV.	Deferred Tax Asset	859,030	859,030
V.	Others	722,984	805,165
	TOTAL (I to V)	2,343,647	2,942,911

SCHEDULE-12 CONTINGENT LIABILITIES

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts	2,600	2,600
II.	Liability for partly paid investments	-	-
III.	Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	-	-
IV.	Guarantees given on behalf of constituents :-		
	a) In India	87,709	63,200
	b) Outside India	-	-
V.	Acceptances Endorsements & Other Obligations	-	-
VI.	Other items for which the Bank is Contingently liable	1,511	1,511
VII.	Liability on a/c of Depositors Education Awareness Fund (DEAF)	254,140	220,946
	TOTAL (I to VII)	345,960	288,257

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

For the Period 01-05-2025 to 31-03-2026

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026
I.	Interest/Discount on Advances/Bills	4,292,079
II.	Income on Investments	1,082,032
III.	Interest on Balances with R.B.I and other Inter Bank Funds	1,478,351
IV.	Others	-
	TOTAL (I to IV)	6,852,462

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

For the Period 01-05-2025 to 31-03-2026

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026
I.	Commission Exchange & Brokerage	53,487
II.	Profit /(Loss) on Sale/Redemption of Investments	3,140
	<i>Profit on Sale/Redemption of Investments</i>	-
	<i>Less: Loss on sale/redemption of investments</i>	-
III.	Profit /(Loss) on revaluation of Investments	-
	<i>Profit on revaluation of Investments</i>	-
	<i>Less: loss on revaluation of investments</i>	-
IV.	(Profit/ Loss) on Sale of Land Buildings & Other Assets	-
	<i>Profit on Sale of Land Buildings & Other Assets</i>	-
	<i>Less: Loss on Sale of Land Buildings & Other Assets</i>	-
V.	Profit /(Loss) on PSLC Trading	47,858
	<i>Profit on PSLC Trading</i>	-
	<i>Less: Loss on PSLC Trading</i>	-
VI.	Income earned by way of Dividends etc. from subsidiaries Companies and/or Joint Venture abroad/in India	-
VII.	Miscellaneous Income	232,300
	TOTAL (I to VII)	336,785

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

For the Period 01-05-2025 to 31-03-2026

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026
I.	Interest on Deposits	3,618,080
II.	Interest on RBI/Inter-Bank Borrowings	-
III.	Interest Others	498,742
	TOTAL (I to III)	4,116,822

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

For the Period 01-05-2025 to 31-03-2026

(Rs.'000' Omitted)

		31.03.2026
I.	Payments to and provisions for Employees	2,269,498
II.	Rent Taxes and Lighting	75,316
III.	Printing and Stationery	11,233
IV.	Advertisement and Publicity	3,067
V.	Depreciation on Bank's Property	64,173
VI.	Directors Fees Allowances and Expenses	-
VII.	Auditors Fees & Expenses (Including Branch Auditor's fees & Expenses)	32,464
VIII.	Law Charges	3,399
IX.	Postage Telegrams Telephones etc.	1,044
X.	Repairs and Maintenance	5,806
XI.	Insurance	104,842
XII.	Other Expenditure	520,066
	TOTAL (I to XII)	3,090,908

DETAILS OF PROVISIONS & CONTINGENCIES

For the Period 01-05-2025 to 31-03-2026

I.	Provision for Non-Performing Assets	235,615
II.	Provision for Standard Assets	24,661
III.	Provision for Special Resolution Framework	-
IV.	Provision for Frauds	815
V.	100% Rehabilitation Provision	3,919
	TOTAL (I to IV)	265,010

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. GENERAL OVERVIEW

Jammu and Kashmir Grameen Bank has been established through a process of amalgamation of two erstwhile Regional Rural Banks viz. J&K Grameen Bank & Ellaquai Dehati Bank in terms of Government of India Notification dated 07 **April 2025 issued under** sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) Jointly owned by Government of India, Government of UT of Jammu & Kashmir and the J&K Bank Limited (Sponsor Bank) with its Head Office at Jammu. The bank has Authorized Capital of Rs.2000 crores (200 crores shares of Rs.10 each) and Paid up Share Capital of the bank is Rs .988,35,17,000/- (98,83,51,700 shares of Rs.10 each). The breakup of Capital Structure is as under :

Sr. No.	Shareholder	Total (Rs. Crore)
1.	Central Government	494.18
2.	Government of UT of J&K	148.25
3.	J&K Bank Ltd- Sponsor Bank	345.92
	Total	988.35

The Bank has 330 branches i.e 326 branches (including 2 extension counters) in the UT of Jammu & Kashmir and 4 branches in UT of Ladakh which are engaged in providing all kind of financial services in both the union territories.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost basis and they conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. Use of estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent & reasonable.

3. Investments:

- (i) In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, Investments are classified into three categories i.e, (a) "Held to Maturity" (b)"Available for Sale" and (c)"Held for Trading", with sub-classifications viz (i) Government Securities (ii) Other Approved securities (iii) Shares (iv) Debentures & Bonds (v) Others.
- ii) "Held-to Maturity" category comprises securities acquired by the Bank with the intention to hold them up to maturity. "Held-for-Trading" category comprises securities acquired by the Bank with the intention of trading. "Available-for-Sale" securities are those, which do not qualify for being classified in either of the above categories.
- iii) Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly.
- iv) Investments classified as "Held-to-Maturity" (HTM) category are not marked to market and carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.
- v) The individual scrip's in the "Available-for-Sale "and "Held for Trading" category is marked to market at quarterly intervals. The net depreciation under each classification under which investments are presented in the balance sheet is fully provided for, whereas the net appreciation under any of the aforesaid classifications is ignored.
- vi) The market value for the purpose of periodic valuation of investments included in "Available for Sale" and "Held for Trading" Categories is based on the market price available from trades/ quotes on stock exchanges. Central/ State Government Securities, Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the prices/ YTM rates declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Private Limited.
- vii) Income on Investment is accounted for on accrual basis. Interest is serviced regularly and is not in arrears.
- viii) Broken period interest is treated as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in Government and other approved Securities.
- ix) Profit or Loss on sale of Investment in any category is taken to the profit and loss account. In case of Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount of profit net of taxes is appropriated to the Capital Reserve Account.
- x) Zero coupon bonds are shown at acquisition cost. Income is accrued on such bonds with reference to the gross yield (before tax) over the period of holding by the Bank.

4. Advances & Provisioning:

- 4.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Non-Performing Assets (NPA) is classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the criteria stipulated by RBI:
 - I. In respect of term loans, interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

- ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the same period;
- iii. In respect of bills purchased/ discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- iv. In respect of agricultural advances:
 - (a) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and
 - (b) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 4.2 Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory/ supervisory authorities at rates at least and even in most categories more than which have been prescribed by RBI/NABARD
- 4.3 NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:
 - i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
 - ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
 - iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- 4.4 Advances are shown net of provisions and interest not collected (INC) provisions on Nonperforming Assets (NPAs)
- 4.5 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 4.6 General Provision for Standard Assets at the following rates:
 - 1. Direct Advances to Agriculture and SME sectors at 0.25%
 - 2. Commercial real Estate sector at 1%
 - 3. All other advances not included in (1) & (2) above at 0.40
- 4.7 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 4.8 Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI/ NABARD guidelines.

- 4.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue for the year.
- 4.10 Appropriation of recoveries in NPAs (not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned) towards principal or interest due as per the Bank's extant instructions is done in accordance with the following priority:
- Principal
 - Charges, Cost, Commission etc
 - Unrealized Interest/ Interest.

5. Fixed Assets and depreciation:

- 5.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment, if any. Cost includes cost of purchase, freight, duties, taxes and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put-to-use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put-to-use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

S. N.	NAME OF HEAD	DEPRECIATION METHOD	USEFUL LIFE
1.	Building with RCC	Straight Line Method	60 YEARS
2.	Furniture & Fixtures	Straight Line Method	10 YEARS
3.	Plant & Machinery	Straight Line Method	15 YEARS
4.	Vehicle useful Life	Straight Line Method	08 YEARS

- 5.2 The fixed assets are depreciated as per straight line method, considering residual value at 5% of original cost, as per the provisions of Companies Act 2013 based on the useful life of the assets prescribed in Part C of the Schedule II of the Companies Act 2013 as given hereunder:
- 5.3 Premium paid for leasehold properties is amortized over the period of lease.
- 5.4 Assets costing less than Rs. 1,000 each are charged off in the year of purchase.
- 5.5 In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put-to-use during the year.
- 5.6 Depreciation on computers (including ATMs/CDMs) along with software, forming integral part of the computers is computed at 33.33% on straight line method for the full year in terms of RBI guidelines taking residual value as Nil. Useful life of the mobile phones is considered to be 2 years and the depreciation is charged in straight line method for the full year as per provisions of Companies Act 2013 with no residual value.
- 5.7 Electric fitting if fixed during construction is classified in Furniture & Fixtures, otherwise electric fitting is classified in Plant and Machinery.

6. Employee Benefits:

6.1 Short Term Employee Benefits

Amount of short-term employee benefits, such as casual leave and medical benefits, expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 Post-Employment Benefits

i. Defined Benefit Plan

- (a) The Bank operates Gratuity and Leave Encashment Schemes, which are defined benefit plans.
- (b) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit in the form of lump sum payments to vested employees, on death while in employment or on termination of employment. In terms of Regulation No. 72 of the Service Regulations, every officer or employee shall be eligible for gratuity as per provisions of payment of Gratuity Act' 1972 or as per Sub- Regulation 2 of Regulation No. 72 of Jammu and Kashmir Grameen Bank (Officers & Employees) Staff Service Regulations 2010 **whichever is higher**. Sub-Regulation 2 stipulates that every officer or employee shall be eligible for gratuity on the following occasions: -
 - i) Retirement;
 - ii) Death;
 - iii) Disablement rendering him unfit for further service as certified by Medical Officer approved by the Bank,
 - iv) Resignation after completion of 10 years of continuous service,
 - v) Termination of in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only. The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months' subject to a maximum of 15 month's pay. Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years. Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn.

Provided also that in respect of an employee pay for the purposes of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months preceding

death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.

Gratuity is payable to an employee on the termination of his employment after he/she has rendered continuous service for a period of not less than 5 years (on retirement, resignation, except death and disablement) as per Gratuity Act, 1972. To be eligible under Jammu and Kashmir Grameen Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 the minimum required service is 10 years. The Bank makes annual contribution to the Fund administered by the fund managers based on independent actuarial valuation carried out annually. The maximum amount payable as per the Gratuity Act is Rs.20.00 Lakhs w.e.f 29.03.2018. As per the Jammu and Kashmir Grameen Bank (payment of Gratuity) rules, it can go beyond Rs.20.00 lakhs. The higher amount will be paid to the officers/employees.

- (c) All eligible employees of the Bank are entitled to encash earned leave on retirement or on death, subject to a maximum amount of accumulated leaves of 240 days. As per Jammu and Kashmir Grameen Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations 2024 in force in the Bank w.e.f 23.08.2024, on resignation from the services of the bank, eligible employees are entitled for encashment of earned leave only to the extent of half of such leave to his/her credit on the cessation of service, subject to a maximum of 120 days.
- (d) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.
- (e) The bank has exercised the option of recognizing the transitional liability on adoption of AS-15 Revised (2005) for its defined benefit schemes against revenue.

7. Provision for Taxation:

- (a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current year taxes are determined in accordance with the prevailing laws and AS-22. Deferred tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.
- (b) Deferred tax assets and liabilities are recognized on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or subsequently enacted prior to the balance sheet date. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account.
- (c) Deferred tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realization is considered certain. Deferred tax

assets are recognized as to whether realization is considered certain. Deferred tax assets are recognized on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realized against future profit.

8. Revenue Recognition

8.1 Income & Expenditure booking:

Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated:

- a. Interest and other income on advances/ investments classified as Non-Performing Advances/ Investments are recognized to the extent realized in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- b. Fee, commission (other than insurance commission), exchange locker rent, and insurance claims are recognized on realization basis.
- c. Interest on Overdue Bills on realization basis, as per Reserve Bank of India guidelines.
- d. The recovery in Non-Performing Assets has been first appropriated towards amount of principal and thereafter towards amount of interest.
- e. Income from interest on income tax/ other tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Competent Authorities.
- f. Unforeseen income/ expenses is accounted for in the year of receipt/ payment.
- g. Stationery issued to branches has been considered as consumed.
- h. Interest on overdue term deposits is provided at saving bank rate or the contracted rate of interest in the matured term deposit **whichever is lower**.

9. Net Profit/ Loss

The net profit disclosed in the Profit & Loss Account is arrived at, after making provisions for the following:

- ☐ Income Tax (including deferred taxation as per Accounting Standard AS-22 "Accounting for Taxes on Income").
- ☐ Bad and Doubtful advances;
- ☐ Adjustment, if any, in the value of investments according to RBI directives;
- ☐ Provision on Standard Assets.
- ☐ Transfers to contingencies, and
- ☐ Other usual and necessary provisions.

10. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In accordance with (AS) 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has present obligation, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources

embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when are liable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible, but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

Sd/-
Sanjay Gupta
Chairman

Sd/-
Sunit Kumar
Director

Sd/-
A. K. Thakur
Director

Sd/-
Shubhabrata Ghosh Maulik
Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
Chartered Accountants
FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
Partner
MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 24.04.2026

SCHEDULE - 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as the Act), vide notification no.CG-DL-E-07042025-262329 dated 07 April 2025, amalgamated two Regional Rural Banks, erstwhile J&K Grameen Bank and erstwhile Ellaquai Dehati Bank (hereinafter referred to as the transferor Regional Rural into a single Regional Rural Bank now called as Jammu and Kashmir Grameen Bank (hereinafter referred to as the transferee Regional Rural Bank) with its head office at Jammu under the sponsorship of The Jammu and Kashmir Bank Ltd. which came into existence effective on and from the 1st day of May, 2025 (hereinafter referred to as the effective date of amalgamation)

The notification provides that from the effective date of amalgamation, all types of Balance Sheet and off Balance Sheet assets and liabilities of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank. Accordingly, the accounts of the bank for FY 2025-26 have been prepared for eleven months by taking the figures for the period 01.05.2025 to 31.03.2026 for incorporating in the Profit and Loss Account.

2. REGULATORY CAPITAL

a. Composition of Regulatory Capital

(Amount in Rs. Crores)

S. N.	Particulars	Current Year
i)	Tier 1 capital	155.31
ii)	Tier 2 capital	32.63
iii)	Total capital (Tier 1 + Tier 2) (i + ii)	187.94
iv)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	5130.47
v)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	3.03
vi)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.63
vii)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	3.66
viii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) Government of J&K U.T c) J&K Bank	50% 15% 35%
ix)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-
x)	Amount of perpetual debt instruments raised during the year	-

b. Draw Down from Reserve

No amount has been drawn from reserves during the year.

3. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2026*

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months to 3 months	Over 3 Months & Upto 6 months	Over 6 months & Upto 1 year	Over 1 years & Upto 3 years	Over 3 years & Upto 5 years	Over 5 years	TOTAL
Deposits	51.10	257.38	259.14	172.22	364.15	267.74	964.53	2007.75	3925.49	42.30	29.92	8341.72
Total Advances*	145.42	112.59	131.21	273.17	134.52	134.66	12.43	118.30	2258.82	687.80	1286.4	5295.32
Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	92.54	354.88	320.93	873.48	1656.84
Borrowings	0	0	0	0	0	124.36	34.03	662.38	26.22	41.08	15.78	903.85
Foreign Currency Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Figure of total advances consists of gross performing advances and non-performing advances (NPAs) net of provisions.

** The above disclosure is as compiled and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

4. INVESTMENTS

The bank has not made any investments outside the India, the details of investments made by the bank in India as at 31.03.2026 are as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Investments in India						
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debenture and Bonds	Subsidiary/JV	Others	Total investments in India
Held to Maturity							
Gross	1316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.10
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.10

Available for Sale							
Gross	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.74
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.74
Held for Trading							
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less : Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	1656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.84
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.84

4.1 Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars		As on
			31.03.2026
1.	Movement of provisions held towards the depreciation on Investments/NPI		
	(i)	Opening Balance	Nil
	(ii)	Add: Provisions made during the year	Nil
		Less: Write-off/write back of excess provisions during the year	Nil
	(iii)	Closing Balance	Nil
2.	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(i)	Opening Balance	Nil
	(ii)	Add: Amount transferred during the year	Nil
	(iii)	Less: Drawdown	Nil
	(iii)	Closing Balance	Nil
3.	Closing Balance in IFR as a percentage of closing balance of Investment [Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e., the net amount reflected in the balance sheet] in in AFS and HFT/Current category		Nil

4.1.1 Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category

Bank has not sold any security directly from HTM category.

4.2 Non-SLR Investment Portfolio

4.2.1 Non-performing Non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As on 31.03.2026
Opening Balance	Nil
Additions during the year	Nil
Reductions during the year	Nil
Closing Balance	Nil
Total Provision held	Nil

4.2.2 Issuer composition of Non SLR Investments as on 31.03.2026

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	PSUs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2	FIs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Banks	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Private Corporates	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5	Subsidiaries/Joint Ventures	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Others	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
7	Provision towards depreciation	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 Repo Transactions (in face value and market value terms)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		365 Days Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2026	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under Repo								
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Securities purchased under Reverse Repo								
a) Government Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4 Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31
Securities lent through GSL transactions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities borrowed through GSL transactions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities placed as collateral under GSL transactions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities received as collateral under GSL transactions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

5 ASSET QUALITY

5.1 Classification of advances and provisions held:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars		Standard	Non-Performing				Total
			Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total non-Performing Advances	
(i)	Gross Standard Advances and NPAs							
	a)	Opening balance	4677.13	50.28	174.37	18.65	243.30	4920.43
	b)	Add: Additions during the year					91.13	
	c)	Less: Reduction during the year					70.99	
	d)	Closing Balance	5194.35	61.12	178.98	23.35	263.45	5457.80
		*Reduction in Gross NPAs due to						
	i	Upgradation					24.36	
	ii	Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					31.80	
	iii	Technical/Prudential Write Offs					14.83	
	iv	Write Offs other than those under (iii) above					1.95	
	(ii)	Provisions (excluding Floating provisions)						
	a)	Opening balance of provisions held	14.39	7.63	133.33	18.65	159.61	173.99
	b)	Add: Fresh Provisions made during the year					23.56	
	c)	Less: Excess provisions reversed/write off loans					20.69	
	d)	Closing Balance of Provisions held	16.86	10.77	131.87	19.83	162.47	179.33

(iii)	Net NPAs*						
	a)	Opening balance				83.69	
	b)	Add: Fresh Additions during the year				17.28	
	c)	Less: Reductions during the year				-	
	d)	Closing Balance				100.97	-
iv)	Floating Provisions						
	a)	Opening balance					
	b)	Add: Additional Provisions made during the year					
	c)	Less: Amount drawn down during the year					
	d)	Closing Balance of Floating provisions					
v)	Technical write-offs and the recoveries made thereon						
	a)	Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts					44.66
	b)	Add: Technical/ Prudential write offs during the year					14.83
	c)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written off accounts during the year					5.12
	d)	Closing Balance					54.37

Ratios (in per cent)	Current Year
Gross NPA to Gross Advances	4.83%
Net NPA to Net Advances	1.91%
Provision Coverage Ratio	68.23%

5.2 Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ crore)

Sector	Current Year		
	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPAs to total Advances in that sector
Priority Sector			
Agriculture and Allied Activities	1537.99	115.51	7.51
Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	508.74	49.23	9.68
Services	1672.22	84.21	5.04
Personal Loans	437.50	2.96	0.68
OTHERS	18.09	1.61	8.90
Sub Total A	4174.54	253.52	6.07
Non-Priority Sector			
Agriculture and Allied Activities	0.00	0.00	0
Industry	0.00	0.00	0
Services	0.00	0.00	0
Personnel Loans	920.58	9.11	0.99
OTHER LOANS	362.68	0.82	0.23
Sub Total B	1283.26	9.93	0.77
TOTAL (A+B)	5457.80	263.45	4.83

5.3 Particulars of Loans Restructured

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	31.03.2026
	Total amount of Loan assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	1739.80
1.	Amount of standard assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	1739.80
2.	Amount of Sub-standard assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	Nil
3.	Amount of doubtful assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	Nil

5.4 Details of accounts subjected to restructuring :

Particulars		Agriculture & Allied Activities	Corporates (excluding MSME)	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	Retail (excluding Agriculture and MSME)	Total
		Current Year	Current Year	Current Year	Current Year	Current Year
Standard	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
Sub-standard	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
Doubtful	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
Total	Number of borrowers	NA	NA	NA	NA	NA
	Gross Amount (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA
	Provision held (₹ crore)	NA	NA	NA	NA	NA

5.5 Disclosure of transfer of Loan exposures:

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)			
(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs	
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL	
Aggregate consideration paid	NIL	NIL	
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL	

5.6 Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities

		As at 31st March 2026	As at 31st March 2026
		Secured* Portion	Unsecured Portion
I	Outstanding Guarantees (₹ crore)	8.77	-
	i) In India	8.77	-
	ii) Outside India	-	-
II	Acceptances, Endorsements and other Obligations (₹ crore)	-	-
III	Other NFB Credit facilities (₹ crore)	-	-

5.7 Fraud Accounts

Particulars	Current Year
Number of Fraud reported	4
Amount involved in Frauds (in crore)	0.66
Amount of provision already made for such frauds (in crore)	Nil
Amount of provision made for such frauds during the year (in crore)	0.31
Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in crore)	Nil

All the frauds have been reported to NABARD on Ensure portal vide FMS returns.

* For the difference amount i.e (0.35 crore), recovery in the accounts was effected, as such no provision was made.

5.8 Disclosure under Resolution framework for COVID-19 related Stress:

A special window under the prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BO.BN/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Banks shall make disclosures in the format prescribed below every half-year, i.e., in the financial statements as on September 30 and March 31, starting from the half-year ending September 30, 2021 till all exposures on which resolution plan was implemented are either fully extinguished or completely slip into NPA, whichever is earlier.

Format for Disclosure to be made for period 01-05-2025 to 31-03-2026

(Amount in ₹ crore)

TYPE OF BORROWER	EXPOSURE TO ACCOUNTS CLASSIFIED AS STANDARD CONSEQUENT TO IMPLEMENTATION OF RESOLUTION PLAN – POSITION AS AT THE END OF THE 01.05.2025 (A)	OF (A), AGGREGATE DEBT THAT SLIPPED INTO NPA DURING THE HALF-YEAR	OF (A) AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE HALF-YEAR	OF (A) AMOUNT PAID BY THE BORROWERS DURING THE HALF-YEAR	EXPOSURE TO ACCOUNTS CLASSIFIED AS STANDARD CONSEQUENT TO IMPLEMENTATION OF RESOLUTION PLAN – POSITION AS AT THE END OF THIS 30.09.2025
Personal Loans	0.7253997	--	--	0.0645616	0.6463760
Corporate persons*	--	--	--	--	--
Of which MSMEs	--	--	--	--	--
Others	0.7833270	--	--	0.1353658	0.6165889
Total	1.5087268	--	--	0.1999274	1.2629649
* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					
Restructured MSME accounts					
MSMEs	8.5166214	-	--	4.5635659	4.5451419
Grand Total	10.0253482	--	--	4.7634933	5.8081068

(Amount in ₹ crore)

TYPE OF BORROWER	EXPOSURE TO ACCOUNTS CLASSIFIED AS STANDARD CONSEQUENT TO IMPLEMENTATION OF RESOLUTION PLAN – POSITION AS AT THE END OF THE PREVIOUS HALF -YEAR (A) (SEP-2025)	Of (A), AGGREGATE DEBT THAT SLIPPED INTO NPA DURING THE HALF-YEAR	Of (A) AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE HALF-YEAR	Of (A) AMOUNT PAID BY THE BORROWERS DURING THE HALF-YEAR	EXPOSURE TO ACCOUNTS CLASSIFIED AS STANDARD CONSEQUENT TO IMPLEMENTATION OF RESOLUTION PLAN – POSITION AS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR (MARCH-2026)
Personal Loans	0.6463760	--	--	0.0833062	0.6054191
Corporate persons*	--	--	--	--	--
Of which MSMEs	--	--	--	--	--
Others	0.6165889	--	--	0.1593156	0.5138018
Total	1.2629649	--	--	0.2426218	1.1192210
* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					
Restructured MSME accounts					
MSMEs	4.5451419	0.2828826	--	7.3882264	7.8873598
Grand Total	5.8081068	0.2828826	--	7.6308482	9.0065808

6. EXPOSURES

6.1 Exposures to Real

(Amount in ₹ Crore)

S. N.	Particulars		As on
			31.03.2026
1.	Direct Exposure		
	(i)	Residential Mortgages**	556
		Lending's fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (**includes Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector amounting to Rs.437 Crore)	
	(ii)	Commercial Real Estate	1.06
		Lending's secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development, and construction, etc.).	
	(iii)	Investment in Mortgage-Backed Securities and other securities exposures	NIL
	(a)	Residential	NIL
	(b)	Commercial real estate	NIL
2.	Indirect Exposure (Fund based & non-fund based exposure on National Housing Bank and housing finance companies)		NIL
	Total Exposure to Real Estate		557.06

The above disclosure is as complied and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

6.2 Details of single borrower limit/ group borrower limit exceeded by the Bank

The Bank has not exceeded single borrower limit and group borrower limit during the year.

6.3 Unsecured Advances

Statement of loans & Advances secured by Intangible Assets viz. Rights, Licenses, and Authorizations etc.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Total unsecured advances of the Bank	NIL
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	Nil
Estimated value of such intangible securities	NIL

6.4 Loans against gold and silver collateral

a) Details of loans extended against eligible gold and silver collateral

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a) + (b)]	-	-	-	-	-
(a) Consumption loans	-	-	-	-	-
of which bullet repayment loans	-	-	-	-	-
(b) Income generating loans	-	-	-	-	-
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c) + (d)]	-	-	-	-	NA
(c) Consumption loans	-	-	-	-	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	-	NA
(d) Income generating loans	-	-	-	-	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	-	-	-	-	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	-	-	-	-	NA
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	-	-	-	NA	NA
(e) Consumption loans	-	-	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	NA	NA
(f) Income generating loans	-	-	-	NA	NA

6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	-	-	-	NA	NA
(g) Consumption loans	-	-	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	NA	NA
(h) Income generating loans	-	-	-	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	-	-	-	NA	NA
(i) Consumption loans	-	-	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	NA	NA
(j) Income generating loans	-	-	-	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	-	-	-	-	-
(k) Consumption loans	-	-	-	-	-
of which bullet repayment loans	-	-	-	-	-
(l) Income generating loans	-	-	-	-	-

b) Details of gold and silver collateral and auctions

S. N.	Particulars	
a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	-
b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	-
c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b)	-
d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	-
e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	-
f)	Recovery made through auctions during the FY (in ₹ crore)	-
g)	Recovery percentage:	-
h)	as % of value of gold or silver collateral	-
i)	as % of outstanding loan	-

6.5 Exposures to Related Parties

Details of exposures to related parties is given as under:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	Current Year
A. Loans to Related Parties		
1.	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	-
2.	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31 st March	-
3.	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31 st March (in %)	-
4.	Aggregate value of outstanding loans to related parties which are categorized as:	-
	(i) Special Mention Accounts as on 31 st March	-
	(ii) Non-Performing Assets as on 31 st March	-
5.	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31 st March	-
B. Contracts and Arrangements involving Related Parties		
6.	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	-
7.	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31 st March	-

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Total Deposits of 20 largest depositors (Rs. in Crore)	104.89
Percentage of Deposit of 20 largest depositors to total Deposits of the Bank	1.26%

7.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Total Advances to 20 largest borrowers (Rs.in Crore)	56.25
Percentage Advances to 20 largest borrowers to total advances of the Bank	1.03%

7.3 Concentration of Exposure

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Total Exposure to 20 largest borrowers/customers (Rs.in Crore)	76.93
Percentage of Exposure to 20 largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	1.41%

7.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Total Exposure to top 4 NPA accounts (Rs.in Crore)	2.80
Percentage of exposures to the twenty largest exposure to total Gross NPAs	2.70%

8. Derivatives

Bank has not entered into any transactions in derivatives in the current year.

9. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	21.53
Add : Amounts transferred to DEAF (during the Year)	5.08
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	1.20
Closing balance of amounts transferred to DEAF	25.41

10. Disclosure of Complaints

- a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the offices of Ombudsman.

S. N.	Particulars	31.03.2026
Complaints received by the bank from its customers		
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	1
2.	Number of complaints received during the year	300
3.	Number of complaints disposed during the year	289
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	NIL
4.	Number of complaints pending at the end of the year	12

Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	26
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	25
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories by Office of Ombudsman	01
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL

b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints (i.e complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM/Debit Cards	NIL	3	+50 %	1	NIL
Mobile Banking	NIL	20	+150 %	1	NIL
Loans and Advances	NIL	95	+1.06 %	4	NIL
Staff Behaviour	1	66	+53.49 %	2	NIL
Others	NIL	142	+91.89 %	4	NIL
Total	1	326	+47.51 %	12	NIL

11. Penalty imposed by Reserve Bank of India (RBI)/National Agricultural Bank for Rural Development (NABARD)

No penalty has been imposed by the RBI / NABARD on the Bank during the year ended March 31st 2026.

12. OTHER DISCLOSURE:

12.1 Business Ratios:

S. N.	Particulars	During the period 01-05-2025 to 31-03-2026
(i)	Interest income as a percentage to working funds	7.45 %
(ii)	Non-Interest income as a percentage to working funds	0.37 %
(iii)	Cost of Deposits	5.01 %
(iv)	Net Interest Margin	3.24 %
(v)	Operating Profit/loss(-) as a percentage to working funds	-0.02 %
(vi)	Return on Assets	-0.34 %
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore) as on 31-03-2026	9.69
(viii)	Net Profit/Loss per employee (in ₹ crore)	-0.02

* The above disclosure is as compiled and certified by the Bank's management and relied upon by the auditors.

12.2 Bancassurance Business

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the Bank are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	01-05-2025 to 31.03.2026
1.	Life Insurance Business	0.87
2.	Health Insurance	0.35
3.	General Insurance	1.62
	Total	2.84

12.3 Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

During the period from 01-05-2025 to 31-03-2026, the bank has sold Priority Sector Advances of Rs.166 crore under PSLC scheme in the category of PSLC-SF /MF and earned premium of Rs.4.78 crore have been included in "Profit and Loss Account" under the head "Non Interest Income" as per the detail given below:

(Amount in ₹ crore)

PSLC SOLD		PSLC Purchased		Net profit during the period from 01-05-2025 to 31-03-2026
Total Sold	Premium Received	Total Purchased	Premium Paid	
166	4.78	Nil	Nil	4.78

12.4 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the Head "Expenditure in Profit and Loss Account" is as under :

(Amount in ₹ crore)

Particulars	For the year ended 31.03.2026
Provision against NPA's	23.56
Provisions on Standard Assets	2.47
Provision for depreciation on investments	Nil
Provision for frauds and embezzlements	0.31
Provision for Bonus*	Nil
Provision for Pension*	24.62
Provision for contingent liabilities	Nil
Provision for Wage Revision	1.82
Provision for FITL Debt under Resolution Framework 2.0	Nil
Total	52.78

- The provision for Bonus to employees for current year is Nil and provision for employee Pension of Rs.24.62 Crore and Wage Revision Provision of Rs. 1.82 Crore have been included in "Profit and Loss Account" under the head "Payment to & Provisions for Employees" under "Operating Expenses" instead of "Provisions & Contingencies".

12.5 Payment of DICGC Insurance Premium

The bank has paid applicable deposit insurance premium to DICGC within the prescribed timelines.

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	Current Year
1	Payment of DICGC Insurance Premium	10.24
2	Arrears in payment of DICGC premium	Nil

12.6 Miscellaneous Amount of Provisions made for taxes during the year

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year
Deferred Tax Asset*	Nil
Deferred Tax Liability*	Nil
Income Tax	Nil

- Only material items have been considered for computing Deferred Tax Liability & Asset.

12.7 For any item under the “Others (including provisions)” exceeding one percent of the total assets

Pension provision amounting to ₹ 102.97 crores are lying in other provisions and are shown in the Schedule 5 under the head “Others (including Other Provisions).

13. Additional Disclosures

13.1 Disclosures in respect of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

13.1.1 Accounting Standard AS 9- Revenue Recognition

There are no material deviations in the recognition of items of income, which are required to be disclosed as per Accounting Standard–9, read with the RBI guidelines.

13.1.2 Accounting Standard AS 10-Property, Plant & Equipment

- a) The fixed assets are depreciated as per straight line method, considering residual value at 5% of original cost, as per the provisions of Companies Act 2013 based on the useful life of the assets prescribed in Part C of the Schedule II of the Companies Act 2013 as given hereunder :

S. N.	NAME OF HEAD	DEPRECIATION METHOD	USEFUL LIFE
1.	Building with RCC	Straight Line Method	60 YEARS
2.	Furniture & Fixtures	Straight Line Method	10 YEARS
3.	Plant & Machinery	Straight Line Method	15 YEARS
4.	Vehicle	Straight Line Method	08 YEARS

- b) Premium paid for leasehold properties is amortized over the period of lease.
- c) Depreciation on computers (including ATMs/CDMs) along with software, forming integral part of the computers is computed at 33.33% on straight line method for the full year in terms of RBI guidelines taking residual value as Nil. Useful life of the mobile phones is considered to be 2 years and the depreciation is charged in straight line method for the full year as per provisions of Companies Act 2013 with no residual value.
- d) Electric fitting if fixed during construction is classified in Furniture & Fixtures, otherwise electric fitting is classified in Plant and Machinery

13.2 Accounting Standard AS 12 –Government Grants

- a) The subsidy/grant received, if any, during the year against purchase of any specific fixed asset is reduced from the cost of the respective asset and the depreciation is charged on reduced value of such fixed asset.
- b) During the year grants to the tune of Rs. 44,28,568.47/- are received/receivable for the acquisition of certain fixed assets/software from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and the Payments Infrastructure Development Fund (RBI).

13.3 Accounting Standard AS 15 –Employees Benefits

Defined Benefit Plans

The Employee's Gratuity Fund Scheme and Leave Encashment are defined benefit plans. The Bank has received Gratuity and Leave Encashment actuarial valuation as on 31.03.2026 from M/s B. Chatterjee International Consultant. The Bank has invested its funds for Gratuity and Leave Encashment with Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Company Ltd.

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	For the period ended 31.03.2026	
		Gratuity	Leave Encashment
1	Present value of obligations as per actuarial valuation for March 2026	50.97	41.14
2	Fund value with Life Insurance Corporation of India and SBI Life Insurance Company Ltd.	45.85	44.09
3	Balance, being shortfall	5.12	Nil
4	Provisions already created by the Bank in Q1, Q2, Q3	3.68	4.32
5	Provision made in Q4 ended March 2026	1.44	Nil
6	Shortfall	Nil	Nil

S. N.	Particulars	Gratuity	Leave Encashment
		31.03.2026	31.03.2026
1.	Discount Rate	7.58 %	7.58 %
2.	Expected ROR	7.00 %	7.00 %
3.	Rate of escalation in salary	6.00 %	6.00 %
4.	Attrition rate	5.00 %	5.00 %
5.	Method Used	Projected Unit Credit Method	
6.	Benefits Paid w.e.f 01.05.2025 to 31.03.2026 (Amount in ₹ crore)	9.22	4.54

- A.** The Ministry of Finance (Department of Financial Services) vide Gazette Notification under sub-section (1) of Section 23A [S.O. 1628(E)] ordered the amalgamation of J&K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank (both transferor RRB) into a single Regional Rural Bank named as Jammu and Kashmir Grameen Bank (transferee RRB) w.e.f. from 1st May 2025. Further as per point no-11 of National Level Standard

procedure regarding amalgamation of Regional Rural Banks shared by NABARD, special audit of Transferor RRBs has been conducted in respect of all transferor banks as on date of dissolution i.e. 30.04.2025.

- B.** Further, to meet the expenditure and expected increase in pension liability arising due to revision of Dearness Relief (on half yearly basis)/ amalgamation of JKGB and EDB, bank has made provision amounting to Rs. 24.62 Crore w.e.f. from May to March 2026 during FY 2025-26. The details of which is tabulated below :-

DETAILS	(Amount in ₹ Crore)	
Provision made on account of Revision of DR rate and shortfall of Pension (as per valuation). Liability has increased due to revision in Pension basic/ amalgamation of JKGB and EDB/ drainage of funds (in form of Pension and commutation)/lower average return etc.	May-June 2025	4.10
	Q2	5.50
	Q3	9.22
	Q4	5.80
	Total	24.62

- C.** Further, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter F.NO. 8/4/2024-RRB dated 03.10.2024 had accorded approval for implementation of Pension Scheme in RRBs with effect from 01.11.1993 (which was under implementation w.e.f. 01.04.2018) along with payment of consequential arrears to the eligible pensioner's/family pensioners. Accordingly complying with the timelines provided by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, erstwhile JKGB and erstwhile EDB has released pension arrears @ 20%, then @30% and subsequently @50%. The total arrears of pension paid amounts to ₹44.42 crore in case of erstwhile JKGB and ₹18.70 crore in case of erstwhile EDB.
- D.** Further, NABARD, Mumbai, vide their letter No. NB. HO.IDD.RRb/172918/(316-RRB Policy)/ 2024-25 dated 26.03.2025, has advised that the RBI has permitted RRBs to amortize the expenditure, on account of revision of Pension over a period of five years, beginning with the financial year ending 31 March 2025, subject to minimum of 20% of the total pension liability being expensed each year. The details of amount amortized by Bank is mentioned below:

S. N.	Particulars	Erstwhile JKGB (in cr)	Erstwhile EDB (in cr)
1.	Total Pension liability to be amortized in five years beginning with the financial year ending 31 March 2025.	44.42	18.70
2.	Pension liability amortized for financial year ended March 2025. (being 1/5th of total pension liability).	8.88	3.74

3.	Pension liability amortized for April 2025	0.74	0.31
4.	Pension liability amortized from May 2025 to March 2026	11.57	
5.	Pension liability to be amortized in next 03 Financial Years	37.88	

E. Provisioning for payment of pending wage revision and other allowances

During FY2025-26, Bank has made a provision of ₹1.82 crore for payment of pending wage revision allowances in line with 12th Bipartite Settlement/ 9th Joint Note and other allowances i.e Employer's contribution towards National Pension Scheme (NPS) from 10% to 14% of Pay and Dearness Allowance, Fixed Personal Pay (FPP) and Leave Fare Concession Travelling Allowance (LFC TA).

13.4 Accounting Standard AS 17 –Segment Reporting

As per Accounting Standard 17, Bank recognizes Business Segment as primary reporting segment and Treasury as secondary reporting segment.

During the period 01-05-2025 to 31-03-2026, revenue from business segment was ₹ 462.57 crore (interest income & other income) and revenue from Treasury was ₹ 256.35 crore.

As the bank does not have any overseas branch, there is no requirement as to reporting of geographical segment.

13.5 Accounting Standard AS 18 – Related Party Disclosure

i) Particulars of related party transactions are as under:

(Amount in ₹ crore)

Items/Related Party	J&K Bank Ltd (Sponsor Bank)
Outstanding as on 31.03.2026	
Borrowings	15.77*
Deposits	2224.36
Other Liabilities (Investment by J&K Bank)	345.92
Advances	NIL
Investments	NIL
Other Assets	NIL
Maximum outstanding from 01.05.2025 to 31.03.2026	
Borrowings	15.77*
Deposits	2304.91

Other Liabilities (Investment by J&K Bank)	345.92
Advances	74.50
Investments	NIL
Other Assets	NIL
During the period from 01.05.2025 to 31.03.2026	
Interest Income	130.99
Interest Expenditure	0.78
Fixed Assets purchased from	NIL
Fixed Assets sold to	NIL
Income from services rendered to	NIL
Expenses for receiving services from Sponsor Bank	1.09

****Rs. 15.77 crore is 50% share of Sponsor Bank for implementation of CBS by Erstwhile J&K Grameen Bank and Erstwhile Ellaquai Dehati Bank in the form of Investment in Tier II perpetual bonds.***

Items/Related Party	Mr. Sanjay Gupta (Chairman)
Period for which post held	01.05.2025 to 31.03.2026
Investments	Nil
Interest/Commission Received	Nil
Salary (Amount in crore)	₹ 0.37

ii) Disclosure on remuneration

Particulars of remuneration of Chairman, General Managers and other staff on deputation from Sponsor Bank

(Amount in crore)

	CHAIRMAN	GENERAL MANAGERS	OTHER STAFF
Salaries & Allowances	₹ 0.37	₹ 0.98	₹ 1.29
Total	₹ 0.37	₹ 0.98	₹ 1.29

13.6 Accounting Standard AS 19- Leases

The properties taken on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank. The lease entered by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months' notice in writing. Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the period 01-05-2025 to 31-03-2026 is ₹5.86 crore.

13.7 Accounting Standard AS 22-Accounting on Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 accordingly Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized.

(Amount in ₹ crore)

Timing Difference	Deferred Tax Asset (DTA)	Deferred Tax Liabilities DTL
Depreciation on Assets	-	-
Carry Forward Losses & Unabsorbed Depreciation	-	-

Net Deferred Tax Assets : ₹ 85.90 crore

Deferred Tax Impact for the year : ₹ Nil

13.8 Earnings per Share

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026
Net Profit during the year	-28.35
Number of shares	98.84
Earning Per share	-0.29

13.9 Accounting Standard AS 28-Impairment of Assets

The bank's asset substantially comprises of financial assets, which are not covered by AS 28-Impairment of Assets. In the opinion of Bank's Management there is no impairment in the value of its non-financial assets in terms of said Accounting Standard.

13.10 Accounting Standard AS 29-Provisions against Contingent Liabilities and Contingent Assets

In respect of Contingent Liabilities under each class shown as per schedule 12, in the opinion of the Management, the possibility of any out flow in settlement is remote hence no provision is required to settle the obligations.

13.11 Details / Utilization of Floating Provisions

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As on
	31-03-2026
Opening balance	Nil
Additions made during the year	Nil
Draw Down made during the year	Nil
Closing balance	Nil

14. Other Disclosures

14.1 The Bank has incurred a loss of ₹28.35 Crore during the period from 01-05-2025 to 31-03-2026 and total net accumulated losses of the Bank stands at ₹ 747.13 Crore as on 31st March 2026. The CRAR stood at 3.66% as on 31st March 2026 against the minimum stipulated regulatory requirement of 9%.

14.2 Reconciliation / adjustment of Inter-Bank / inter-Branch transactions, Branch Suspense, System Suspense, Clearing, and Sundry Deposits is in progress on an ongoing basis. The impact, in the opinion of the management of the un-reconciled entries, if any, on the financial statements would not be material and shall be accounted/adjusted on reconciliation thereof.

14.3 Interest on Overdue Term Deposits

The Bank follows policy of providing interest on overdue time deposits interest at Savings Bank rate or the contracted rate of interest on the matured term deposit whichever is lower paid for the overdue period in conformity with guidelines of Reserve Bank of India.

14.4 Interest subvention to Farmers

In terms of NABARD Mumbai Circular No. 193/DoR-37/2024 dated 03.06.2024 issued under Ref no. NB. DoR/9060-9090/IS-1/2024-25. An amount of ₹.6,85,31,187/- (Rupees Six Crore Eighty Five Lakh Thirty One Thousand One Hundred Eighty Seven only) shall be payable to 35549 prompt paying farmers, who have availed crop loan/ KCC under ST-SAO, as an additional interest subvention as an incentive to farmers which is yet to be claimed from Government of India (GOI) through Kisan Rin portal.

14.5 Rehabilitation Package-2025 to Borrowers Hit by Disturbances in UT of J&K and Ladakh

The Bank rehabilitated 224 number of accounts involving amount of ₹3.54 Crore under the package.

14.6 Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme (ADWDRS-2008)

A claim amounting to ₹22.84 Lakh is pending with NABARD/Government of India (GOI) under Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008(ADWDRS-2008).

14.7 Provision for diminution in the value of Investments

As per RBI Circular No.RPCD.CO.RRB.BC.No./74/03.05.33/2013-14 dated January 07, 2014, Bank has introduced MTM norms in respect of SLR securities w.e.f April 01, 2014. Bank has classified entire portfolio of SLR under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for Sale', and 'Held for Trading' as on 31.03.2026 and SLR holdings under HTM category is within the limit prescribed by the RBI. Thus, no provision for diminution in value of securities is required to be made.

14.8 Disclosures regarding un-realized Interest held in Suspense account

Un-realized interest on NPAs amounting to ₹377.32 Crore held in suspense account and not taken to profit and loss account as on 31.03.2026.

14.9 The Sponsor Bank has claimed an expenditure of ₹1,09,33,064.46 (Rupees One Crore Nine Lakh Thirty-Three Thousand Sixty-Four and Forty-six paise only) for FY 2025-26 being the cost incurred by it for providing infrastructure facility and project Management services on various technology initiatives implemented at Bank. The amount has been provided for during the year under the head 'Other Expenditures'.

14.10 Provision Coverage Ratio (PCR)

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2026 is 68.23% as compared to 70.94% as on 30th April 2025.

14.11 Micro Small and Medium Enterprises Development Act

With regard to disclosure relating to MSME under the Micro Small & Medium Enterprises Development Act 2006, payments to Micro and Small Enterprises suppliers have not exceeded 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of Section 9 of the Micro Small & Medium Enterprises Development Act 2006 (27 of 2006).

14.12 The Principal Accounting Policies (Schedule 17) and Notes to Accounts (Schedule 18) form an integral part of these Accounts.

Sd/-
Sanjay Gupta
 Chairman

Sd/-
Sunit Kumar
 Director

Sd/-
A. K. Thakur
 Director

Sd/-
Shubhabrata Ghosh Maulik
 Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
 Chartered Accountants
 FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
 Partner
 MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 24.04.2026

CASH FLOW STATEMENT

		(Rs. 000' omitted) Period ended from 01.05.2025 to 31.03.2026
A.	Cash Flow from Operating Activities	1,296,240
B.	Cash Flow from Investing Activities	(68,295)
C.	Cash Flow from Financing Activities	-
	Net change in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	1,227,945
D.	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	23,683,321
E.	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	24,911,266
A.	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	
I	Net Profit After Tax	(283,493)
	Provision for Income Tax	-
	Deferred Tax Asset	859,030
	Deferred Tax Liability	-
	Total (I)	575,537
II	Adjustments:	
	Depreciation on Fixed Assets	64,173
	Provision for NPA Advances	235,615
	Amortisation of Investments	
	Provision for diminution in value of Investments	-
	Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-
	Total (II)	299,788
	Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities [Total (I) + (II)]	875,324
III	Change in Operating Assets & Liabilities	
	Increase (Decrease) in Deposits	6,555,484
	Increase (Decrease) in Borrowings	755,213
	Increase (Decrease) in Investments	186,857
	Increase (Decrease) in Advances	(5,580,627)
	Increase (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(1,236,245)
	Increase (Decrease) in Other Assets (other than Pre-paid taxes excluding accumulated losses)	(259,766)
	Total (III)	420,916
	Cash Generated from Operations [Total (I) + (II) + (III)]	1,296,240
	Less : Tax paid (Advance Income tax and TDS)	-
	Net cash from Operating Activities	1,296,240

B.	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	
a.	Purchase of Fixed Assets (net of sales)	(68,295)
	Total	(68,295)
C.	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	
a.	Capital	-
b.	Share Capital Deposits	-
c.	Dividends/Withdrawals made	-
	Total (a...c)	-
D.	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	
a.	Cash in Hand	114,643
b.	Balance with Reserve Bank of India	3,155,160
c.	Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	20,413,518
	Total (a...c)	23,683,321
E.	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	
a.	Cash in Hand	90,375
b.	Balance with Reserve Bank of India	2,489,695
c.	Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	22,331,196
	Total (a...c)	24,911,266
Note 1. All figures in brackets represents "Cash Out Flow".		
2. Direct Taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.		

Sd/-
Sanjay Gupta
 Chairman

Sd/-
Sunit Kumar
 Director

Sd/-
A. K. Thakur
 Director

Sd/-
Shubhabrata Ghosh Maulik
 Director

In terms of our report of even date annexed
For Dharam Raj & Co.
 Chartered Accountants
 FRN : 014461N

(CA Sunil Chowdary)
 Partner
 MRN : 508018

Place : Jammu
Date : 24.04.2026

LIST OF BRANCHES

DISTRICT : ANANTNAG	BONIYAR	TANGMARG
AISHMUQUAM	BOTINGO	TILGAM
AKOORA	CHANDILORA	TREGPORA
ANANTNAG	DOBIWAN	TUJAR SHARIEF
ANCHIDORA	DORU	UMAR MARKET
BATENGO-KHANABAL	GINGAL	URI
BIDDER	GOSHU BUG	WAGURA
BIJBEHARA	HANJIWARA	WAGUB SOPORE
BUCHOO	HYDERBEIG	WAILU KRALPORA
DIALGAM	HAIGAM	WARAPORA
DORU	KACHUMUKAM	WUTARGAM
HARD TOROO	KAKAR HAMAM	DISTRICT : BUDGAM
KANILWAN	KAMALKOTE	BADGAM
KHIRAM	KANISPORA	BEERWA
KULLAR	KARANK-SHIVAN	HANJURA
LARUN GANGIPORA	KHANPATH	KANIHAMA
SALIA	KHANPORA	KHAG
UTERSOO	KHORE (SHERABAD)	KRAL PORA
VESSU	KUNZAR	KRAMSHER
WAILOO	MIR GUND	OMPORA
YORKHOSHIPORA	NOORBAG(MODEL TOWN)	RAITHAN
DISTRICT : BANDIPORA	MOHALLA JADEED	WADWAN
ARAGAM	NEHALPORA	WATRA HAIL
ARINDARDPORA	NEW COLONY SOPORE	ZAINIGAM
ASHTINGO	OGMANA	DISTRICT : DODA
BANDIPORA	OTHURA	BADHERWAH
DAWAR GUREZ	PALHALAN	DODA
HAJIN	PATHLA	JATHELI
NADIHAL	PATTAN	PRANU
NOWGAM SONAWARI	PEERNIAN	DISTRICT : GANDERBAL
KOYAL MUKAM	PRINGAL	SADER KOTE
SUMBAL	REBAN	DAB
WATAPORA QUZIPORA	SANGRAMA	GUND(KANGAN)
DISTRICT : BARAMULLA	SEER JAGIR	LAR
AGRIKALAN	SHAREPORA (BANGIL)	MANIGAM
AZADGUNJ	SHIREEN (GUNTMULLA)	MARGUND
BIJHAMA	SINGHPORA KALAN	PANDECH
BUMAI	SOPORE (Main Bazar)	SHERPATRI

WAKURA	NARWAL	JAKHBAR
DISTRICT : JAMMU	PALLANWALA	KATHUA
AKHNOOR	PALOURA	MAHANPUR
ARNIA	PARGWAL	MANDLI
BADIYAL BRAHMNA	PHALAIAN	MARTA NAGROTA (PRETHA NAGROTA)
BAHU FORT	RIHAL DHAMALIAN	NAGRI PAROLE
BANTALAB	RS PURA	PALLI MORE
BASPUR	SAI	PARNALLA
BATERA	SANGRAMPUR	PHANTER
BHALWAL	SARORE	RAJBAGH
BISHNAH	SATRAYAN CAMP	SHERPUR BALA
TALAB TILLO BOHRI	SHAKTI NAGAR	DISTRICT : KISHTWAR
BRIJ NAGAR	SIMBAL CAMP	DOOL
CHAKROI	SIMBAL MORH	KISHTWAR
CHANNI HIMMAT	SRUINSAR	KRALPORA
CHATHA	BHARAT NAGAR (TALAB TILOO)	DISTRICT : KULGAM
CHOWKI CHOWRA	CHARISWAIL	AREH
DABLEHAR	CHECK CHANGERVERN	ARAWANI
DEOLI	KUNJWANI	CHOWGAM
DIGIANA	LOWER ROOP NAGAR	DEVSAR
GAJANSU	PURKHOO	KADDAR
GHO MANHASAN	RAIPUR SATWARI	KELAM
JANDRAH	TALAB KHATIKA	KHARBATPORA
JEEVAN NAGAR	TALI MORH	KULGAM
JOURIAN	TOMAL ANAND NAGAR	MUNAD GUFFAN
KALU CHAK	TOPE SHERKHANIA	PEHLOO
KALYANPUR	JAGTI	QASBA KHULL
KANHAL	DISTRICT : KARGIL	TARIGAM DEVSAR
KHERI	KARGIL	YARIPORA
KHOUR	DISTRICT : KATHUA	DISTRICT : KUPWARA
KIRPIND	BARWAL	BAGHI BALA
KOTLI JHAJAR	BHUND	CHOWKIBAL
KOTLI MIAN FATEH	CHADWAL	CHUGAL
LAXMI NAGAR, SARWAL	CHAN GRAN	DRAGMULLA
MAIRA	COLLEGE ROAD KATHUA	GULGAM
MALIK MARKET	DAYALA CHAK	HANDWARA
MISHRIWALA	DUGGAN	KALAMABAD
MUTHI	GUJRU NAGROTA	KANDI
NAGROTA	HARIPUR MOR	KHANTIPORA
NARDI	HATLI	

KHUMARYAL	THAB	NADH
KRALGUND	DISTRICT : RAJOURI	NANDPUR
KUPWARA	BAGNOTI	PANGDAUR
LADARWAN (KAWARI)	BAJABAIN (KANGRI)	PURMANDAL
LALPORA	BAWANI	RAMGARH
NATNUSA	CHANNI PARAT	RAYA
NAWGAM	CHINGAS	SAMBA
PUHRUPATH	Darhal Malkan	SMAILPUR
POSHWAN	DEVAK	SUMB
TAD	DHANGRI	SWANKHA MOR
TARATPORA	DHARAMSAL	SMAILPUR
WILGAM	DOONGI (BRAHMNA SASAKKOTE)	DISTRICT : SHOPIAN
YUNIS WHIPORA	KHEORA	HARMAN
DISTRICT : LEH	LAM	KAPREN
CHUCHOT YAKMA	MUNJA KOT	KELLER
LEH	NOWSHERA	PINJOORAH
SPITUK	PALAM	DISTRICT : SRINAGAR
DISTRICT : POONCH	RAJOURI	PANZI NARA
BAFLIAZ	SHAHDARA	SHALTENG
CHANDAK	SIALSUI	BUCHPORA
DHARGALOOON	SIOT	BALAHAMA
JHULAS	SOLKI	BATAPORA
MANDI	SUNDERBANI	BEMINA
MANKOTE	TATAPANI	GUPTA-GANGA
MENDHAR	TRIATH	HYDERPORA
POONCH	DISTRICT : RAMBAN	HARWAN
SURANKOTE	BANIHAL	LAVAPORA
DISTRICT : PULWAMA	CHANDERKOTE	NOWGAM
CHAKURA	MAITRA	PALAPORE
DADSARA	DISTRICT : REASI	HAZURI BAGH
HAWL	BAGHA	ZEWAN
KAKAPORA	KATRA	DISTRICT : UDHAMPUR
LAJORA	REASI	CHAK MORH
LETHPORA	DISTRICT : SAMBA	CHENANI
LITTER	GHAGWAL	JIB -THATHI
LORHGAM	GURAH SALATHIAN	KRIMACHI
MALANGPORA	JAKH	MALHARD
MORAN	KARTHOLI	RATHIAN (Extension Counter)
PULWAMA	MANDI SANGWALI	SUNDRANI
SHERSHALI		UDHAMPUR



जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक
JAMMU AND KASHMIR GRAMEEN BANK
Scheduled Bank Owned by Government

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26



जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक
JAMMU AND KASHMIR GRAMEEN BANK
Scheduled Bank Owned by Government

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26

शुभकामनाओं सहित :

श्री संजय गुप्ता
अध्यक्ष

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : नरवाल, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

अनुक्रमणिका

1. निदेशक मण्डल
2. प्रबन्धक टीम (दल)
3. जे एंड के ग्रामीण बैंक एक विहंगम दृष्टि में
4. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
5. अंकेक्षक की रिपोर्ट
6. तुलन-पत्र
7. लाभ-हानि लेखा
8. अनुसूची
9. शाखाओं की सूची



अध्यक्ष महोदय की कलम से...

"मजबूत संस्थानों की पहचान चुनौतियों के न होने से नहीं, बल्कि उनसे उबरने की उनकी क्षमता से होती है। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक का पहला साल एकीकरण और संघटित शक्ति का सफर रहा है - एक ऐसा सफर जो हमारे ग्राहकों के भरोसे, कर्मचारियों की लगन और स्टैकहोल्डर्स के अटूट समर्थन से ही मुमकिन हो पाया है।"

मुझे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक की पहली वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

यह साल एक एकजुट संस्थान के तौर पर हमारी यात्रा का एक अहम पड़ाव रहा। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 7 अप्रैल, 2025 को जारी गैज़ेट नोटिफिकेशन नंबर CG-DL-E-07042025-262329 के तहत, "वन स्टेट वन आरआरबी" पहल के चौथे चरण में जे एंड के ग्रामीण बैंक (जेकेजीबी) और एल्लाकाई देहाती बैंक (ईडीबी) के विलय को मंजूरी दी गई।

नतीजतन, जम्मू में हेड ऑफिस वाले और जे एंड के बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित नए बने रीजनल रूरल बैंक, 'जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक' ने 1 मई, 2025 को अपना कामकाज शुरू किया। बैंक ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के और आसानी से बैंकिंग सेवाएँ देते हुए सिस्टम, प्रोसेस, लोगों और कल्चर को एक साथ लाने की ज़िम्मेदारी के साथ अपना सफ़र शुरू किया।

विलय से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, बैंक ने नाबार्ड की एसओपी के तहत तय सभी अहम पड़ावों को सफलतापूर्वक हासिल किया। इनमें 15.09.2025 को सीबीएस यूनिफिकेशन, उसके बाद एचआर इंटीग्रेशन और 26.12.2025 को आईएस/माइग्रेशन ऑडिट जैसे मुख्य पड़ाव शामिल हैं।

परिचालन क्षेत्र

आज, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक 330 शाखाओं और एक्सटेंशन काउंटर्स के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की सेवा करता है, जिनका समर्थन 453 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट्स और 1,424 कर्मचारियों की समर्पित टीम करती है। बैंक 20.82 लाख से अधिक जमा खाते धारकों और 2.69 लाख ऋण खाते धारकों की सेवा करता है, और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए अपनी पहुँच को लगातार बढ़ा रहा है।

मजबूत नींव निरंतर प्रगति

वित्तीय वर्ष 2025-26 बैंक के लिए एक निर्णायक वर्ष था। अलग-अलग वित्तीय स्थितियों, सिस्टम, प्रक्रियाओं और कार्य संस्कृति वाले दो संस्थानों का एकत्रित होना, जबकि ग्राहकों को लगातार सेवा सुनिश्चित करना, एक बड़ी चुनौती थी। हमारे कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों और हमारे स्टैकहोल्डर्स के मार्गदर्शन के जरिए बैंक ने नाबार्ड के विलय रोडमैप के तहत निर्धारित सभी मील के पथरों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें सीबीएस एकीकरण, एचआर इंटीग्रेशन और सूचना प्रणाली तथा माइग्रेशन ऑडिट शामिल हैं, और वह भी नियामक समयसीमा से काफी पहले।

विलय की जटिलताओं के बावजूद, बैंक ने अपने बिज़नेस के बुनियादी आधार को मज़बूत करना और विकास की गति को बनाए रखना जारी रखा।

31 मार्च 2026 तक हमारा कुल व्यापार ₹13,799.51 करोड़ तक पहुँच गया, जो मर्ज हुई संस्था के शुरुआती बैलेंस की तुलना में ₹1,192.92 करोड़ की बढ़ोतरी दिखाता है। यह बढ़ोतरी हमारे संस्थान की मज़बूती, हमारे ग्राहकों के भरोसे और हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- कुल जमा राशि ₹ 655.55 करोड़ (8.53%) बढ़कर ₹ 8,341.71 करोड़ हो गई, जबकि एडवांसेज (कर्ज) ₹ 537.37 करोड़ (10.92%) बढ़कर ₹ 5,457.80 करोड़ हो गए। साल के दौरान, बैंक ने ₹ 2,969 करोड़ का नया कर्ज दिया, जिससे हमारे कामकाज वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिला।
- हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ₹4,174.54 करोड़ के साथ मज़बूत बनी रही, जो कुल एडवांस का 76.49% है, जबकि एग्रीकल्चरल एडवांस कुल एडवांस का 28.18% रहा। क्रेडिट-डिपॉज़िट रेश्यो बेहतर होकर 65.43% हो गया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.24% पर अच्छा बना रहा।

एसेट क्वालिटी और एनपीए मैनेजमेंट

समझदारी से क्रेडिट मैनेजमेंट करना हमारे कामकाज का मुख्य हिस्सा है। ग्राँस एनपीए रेश्यो अप्रैल 2025 के 4.94% से बेहतर होकर 31 मार्च 2026 को 4.83% हो गया, जबकि नेट एनपीए 1.91% रहा।

एनपीए रिकवरी के लिए हमारी खास रणनीतियों – जिनमें जेकेजीबी स्पेशल ओटीएस स्कीम 2025-26 (आज निपटान करें, वरना कल पछताएंगे और अन्नदाता ओटीएस ऑफर – किसानों के लिए आसान निपटान), ऑपरेशन थंडर कैम्पेन, सार्फ़ेसी के तहत कार्रवाई, और हेड ऑफिस व रीजनल ऑफिस में समर्पित रिकवरी टीम शामिल हैं – ने कर्ज लेने वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए स्ट्रेस्ड एसेट्स (फंसे हुए कर्ज) को कम करने में अच्छी प्रगति की है।

परिचालन संबंधी सुधार और उत्कृष्टता

वित्तीय वर्ष 2025-26 बड़े बदलाव लाने वाले सुधारों का साल भी रहा। इस साल की सबसे अहम उपलब्धियों में से एक थी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (डीएफएस) द्वारा तय समय-सीमा के भीतर आईटी इंटीग्रेशन का सफलतापूर्वक पूरा होना। इस मुश्किल काम में कोर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल चैनल और दूसरे ज़रूरी एप्लीकेशन को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से जोड़ना शामिल था। बैंक ने पेपरलेस वर्कप्लेस के लिए ई-ऑफिस एप्लीकेशन भी शुरू किया, AI-बेस्ड मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया, मॉडर्न वेबमेल इंटरफ़ेस पर माइग्रेट किया और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटीन्यूअस क्लियरिंग का पहला चरण लागू किया।

डिजिटल बैंकिंग में, बैंक ने एजुकेशन फ्रीस कलेक्शन के लिए 'पे नेस्ट' और पीओएस मर्चेन्ट्स के लिए साउंडबॉक्स (बूमबॉक्स X1) डिवाइस पेश किया। साथ ही, 1600-सीरीज़ का कस्टमर कम्युनिकेशन नंबर लॉन्च किया, सुरक्षित ".bank.in" डोमेन पर माइग्रेट किया और धोखाधड़ी वाले ट्रांसफ़र को रोकने के लिए बेनिफ़िशियरी अकाउंट नेम लुक-अप (BANL) सुविधा शुरू की। हमारा डिजिटल स्कोरकार्ड अब सभी डिजिटल चैनलों पर ब्रांच की परफ़ॉर्मेंस को ट्रैक करता है।

फाइनेंशियल इन्क्लूज़न (वित्तीय समावेशन) हमारे मिशन का मुख्य हिस्सा बना रहा। साल के दौरान, बैंक ने 5,887 फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप (वित्तीय साक्षरता शिविर) आयोजित किए। इनके ज़रिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.40 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर उन्हें बैंकिंग, बचत, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया गया। हमने 1,552 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को भी फ़ाइनेंस किया, जिससे समाज के उन वर्गों तक क्रेडिट की सुविधा पहुँची जिन्हें अब तक यह नहीं मिल पा रही थी। साथ ही, हमने 5 लाख से ज़्यादा पी एम जे डी वाई खाताधारकों को सहायता देना जारी रखा और सोशल सिक्योरिटी व डिजिटल सेवाओं के ज़रिए कुल ₹69.36 लाख का कमीशन कमाया।

ये कोशिशें इस बात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण आबादी के हर वर्ग तक पहुँचें। ये प्रयास इस बात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं कि औपचारिक बैंकिंग का लाभ ग्रामीण आबादी के हर वर्ग तक पहुँचे।

आगे का रास्ता

- आगे बढ़ते हुए, आने वाले वर्षों में हमारा ध्यान पांच रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित रहेगा:
- जमा राशि जुटाने की प्रक्रिया को मज़बूत करना
- प्राथमिकता वाले और कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देना
- ज़मीनी स्तर पर डिजिटल अपनाए जाने को बढ़ावा देना
- एसेट क्वालिटी में और सुधार
- अपने लोगों में निवेश करना

मैं डीएफएस, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश की सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नाबार्ड, जे एंड के बैंक लिमिटेड (हमारे प्रायोजक बैंक), हमारे बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, वैधानिक ऑडिटर्स, ग्राहकों और कर्मचारियों का उनके निरंतर सहयोग और भरोसे के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक में, हम समझते हैं कि हमारी भूमिका सिर्फ़ बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है। हम किसानों, उद्यमियों, स्वयं-सहायता समूहों और उन ग्रामीण परिवारों की उम्मीदों और तरक्की में उनके साथी हैं जो हमसे अवसरों और विकास की उम्मीद रखते हैं। एक संयुक्त संस्थान के तौर पर इस नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, हम हर दिन उनका भरोसा जीतने और जिन क्षेत्रों में हम सेवाएँ देते हैं, उनके विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पहले साल ने यह दिखा दिया है कि हम साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। आने वाले साल यह तय करेंगे कि हम क्या बन सकते हैं।

संजय गुप्ता

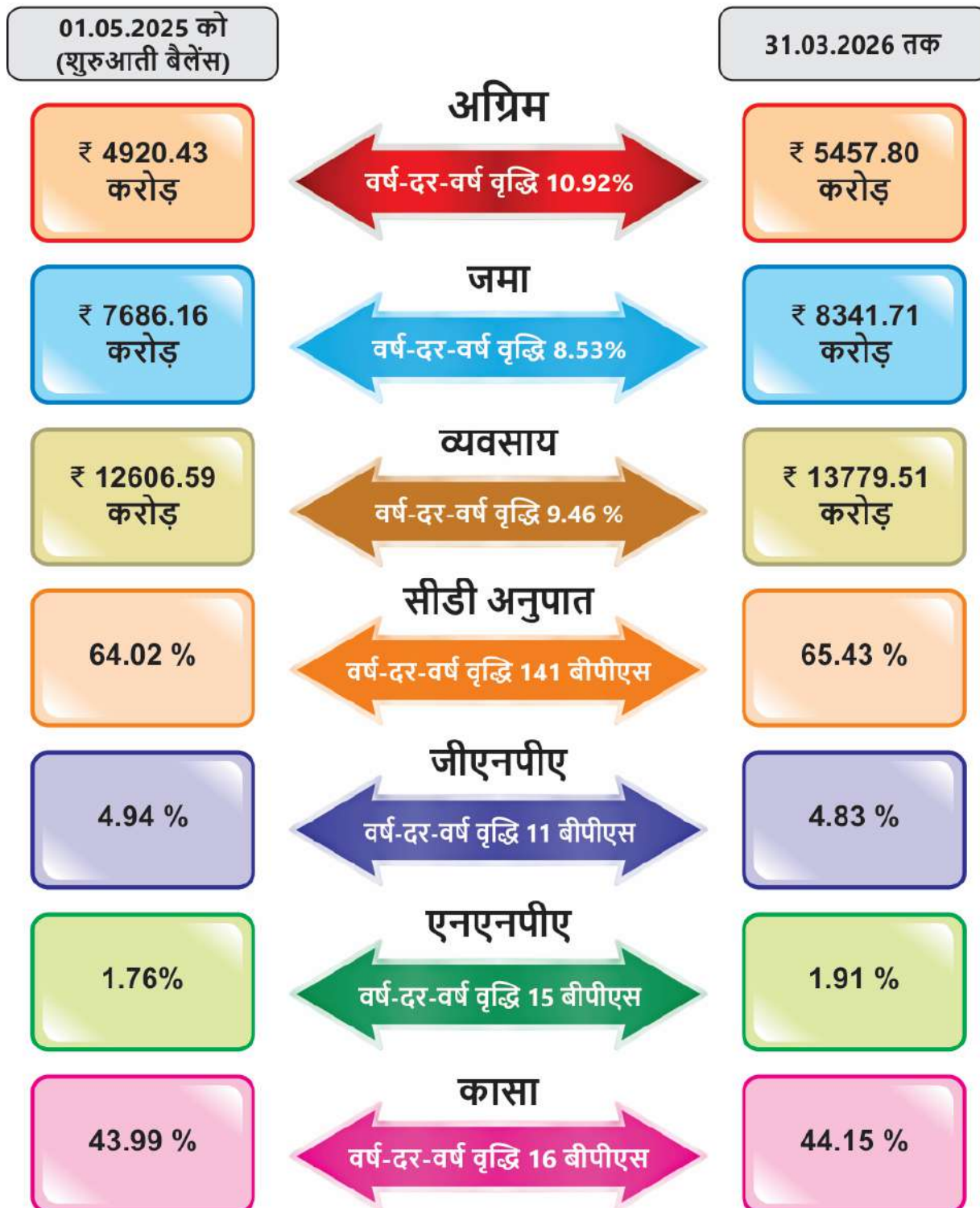
अध्यक्ष

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय: नरवाल, जम्मू

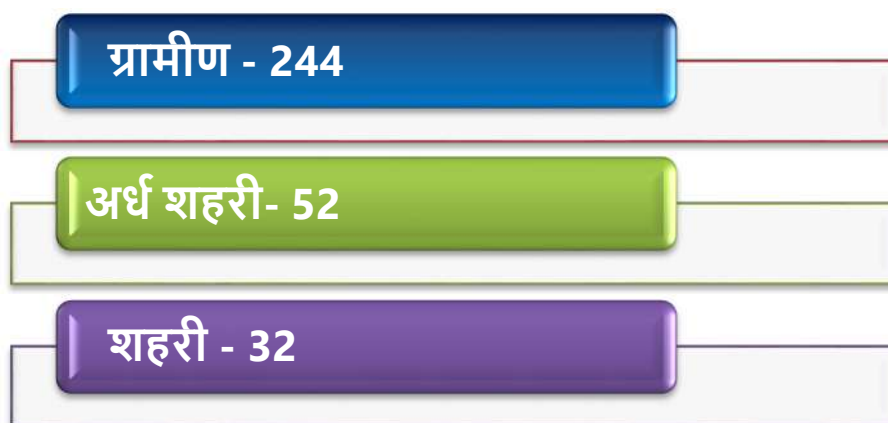


जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक पर एक नज़र



बैंक का संक्षिप्त विवरण

- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने आरआरबी एक्ट 1976 की धारा 23 A की उप-धारा (i) के तहत एक कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। इसके ज़रिए दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों – जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाक़ाई देहाती बैंक-का विलय करके "जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक" नाम का एक ही आरआरबी बनाया गया। इस नए बैंक का प्रधान कार्यालय जम्मू में है और इसने 1 मई, 2025 से अपना कामकाज शुरू कर
- बैंक का कामकाज का दायरा जम्मू-कश्मीर (जे एंड के) केंद्र शासित प्रदेश के बीस (20) ज़िलों और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दो (2) ज़िलों में फैला हुआ है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में 324 और लद्दाख में 4 शाखाएँ शामिल हैं। बैंक का मुख्य उद्देश्य दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना है। 31.03.2026 तक शाखा नेटवर्क का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:-



जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक की शाखाएँ जे एंड के और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।

- इस बैंक की स्थापना मुख्य रूप से दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने, ग्रामीण आबादी से बचत जुटाने (जिन तक कमर्शियल बैंक ठीक से नहीं पहुँच पाते थे), और खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्रेडिट सुविधाएँ देने के लिए की गई थी। इससे उन्हें खेती, कुटीर और लघु उद्योगों, खुदरा व्यापार, डेयरी और अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे आर्थिक काम करने में मदद मिली। इस प्रक्रिया से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिससे अंततः समृद्धि आई और रोजगार के अवसर पैदा हुए।

ऋण वितरण (ओ/एस) वित्त वर्ष 31-3-2026

गतिविधि	खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
केसीसी/फसल ऋण	151042	1388.76
कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अन्य टर्म लोन	9886	149.23
एमएसएमई	45185	1162.40
खुदरा व्यापार	27617	1018.56
शिक्षा	402	14.90
आवास	5097	437.49
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	700	3.20
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	239929	4174.54
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	29246	1283.26
कुल	269175	5457.80

01.05.25 से 31.03.26 की अवधि के दौरान भुगतान (राशि करोड़ में)



प्रमुख वित्तीय संकेतक

(राशि '000' में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2026 तक
1.	शामिल किए गए ज़िलों की संख्या	22
2.	शाखाओं की संख्या	328
	क) ग्रामीण	244
	ख) अर्ध शहरी	52
	ग) शहरी	32
3.	क) जेकेजीबी के कर्मचारियों की संख्या	1414
	ख) प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर	10
	ग) कुल कर्मचारियों की संख्या	1424
	ध) जिनमें से अधिकारी (जेकेजीबी)	937
4.	जमा	83417117
	वृद्धि प्रतिशत	8.53%
5.	बकाया उधार (नाबार्ड)	8878645
	वृद्धि प्रतिशत	13.66%
6.	सकल ऋण और अग्रिम बकाया	54577956
	वृद्धि प्रतिशत (01.05.2025 से लागू)	10.92%
	ऊपर दिए गए 6 में से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण	41745402
	ऊपर दिए गए 6 में से, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण	12832554
7.	सी डी अनुपात	65.43%
8.	बकाया निवेश	16568390
	वृद्धि प्रतिशत (01.05.2025 से लागू)	-1.12%
	एसएलआर निवेश बकाया	16568390
	बकाया नॉन- एसएलआर निवेश	-
9.	औसत जमा राशि	78734849
10.	औसत उधार	8016489
11.	औसत सकल ऋण और अग्रिम	50528489
12.	औसत निवेश (एफडी सहित)	36738806
13.	औसत कार्यशील निधि	92038169

वर्ष के दौरान दिए गए ऋण :	
14. 1.5.2025 से 31.03.2026 के दौरान दिए गए ऋण	29689963
वृद्धि प्रतिशत	
उपरोक्त 14 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	24270228
उपरोक्त 14 में से, (गैर-प्राथमिकता) वाले ऋण	5419735
15. क) प्रति शाखा व्यवसाय	420717
ख) प्रति कर्मचारी व्यवसाय	96907
रिकवरी परफॉर्मेंस	
बैंक 01.07.24 से 30.06.2025 की अवधि के लिए मांग, वसूली और बकाया की स्थिति तैयार करता है। 01.05.2025 को मिलकर बनी संस्था का गठन हुआ । 30.06.2025 को दो मिलकर बनी आरआरबी की मांग, वसूली और बकाया की संयुक्त स्थिति निम्नलिखित है :-	
16. कुल मांग	37611943
17. वसूली	27320143
18. अतिदेय	10291800
19. रिकवरी प्रतिशत (जून की स्थिति)	72.64%
कृषि क्षेत्र	
20. माँग	18368677
21. वसूली	13598948
22. अतिदेय	4769729
23. रिकवरी प्रतिशत (जून की स्थिति)	74.03%
गैर-कृषि क्षेत्र	
24. माँग	19243266
25. वसूली	13721195
26. अतिदेय	5522071
27. रिकवरी प्रतिशत (जून की स्थिति)	71.30%
परिसंपत्ति का वर्गीकरण	
28. क) मानक	51943489
ख) उप- मानक	611184
ग) संदिग्ध	1789770

घ) हानि	233513
कुल	54577956
29. मानक परिसंपत्तियां प्रतिशत सकल ऋण और अग्रिम बकाया	95.17%
मुनाफ़े का विश्लेषण	
30. प्रदत्त ब्याज	
क) जमा	3618080
ख) उधारी	498742
31. वेतन	2005067
32. अन्य परिचालन व्यय	821410
प्रावधान किए गए	
33. क) एनपीए का प्रावधान	235615
ख) कोविड-19 के लिए मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध	-
घ) तदर्थ वेतन संशोधन के विरुद्ध	18231
ड) पेंशन प्रावधान के खिलाफ़	246200
च) अन्य प्रावधान	29395
34. प्राप्त ब्याज	
क) ऋण और अग्रिम	4292079
ख) एसएलआर/नॉन एसएलआर/एफडीआर निवेश	2560383
35. विविध आय	336785
36. करों से पहले का शुद्ध लाभ/हानि	-283493
37. कर खर्च (डीटीए सहित)	--
38. शुद्ध लाभ/हानि	-283493
अन्य सूचना	
39. प्रदत्त पूंजी	9883517
40. शेयर पूंजी जमा	--

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2025-26

1. प्रदर्शन पर एक नज़र :-

- बैंक का कुल कारोबार एक नए स्तर पर पहुँच गया और 31 मार्च, 2026 को यह ₹13,799.51 करोड़ हो गया। यह 30 अप्रैल, 2025 के ₹12,606.59 करोड़ (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) की तुलना में ₹1,192.92 करोड़ की बढ़ोतरी है।
- बैंक की कुल जमा राशि 30 अप्रैल 2025 को ₹7686.16 करोड़ (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹8341.71 करोड़ हो गई है, जिसमें 8.53% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए जमा राशि की लागत 5.01% रही।
- बैंक के एडवांसेज़ (कर्ज़) 30-04-2025 (हाल ही में विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) को ₹ 4920.43 करोड़ से बढ़कर 31-03-2026 को ₹5457.80 करोड़ हो गए, जिसमें 10.92% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए अग्रिम पर लाभांश 9.27% रहा।
- 31 मार्च, 2026 तक प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज़ (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण) ₹4174.54 करोड़ थे, जो कुल एडवांसेज़ का 76.49% थे।
- कुल लोन में कृषि लोन का प्रतिशत 28.18% रहा, जो तय मानकों से काफी ज़्यादा है।
- बैंक का क्रेडिट-डिपॉज़िट रेश्यो 30-04-2025 (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) को 64.02% था, जो 31-03-2026 को बढ़कर 65.43% हो गया; इसमें 141 बेसिस पॉइंट्स (BPS) की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- 31.03.2026 को बैंक का कासा प्रतिशत 44.15% था।
- 31 मार्च 2026 को बैंक का नेट एनपीए ₹100.97 करोड़ था, जबकि 30 अप्रैल 2025 को यह ₹ 83.68 करोड़ था (यह हाल ही में विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस था)। 31 मार्च 2026 को नेट एडवांसेज़ के मुकाबले नेट एनपीए का प्रतिशत 1.91% था।
- 31-03-2026 को बैंक का ग्राँस एनपीए ₹263.45 करोड़ था, जबकि 30 अप्रैल, 2025 (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) को यह ₹ 243.30 करोड़ था। बैंक का ग्राँस एनपीए प्रतिशत 30 अप्रैल, 2025 (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) के 4.94% से घटकर 31 मार्च, 2026 को 4.83% हो गया।
- 31 मार्च, 2026 को बैंक का प्रोविज़निंग कवरेज रेश्यो (पीसीआर) 68.23% था, जबकि 30 अप्रैल, 2025 को यह 70.94% था (यह हाल ही में विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस था)।
- 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान ₹ 2969 करोड़ का क्रेडिट वितरण दर्ज किया गया।
- 31-03-2026 को बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.24% था।
- 30 अप्रैल, 2025 को बैंक का सीआरएआर 4.45% था, जबकि 31 मार्च, 2026 को यह 3.66% रहा।

2. शेयर पूंजी :-

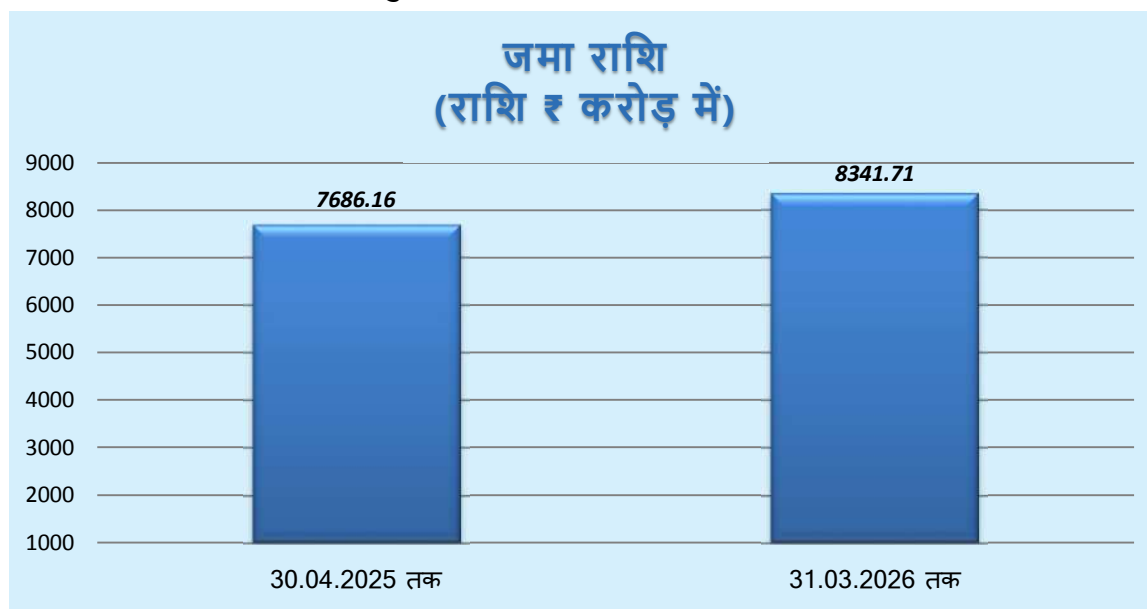
- 31 मार्च 2026 तक बैंक की अधिकृत पूंजी ₹2000 करोड़ है (₹10 प्रति शेयर वाले 200 करोड़ शेयर)।
- बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹988.35 करोड़ है (₹10 के 988351700 शेयर)। 31 मार्च 2026 तक पेड-अप शेयर कैपिटल का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	भारत सरकार का हिस्सा (50%)	J&K केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का हिस्सा (15%)	J&K बैंक (स्पॉन्सर बैंक) की हिस्सेदारी (35%)	कुल
चुक्ता शेयर पूंजी	₹ 494.18	₹ 148.25	₹ 345.92	₹ 988.35

3. जमा राशि :-

बैंक की कुल जमा राशि 30 अप्रैल 2025 (नए विलय हुए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का शुरुआती बैलेंस) को ₹7686.16 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर ₹8341.71 करोड़ हो गई; इसमें 8.53% की वृद्धि दर्ज की गई। जमा राशि की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :-



- 31 मार्च, 2026 तक, कासा डिपॉज़िट कुल डिपॉज़िट का 44.15% था। 31-03-2026 तक कुल डिपॉज़िट खातों की संख्या 20,82,884 थी और प्रति ब्रांच औसत डिपॉज़िट ₹25.43 करोड़ था।

नई पहल :-

- **सेविंग और करंट अकाउंट के अलग-अलग प्रकारों के लिए छूट में बदलाव:**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, मौजूदा बाज़ार प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए और बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने बैंक के प्रोडक्ट को सबसे आकर्षक बनाने के लिए, बैंक द्वारा इन वेरिएंट्स के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में कई आकर्षक बदलाव किए गए हैं। इनमें लॉकर/ क्यूआर/पीओएस चार्ज में छूट, कैश जमा करने पर कोई चार्ज न लगाना, मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत को कम करना और कई अन्य बदलाव शामिल हैं।

■ **शैक्षिक संस्थानों के लिए 'पे नेस्ट' (पे नेस्ट) की शुरुआत:**

बैंक ने शिक्षण संस्थानों के लिए ऑनलाइन फीस कलेक्शन और पेमेंट के लिए "पे नेस्ट" नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पहल का मकसद शिक्षण संस्थानों के लिए फीस कलेक्शन को डिजिटल बनाना, ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और ज़्यादा संस्थानों को जोड़कर डिपॉजिट बढ़ाना है।

■ **सुपर सीनियर सिटिज़न को अतिरिक्त ब्याज दर की पेशकश:**

बैंक ने "सुपर सीनियर सिटिज़न" (80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के निवासी) के लिए एक अतिरिक्त ब्याज दर शुरू की है। इस पहल के तहत, सुपर सीनियर सिटिज़न (जिनमें सुपर सीनियर सिटिज़न स्टाफ़ भी शामिल हैं) को ₹5 करोड़ से कम की टर्म डिपॉजिट पर, सीनियर सिटिज़न/सीनियर सिटिज़न स्टाफ़ के लिए लागू दरों के अलावा सालाना 0.25% (एल्को द्वारा तय) तक का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। इस कदम का मकसद सुपर सीनियर सेगमेंट से डिपॉजिट को आकर्षित करना और बनाए रखना है, जिससे कुल डिपॉजिट ग्रोथ में मदद मिल सके।

4. उधार/रीफ़ाइनंस/लोन :-

बैंक ने साल के दौरान अपने संसाधनों को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लोन देने को बढ़ावा देकर नावार्ड की रीफ़ाइनंस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नावार्ड /स्पॉन्सर बैंक से ज़रूरत के हिसाब से रीफ़ाइनंस/उधार लिया। नावार्ड से लिए गए रीफ़ाइनंस का भुगतान नियमित और समय पर किया गया, और यह भुगतान शेड्यूल के अनुसार तय तारीखों के भीतर हुआ। साल के दौरान मंज़ूर किए गए, लिए गए और चुकाए गए रीफ़ाइनंस/उधार की स्थिति इस प्रकार है:

(राशि 000 में)						
क्र. स.	विवरण	30-04-2025 को बकाया बैलेंस (जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का ओपनिंग बैलेंस)	01-05-2025 से 31-03-2026 के दौरान मंज़ूर किए गए फ़ंड	01-05-2025 से 31-03-2026 के दौरान स्वीकृत निधि	01-05-2025 से 31-03-2026 के दौरान रीपेमेंट	31-03-2026 को बकाया राशि
क	नावार्ड	7811750	7823600	7823600	7756705	8878645
ख	स्पॉन्सर बैंक	467769	1560000	1060100	1060100	157770
ग	एनएसएफडीसी	3787	0	0	1683	2104
	कुल क+ख+ग	8283306	9383600	8883700	8818488	9038519

5. डीआईसीजीसी दावे :-

डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए डीआईसीजीसी को तय तारीख पर नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर रहा है।

6. कैश और बैंकों के पास बैलेंस :-

बैंक ने हर ब्रांच के लिए वॉल्यूम और बिज़नेस मिक्स के आधार पर कैश रखने की सीमा तय की है। कैश रखने की इन सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बैंक के पास रखे कैश और 31-03-2026 तक बनाए रखे गए औसत कैश बैलेंस का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि 000 में)	
विवरण	
शेष नकदी (31-03-2026 तक)	₹ 90375
साल के दौरान औसत नकद (01-05-2025 से 31-03-2026 तक)	₹118426
औसत जमा राशि के प्रतिशत के रूप में औसत नकद (01-05-2025 से 31-03-2026 तक)	0.15

आरबीआई और जे एंड के बैंक सहित अन्य बैंकों के साथ बैंक के चालू खाते में रखी गई राशि और उस पर मिले ब्याज का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए नीचे दिया गया है:-

(राशि 000 में)	
विवरण	31-03-2026 तक
आरबीआई के पास चालू खाते में शेष राशि	₹2489695
कमर्शियल बैंकों (स्पॉन्सर बैंक सहित) के साथ चालू खाते में शेष राशि	₹87621
अन्य कमर्शियल बैंकों (जिनमें स्पॉन्सर बैंक भी शामिल है) के पास टर्म डिपॉजिट में बैलेंस।	₹22243575
टर्म डिपॉजिट आदि पर मिला ब्याज (01-05-2025 से 31-03-2026 तक)	₹1478351

7. निवेश :-

31.03.2026 तक बैंक का सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में कुल निवेश ₹1,65,684 लाख है। निवेश का साल-दर-साल ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि लाखों में)

तक	कुल निवेश	एसएलआर निवेश	नॉन- एसएलआर बॉन्ड
31-03-2026	₹165684	₹165684	0
अवधि के लिए	कुल अर्जित ब्याज	एसएलआर निवेश पर ब्याज	नॉन- एसएलआर बॉन्ड पर ब्याज
01-05-2025 to 31-03-2026	₹10820	₹10817.36	₹2.64

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएलआर प्रतिभूतियों के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित। प्रीमियम को प्रतिभूतियों के शेष जीवनकाल में आनुपातिक रूप से सीधी रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का परिशोधन 'निवेश पर आय' शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
- गैर एसएलआर और कैटेगरी के तहत निवेशों का मूल्यांकन 'मार्क-टू-मार्केट' नियमों के आधार पर किया जाता है और मूल्य में कमी (डेप्रिसिएशन) के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

➤ **ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म:**

बैंक ने 'डुअल ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म' (दोहरी ट्रांसफर कीमत प्रणाली) को अपनाया है, जिसके तहत हेड ऑफिस द्वारा ब्रांचों से लिए गए फंड और ब्रांचों द्वारा हेड ऑफिस से लिए गए फंड पर ब्याज दरें नीचे दी गई जानकारी के अनुसार तय की गई थीं :-

अवधि के लिए	हेड ऑफिस द्वारा ब्रांचों से उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज	हेड ऑफिस से ब्रांच द्वारा उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज
01-05-2025 से 30-06-2025	6.00%	7.00%
01-07-2025 से 31-12-2025	5.75%	6.75%
01-01-2026 से 31-03-2026	6.00%	6.75%

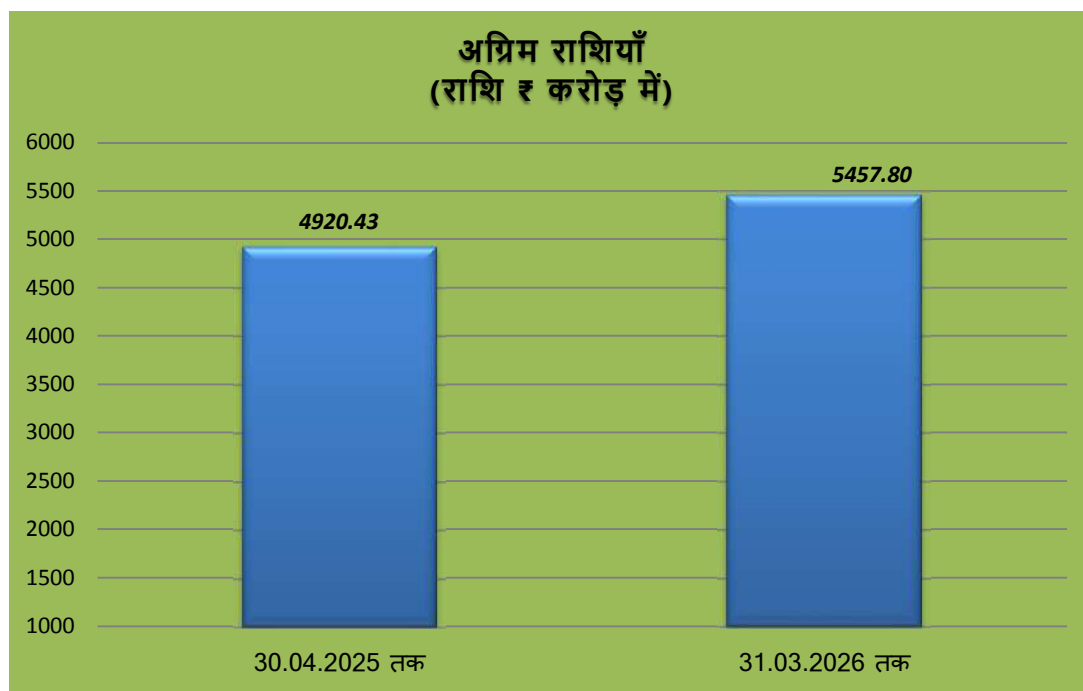
8. वित्तीय अनुपात :-

क्र. स.	विवरण	01-05-2025 से 31-03-2026
1	औसत वर्किंग फंड (हजारों में)	92038169
2	वित्तीय रिटर्न	8.12
3	वित्तीय लागत	4.88
4	वित्तीय मार्जिन	3.24
5	परिचालन लागत	3.66
6	विविध आय	0.40
7	परिचालन मार्जिन	-0.02
8	जोखिम लागत	0.31
9	शुद्ध मार्जिन	-0.33

9. क्रेडिट पोर्टफोलियो :-

बैंक ने एसेट क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए समझदारी भरा रवैया अपनाना जारी रखा और क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कुछ नई लोन स्कीमें शुरू कीं और कुछ मौजूदा स्कीमों में बदलाव किए। इसके अलावा, बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के मकसद से समय-समय पर लोन और एडवांस पर ब्याज दरों में बदलाव किया गया या उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया गया। अलग-अलग तरह की आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों में फंड लगाकर क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। 31 मार्च 2026 तक बकाया एडवांस की सेक्टर-वार और गतिविधि-वार स्थिति नीचे दी गई है:

(राशि 000 में)			
क्र. स.	विवरण	खातों की संख्या	मात्रा
1	केसीस / फ़सल ऋण	151042	₹13887606
2	खेती और उससे जुड़े कामों के लिए टर्म लोन	9886	₹1492318
3	ग्रामीण कारीगर/लघु उद्योग/ग्राम उद्योग	34566	₹6286408
4	परिवाहन	8072	₹5002485
5	व्यापार और छोटा कारोबार	30163	₹10520566
6	आवास ऋण	5628	₹5561542
7	अन्य	29818	₹11827031
	कुल	269175	₹54577956



10. लोन का वितरण :-

बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) के तहत लोन देने पर अपना ज़ोर बनाए रखा और इस सेक्टर में ₹2427.02 करोड़ का लोन बांटा। यह 31 मार्च 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में बांटे गए कुल ₹2969 करोड़ के लोन का 75% है। बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर (कृषि क्षेत्र) में ₹1043.91 करोड़ का लोन बांटा, जो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत बांटे गए कुल लोन का 43.01% था। 01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान अलग-अलग गतिविधियों के लिए बांटे गए लोन का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि 000 में)			
क्र. स.	विवरण	खातों की संख्या	मात्रा
1.	फसल ऋण / केसीसी	115220	₹9750381
2.	कृषि और उससे जुड़े कामों के लिए मियादी ऋण	2714	₹688716
3.	ग्रामीण कारीगर/लघु उद्योग/ग्राम उद्योग	17642	₹3024078
4.	परिवाहन	2044	₹1993693
5.	व्यापार और छोटा कारोबार	22959	₹7703920
6.	आवास ऋण	1168	₹1369983
7.	अन्य	11962	₹5159192
	कुल	173709	₹29689963

11. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट (पीएसएलसी) ट्रेडिंग से आय :-

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान, बैंक ने पीएसएलसी स्कीम के तहत पीएसएलसी - एसएफ / एमएफ कैटेगरी में ₹166 करोड़ के 'प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज' बेचे और इससे कमाए गए ₹4.78 करोड़ के प्रीमियम को "प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट" में "नॉन-इंटेरेस्ट इनकम" हेड के तहत शामिल किया गया है।

12. आईआरएसी नियम :-

बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अपनी संपत्तियों का वर्गीकरण किया है। 31.03.2026 तक संपत्ति वर्गीकरण और प्रोविज़निंग का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि 000 में)			
संपत्तियों का वर्गीकरण	संपत्ति की मात्रा	आरबीआई की ज़रूरत के अनुसार प्रावधान	बैंक द्वारा प्रावधान किया गया
क) मानक	51943489	168542	168567
ख) उप-स्टैंडर्ड	611184	61118	107730
ग) संदेहपूर्ण	1789770	1093667	1318703
घ) हानि वाली संपत्तियां	233513	198317	198317
कुल	54577956	1521644	1793317

13. एनपीए प्रबंधन :-

- 31.03.2026 को बैंक का ग्राँस एनपीए ₹263.45 करोड़ और नेट एनपीए ₹100.97 करोड़ था।
- 31.03.2026 को कुल एडवांस (कर्ज) के मुकाबले ग्राँस एनपीए का प्रतिशत 4.83% था। वहीं, 31.03.2026 को नेट एडवांस के मुकाबले नेट एनपीए का प्रतिशत 1.91% था।

(राशि लाखों में)		
क्र. स.	विवरण	2025-26
1.	30-04-2025 तक एनपीए	₹24329.59
2.	01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान बढ़ोतरी	₹9113.44
3.	01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान रिकवरी	₹5615.78
4.	घटाएँ: तकनीकी राइट-ऑफ़	₹1482.57
5.	वित्तीय वर्ष के अंत में एनपीए (सकल)	₹26344.67
6.	नेट एनपीए (प्रोविज़न घटाकर)	₹10097.17
7.	सकल एनपीए का सकल अग्रिमों के मुकाबले प्रतिशत	4.83%
8.	नेट एडवांसेज़ के प्रतिशत के रूप में नेट एनपीए	1.91%

एनपीए मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य टूल्स :-

■ एनपीए रिकवरी पॉलिसी

एनपीए रिकवरी पॉलिसी एक बहुआयामी रिकवरी पॉलिसी है। इसका मकसद सभी ऑपरेशनल लेवल पर रिकवरी के अलग-अलग तरीकों और साधनों के बारे में एक ही जगह जानकारी देना, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) के मैनेजमेंट और रिकवरी की प्रक्रिया को आसान बनाना और एसेट पोर्टफोलियो में गिरावट को रोकने के लिए पहले से कदम उठाना है। हालांकि, समय बीतने और नई चुनौतियों के सामने आने के साथ, इस पॉलिसी के दायरे को और बढ़ाने और इसे और ज़्यादा व्यापक बनाने की ज़रूरत महसूस की गई।

इस संबंध में, बैंक ने नीचे बताए गए पैराग्राफ़ में संशोधन किया है / उन्हें लागू किया है:

- क) सफ़्टवेयर कार्रवाई की समय-सीमा और विस्तृत एसओपी को गाइडेंस नोट के ज़रिए एनपीए रिकवरी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया, जबकि पहले इन्हें एक अलग सर्कुलर के तौर पर जारी किया जाता था।
- ख) जिन गाड़ियों का पता नहीं चल पा रहा था उनके लिए एसओपी को गाइडेंस नोट के ज़रिए एनपीए रिकवरी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया; जबकि पहले इन्हें एक अलग सर्कुलर के तौर पर जारी किया गया था।
- ग) विभिन्न स्तरों पर ऋणों को माफ करने / कम करने / बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

■ रिकवरी टीमें:

एनपीए रिकवरी में माहिर सीनियर अधिकारियों की एक रिकवरी टीम, मुख्यालय और जीएमओ(के) दोनों जगहों पर बनाई गई है। इसका काम एनपीए अकाउंट्स की रिकवरी और अप-ग्रेडेशन के लिए सभी ऑपरेशनल लेवल पर निगरानी रखना, फ़ॉलो-अप करना और ज़रूरी मदद देना है।

रीजनल ऑफिस में रिकवरी टीमों को और मज़बूत किया गया है; इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से अतिरिक्त कर्मचारी और रिकवरी गाड़ियाँ वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका इस्तेमाल खास तौर पर एनपीए की रिकवरी के लिए किया जा रहा है। एनपीए को कम करने के लिए ज़मीनी स्तर पर हर संभव मदद दी जा रही है और टॉप मैनेजमेंट नियमित रूप से रिकवरी की प्रगति की समीक्षा कर रहा है।

■ **सर्फ़ेसी एक्ट, 2002 के तहत रिकवरी:**

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान सर्फ़ेसी एक्ट, 2002 के तहत डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं और उनके गारंटर्स को कुल 55 नए नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जारी किए गए नोटिसों की कुल संख्या 288 हो गई (इसमें पहले के जे एंड के ग्रामीण बैंक और पहले के इलाकाई देहाती बैंक द्वारा जारी नोटिस भी शामिल हैं)। जारी किए गए ऐसे कुल नोटिसों में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 (01-05-2025 से 31-03-2026) में 29 खाते बंद किए गए, जिससे ₹4.39 करोड़ की रिकवरी हुई।

■ **चल संपत्ति (वाहन) की ज़ब्ती और बिक्री की नीति:**

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने गाड़ियों को ज़ब्त करने और बेचने की बोर्ड से मंजूर पॉलिसी के तहत, 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि में कुल 30 गाड़ियाँ ज़ब्त कीं। इन गाड़ियों की ज़ब्ती और बिक्री से कुल ₹39.21 लाख की वसूली हुई। 31-03-2026 तक, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (जिसमें पहले का जे एंड के ग्रामीण बैंक और पहले का इलाकाई देहाती बैंक भी शामिल हैं) ने कुल 314 गाड़ियाँ ज़ब्त कीं, जिससे कुल ₹7.33 करोड़ की वसूली हुई।

■ **एकमुश्त निपटान (ओटीएस):**

नेगोशिएटेड सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम के तहत, सबसे ज़रूरी मामलों में पुराने/गंभीर एनपीए मामलों को सुलझाने के लिए सभी ऑपरेटिंग लेवल पर अधिकार दिए गए हैं। बैंक ने 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान 1499 मामलों को बंद/सुलझाया है, जिनसे ₹11.96 करोड़ की रिकवरी हुई है।

■ **विशेष एकमुश्त निपटान योजना-2026**

बैंक ने “जेकेजीबी स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025-26” शुरू की है, जिसे बैंक के माननीय बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी है (जेकेजीबी एसओटीएस 2025-26 (एसओटीएस-क, आज सुलझाओ नहीं तो कल पछताओ और एसओटीएस-ख, अन्नदाता एसओटीएस ऑफर - किसानों के लिए आसान निपटान)। स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 के तहत, पुराने एनपीए खातों को सुलझाने, उनकी रिकवरी करने और उन्हें कम करने के लिए एक अच्छा और असरदार तरीका बनाने के मकसद से कुछ कैटेगरी के एनपीए खातों में मूल राशि (प्रिंसिपल) माफ़ करने की सुविधा दी गई थी। इस स्कीम के दौरान, बैंक ने ₹32.19 करोड़ की राशि वाले 2747 खातों को मंजूरी दी है।

ऑपरेशन थंडर अभियान :

इस शॉर्ट-टर्म कैंपेन को शुरू करने का मकसद जेकेजीबी की चल रही 'स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' को बढ़ावा देना था। यह कैंपेन कम समय के लिए था।

लक्ष्य : अभियान के दौरान, शाखाओं को सलाह दी गई थी कि वे 03-02-2026 तक के एनपीए आंकड़ों के आधार पर, अपने एनपीए पोर्टफोलियो में मौजूद कुल एनपीए मामलों में से कम से कम 10% मामलों को अपग्रेड करें, बंद करें या एसओटीएस के तहत मंजूरी दें।

परिणाम : पात्र शाखाओं के मामले में 05-02-2026 से 28-02-2026 की अवधि के दौरान ₹6.43 करोड़ की कटौती की कार्रवाई की गई है।

14. वित्तीय समावेशन और बीमा व्यवसाय :-

ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग की जानकारी देने के मकसद से, बैंक का 31-03-2026 तक अपने आवंटित गांवों में कुल **453 बीसीज़ (बिज़नेस कॉरिस्पोंडेंट्स)** का मज़बूत नेटवर्क है। फाइनेंशियल इन्क्लूज़न (वित्तीय समावेशन) के तहत, 5.00 लाख से ज़्यादा पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। 31-03-2026 तक, **164 बिज़नेस कॉरिस्पोंडेंट्स अपने इलाकों के लोगों को माइक्रोएटीएम/ईपीएस सेवाएँ दे रहे हैं**, जिनसे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में (01.05.2025 से) ₹7.12 लाख का कमीशन कमाया है। बैंक के पास 201 किसान क्लब हैं जो किसानों को अपनी समस्याएँ खुद हल करने और नई खेती के तरीकों को अपनाकर व मौजूदा तरीकों में सुधार करके बेहतर खेती करने का मंच देते हैं। किसान क्लब का प्रबंधन किसान खुद नाबार्ड और बैंक की ग्रामीण शाखाओं की मदद से करते हैं। **नाबार्ड के कुशल मार्गदर्शन में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में (01.05.2025 से) 1552 जेएलजी को फाइनेंस किया है**, जिससे नाबार्ड से ₹15.85 लाख का इंसेंटिव मिला है।

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपीएस)

वित्त वर्ष 2025-26 में 01.05.2025 से, हमारे बैंक ने 5887 कैंप आयोजित किए (यानी, 2717 ग्रामीण मासिक एफएलसी कैंप + 1670 आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह कैंप, 1065 विशेष कैंप (डिजिटल होने पर केंद्रित) और वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से 435 जागरूकता कैंप)। इन कैंपों में दूर-दराज के इलाकों में उन लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इन कैंपों में 1,40,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के बीच पैम्फलेट और अन्य प्रिंटेड सामग्री भी बांटी गई, जिनमें सोशल सिव्योरिटी स्कीम सहित बैंक की स्कीमों की जानकारी दी गई थी।



31.03.2026 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- 01.05.2025 से लागू होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 86,199 बचत बैंक खाताधारक इसमें शामिल किए गए हैं।
- जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने पुराने जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, दोनों के ज़रिए 5,61,162 बचत खाताधारकों को कवर किया है।
- 01.05.2025 से लागू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.32 लाख का कमीशन कमाया गया।
- जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक ने पुराने जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, दोनों के ज़रिए ₹331 लाख के 170 दावों का निपटारा किया।



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- 01.05.2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 32,859 बचत खाताधारकों को कवर किया गया।
- जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने पुराने जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, दोनों के ज़रिए 2,11,729 बचत खाताधारकों को कवर किया।
- 01.05.2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹13.90 लाख का कमीशन कमाया गया।
- जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने पुराने जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, दोनों के ज़रिए ₹1,110 लाख के 555 दावों का निपटारा किया।



अटल पेंशन योजना

- 01.05.2025 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 22,659 सेविंग बैंक खाताधारक एनरोल किए गए।
- जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ने पुराने जे एंड के ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, दोनों के ज़रिए 1,03,121 बचत खाताधारकों को एनरोल किया।
- 01.05.2025 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹29.17 लाख का कमीशन कमाया गया।
- वित्त वर्ष 2025-26 में पीएफआर डीए से 04 अवॉर्ड मिले।

1 मई 2025 से लागू, 31.03.2026 तक पीएमजेडीवाई की स्थिति



सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जेएलजी और माइक्रो एटीएम के ज़रिए 1 मई 2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कमाया गया कुल कमीशन/इंसेंटिव: ₹ 69.36 लाख।

व्यवसाय

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक अलग-अलग बीमा कंपनियों के साथ अपने टाई-अप के ज़रिए बीमा सेवाएँ देता है। 1 मई 2025 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बीमा कंपनी के हिसाब से जारी/बुक किया गया नया प्रीमियम बिज़नेस और कमाया गया कुल कमीशन नीचे बताया गया है:

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	बीमा का प्रकार	जारी किया गया प्रीमियम (राशि लाख रुपये में)	कमाई गई कमीशन (राशि लाख रुपये में)
1	बजाज जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	गैर-जीवन	1332.39	138.28
2	एसबीआई जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	गैर-जीवन	318.21	23.90
3	केयर (पहले रेलिगेयर) हेल्थ इश्योरेंस लिमिटेड	गैर-जीवन	416.97	34.65
4	भारतीय जीवन बीमा निगम	ज़िंदगी	968.96	49.68
5	एसबीआई लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	ज़िंदगी	1.27	35.58
6	बजाज लाइफ़ इश्योरेंस लिमिटेड *	ज़िंदगी	0.00	1.62
7	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	ज़िंदगी	0.00	0.17

पीएनबी मेटलाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बजाज लाइफ़ इश्योरेंस लिमिटेड के साथ अब केवल रिन्यूअल का काम किया जा रहा है। इन इश्योरेंस कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट खत्म कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026) में एलआईसी माइक्रो-इश्योरेंस बिज़नेस से ₹ 43,154.13/- (वास्तविक आंकड़ों में) की इश्योरेंस कमीशन इनकम भी हुई।

वित्त वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026) में पीएफ़आरडीए से पुरस्कार/मान्यता/सराहना

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के अभियानों - "एपीवाई प्रीमियर लीग", "वॉरियर्स ऑफ़ विनिंग वेडनेसडे" और "सर्कल ऑफ़ एक्सीलेंस" - में 4 पुरस्कार जीते हैं।

15. सूचना प्रौद्योगिकी :-

बैंक की ऑपरेशनल मज़बूती और बेहतरीन सर्विस को बनाए रखने में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार अहम भूमिका निभा रही है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में, बैंक ने कई ज़रूरी टेक्नोलॉजी पहल की हैं, जो डिजिटल रूप से मज़बूत और भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनने के उसके विज़न के अनुरूप हैं। एक यूनिफाइड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और उससे जुड़े एप्लिकेशन पर सफल माइग्रेशन से लेकर ई-ऑफिस, एआई-बेस्ड अटेंडेंस और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने तक, बैंक ने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम की क्षमता, नियमों का पालन और ग्राहकों की सुविधा को बेहतर बनाया है।

ये पहल न केवल आंतरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाती हैं, बल्कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को भी मज़बूत करती हैं। अत्याधुनिक समाधानों को अपनाकर और रेगुलेटरी नियमों का पालन

करके, बैंक ने खुद को एक डिजिटल रूप से सशक्त संस्थान के तौर पर स्थापित किया है, जो अपने नेटवर्क में तेज़ी से, सुरक्षित और ज़्यादा समावेशी वित्तीय सेवाएँ देने में सक्षम है।

नीचे सफलतापूर्वक लागू की गई प्रमुख आईटी पहलों का सारांश दिया गया है:

क. विलय के बाद आईटी इंटीग्रेशन

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में, बैंक ने सरकार द्वारा तय 15 सितंबर 2025 की समय-सीमा के भीतर, पहले के ईडीबी और जेकेजीबी के विलय के बाद आईटी इंटीग्रेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बड़े पैमाने पर किया गया यह माइग्रेशन एक जटिल और बेहद ज़रूरी काम था, जिसमें कोर बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल चैनल और संबंधित एप्लीकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक साथ लाना शामिल था। इस उपलब्धि से ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के सेवा मिलती रही, कामकाज लगातार चलता रहा और भविष्य में विकास के लिए बैंक की तकनीकी नींव मज़बूत हुई। बैंक ने 31 दिसंबर 2025 की तय समय-सीमा से काफी पहले ही इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आईएस) और डेटा माइग्रेशन ऑडिट भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

इसके अलावा, आईटी इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम की मज़बूती, बिज़नेस की निरंतरता और आपदा की तैयारी को परखने के लिए एक डीसी-डीआर ड्रिल की गई। इस एक्सरसाइज़ से मुश्किल हालात में भी सुरक्षित और भरोसेमंद कामकाज बनाए रखने की बैंक की क्षमता का पता चला, जिससे इसके आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा और मज़बूत हुआ।

ख. ई-ऑफिस एप्लिकेशन का रोलआउट – पेपरलेस और डिजिटल रूप से कुशल कार्यस्थल बनाना

बैंक के डिजिटल रूप से मज़बूत और भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनने के बड़े विज़न के तहत, ऑपरेशनल बदलाव की यात्रा में एक अहम कदम के तौर पर ई-ऑफिस एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। यह पहल बैंक की उन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है जो सभी विभागों और शाखाओं में अंदरूनी कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं, नियमों का पालन मज़बूत करती हैं और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाती हैं। ई-ऑफिस सिस्टम मैनुअल वर्कफ़्लो की जगह सुरक्षित, डिजिटल प्रोसेस लाता है, जिससे मंजूरी तेज़ी से मिलती है, देरी कम होती है और फ़ाइलों का सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य मूवमेंट सुनिश्चित होता है। सभी डॉक्यूमेंट एक सेंट्रलाइज़्ड डिजिटल रिपॉज़िटरी में स्टोर किए जाते हैं, जिन्हें बैंक के नेटवर्क पर अधिकृत यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, जिससे सचमुच पेपरलेस और मिल-जुलकर काम करने वाला वर्कप्लेस बनता है।

ग. एआई-आधारित मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम को लागू करना

बैंक ने अपने डिजिटल आधुनिकीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एआई-आधारित मोबाइल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है। हर एंट्री को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प किया जाता है, और सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग के लिए डेटा को आसानी से एचआरएमएस पोर्टल से जोड़ा जाता है। मोबाइल-आधारित, कॉन्टैक्टलेस इंटरफ़ेस हार्डवेयर पर निर्भरता कम करता है, इसे लागू करना आसान बनाता है, और सुरक्षित व कुशल अटेंडेंस मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है।

घ. “ई-ईडीबी लेगेसी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर” एप्लीकेशन का रोलआउट

बैंक के यूनिफाइड कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म (फिनैकल10) पर माइग्रेट होने के बाद, बैंक ने पहले के 'एल्लाकाई देहाती बैंक' की शाखाओं को सपोर्ट करने के लिए 'ईडीबी लेगेसी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर' एप्लीकेशन बनाया और लागू किया। यह एप्लीकेशन माइग्रेट किए गए अकाउंट्स के लिए कस्टमर की जानकारी सुरक्षित रूप से निकालने और अकाउंट स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है, जिससे कस्टमर सर्विस बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में सुरक्षित लॉगिन, सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग, 2011 से लेकर अब तक के

स्टेटमेंट बनाना, और सीआईएफ आईडी, मोबाइल नंबर या पैन के आधार पर जानकारी खोजने की सुविधा शामिल है।

ड. नए वेबमेल यूजर इंटरफ़ेस पर माइग्रेशन

बैंक ने सफलतापूर्वक एक आधुनिक वेबमेल यूजर इंटरफ़ेस (ओरियन) को अपनाया है, जो इसके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एक बड़ा अपग्रेड है। यह बड़े पैमाने पर किया गया बदलाव परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, ईमेल लोडिंग को तेज़ करता है और इस्तेमाल में आसानी के लिए दृष्टिकोण जैसा साफ़-सुथरा इंटरफ़ेस देता है। यह बैंक में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आज के कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

च. लगातार क्लियरिंग लागू करना – पहला चरण

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, बैंक ने 'कंटीन्यूअस क्लियरिंग' के पहले चरण को सफलतापूर्वक लागू किया। यह बदलाव पहले की सीटीएस बैच प्रोसेसिंग से हटकर रियल-टाइम क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम की ओर एक बड़ा कदम है, जिससे पेमेंट प्रोसेसिंग में तेज़ी और बेहतर दक्षता सुनिश्चित होती है।

16. डिजिटल चैनल :-

डिजिटल बैंकिंग ने फाइनेंशियल सर्विस देने के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे ग्राहकों की सुविधा और कामकाज की क्षमता, दोनों में काफी सुधार हुआ है। अब ग्राहक कभी भी और कहीं से भी अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं, जिससे उन्हें बैंक की ब्रांच जाने की ज़रूरत कम हो गई है।

डिजिटल चैनलों को अपनाने से ट्रांज़ैक्शन की गति और प्रोसेसिंग की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। जिन सेवाओं में पहले काफी समय लगता था, वे अब लगभग रियल-टाइम में पूरी हो जाती हैं, जिससे सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई है और काम पूरा होने में लगने वाला समय कम हुआ है।

डिजिटल बैंकिंग ने मोबाइल-आधारित प्लेटफॉर्म के ज़रिए दूर-दराज़ और कम सेवा वाले इलाकों के ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाकर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, डिजिटल बैंकिंग ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ में इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बैंक यूजर-फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी-बेस्ड समाधान पेश कर पा रहे हैं। यह डिजिटल स्टेटमेंट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए कागज़ के इस्तेमाल को कम करके पर्यावरण की स्थिरता में भी योगदान देता है।

बैंक जागरूकता अभियानों, टारगेटेड ऑनबोर्डिंग और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए सभी तरह के ग्राहकों के बीच डिजिटल सेवाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इससे बैंक की पहुँच बढ़ेगी, सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और वह रेगुलेटरी व तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बिठा पाएगा।

वित्त वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026) में लागू किए गए प्रोजेक्ट

क. नए साउंडबॉक्स डिवाइस की शुरुआत : बैंक ने अपने पीओएस ग्राहकों को आसान और भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग अनुभव देने के लिए साउंडबॉक्स (बूमबॉक्स X1) डिवाइस पेश किया है। यह नया डिवाइस कार्ड डिप, टैप एंड पे और क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करता है - जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ी प्रगति है।

ख. शैक्षणिक संस्थानों के लिए 'पे नेस्ट' : बैंक ने "पे नेस्ट पोर्टल" लॉन्च किया है, जो खास तौर पर शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाया गया एक आसान और असरदार डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। यह सुविधा शैक्षणिक

संस्थानों को कई पेमेंट तरीकों से आसानी से फीस इकट्ठा करने में मदद करती है, जिससे संस्थानों और छात्रों, दोनों के लिए बिना किसी परेशानी के ट्रांज़ैक्शन हो पाते हैं।

- ग. बेहतर साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के लिए नई वेबसाइट डोमेन:** बैंकिंग सेक्टर में चल रहे डिजिटल बदलाव के तहत, बैंक ने सफलतापूर्वक **".bank.in"** डोमेन अपना लिया है। अब से, नया वेब एड्रेस **www.jkgrameen.bank.in** बैंक की सभी जानकारी और सेवाओं के लिए एकमात्र और भरोसेमंद ज़रिया होगा। यह पहल ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली या गुमराह करने वाली वेबसाइटों से बचाने और डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है।
- घ. डिजिटल स्कोरकार्ड:** जवाबदेही का कल्चर बनाने और लगातार परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्रांच की परफॉर्मेंस को आंकने के लिए एक अहम टूल के तौर पर "डिजिटल स्कोरकार्ड" शुरू किया। इसमें शामिल चैनल हैं - **एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन (एम-बैंक ऐप), आईपीएस, पीओएस, क्यूआर, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम, एसएमएस सर्विस और ई-केवाईसी**
- ड. लाभार्थी खाता नाम लुकअप (बीएनएल) सुविधा:**
 हाल ही में शुरू की गई 'बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुक-अप' (बीएनएल) सुविधा से पैसे भेजने वालों को ट्रांज़ैक्शन शुरू करने से पहले अकाउंट नंबर और आईएफएससी का इस्तेमाल करके पाने वाले के अकाउंट का नाम वेरिफाई करने की सुविधा मिलती है। इस सुविधा का मकसद काम को ज़्यादा कुशल बनाना और गलत या धोखाधड़ी वाले फंड ट्रांसफर को कम करना है।
- च. 1600 सीरीज़ नंबर की शुरुआत:** ग्राहकों के साथ सुरक्षित और भरोसेमंद बातचीत को बेहतर बनाने की अपनी जारी कोशिशों के तहत, बैंक ने कॉन्टैक्ट सेंटर और आईवीआर सेवाओं के ज़रिए ग्राहकों को आउटबाउंड कॉल करने के लिए 1600-सीरीज़ का वेरिफाइड नंबर (1600203022) चालू किया है।
- छ. आईएमपीएस पर यूडीआईआर (ऑनलाइन विवाद समाधान मॉड्यूल):** बैंक ने विवादित आईएमपीएस ट्रांज़ैक्शन के ऑटोमेटेड समाधान के लिए यूडीआईआर (ऑनलाइन विवाद समाधान मॉड्यूल) को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे लंबित ट्रांज़ैक्शन के निपटान का समय काफी कम हो गया है।

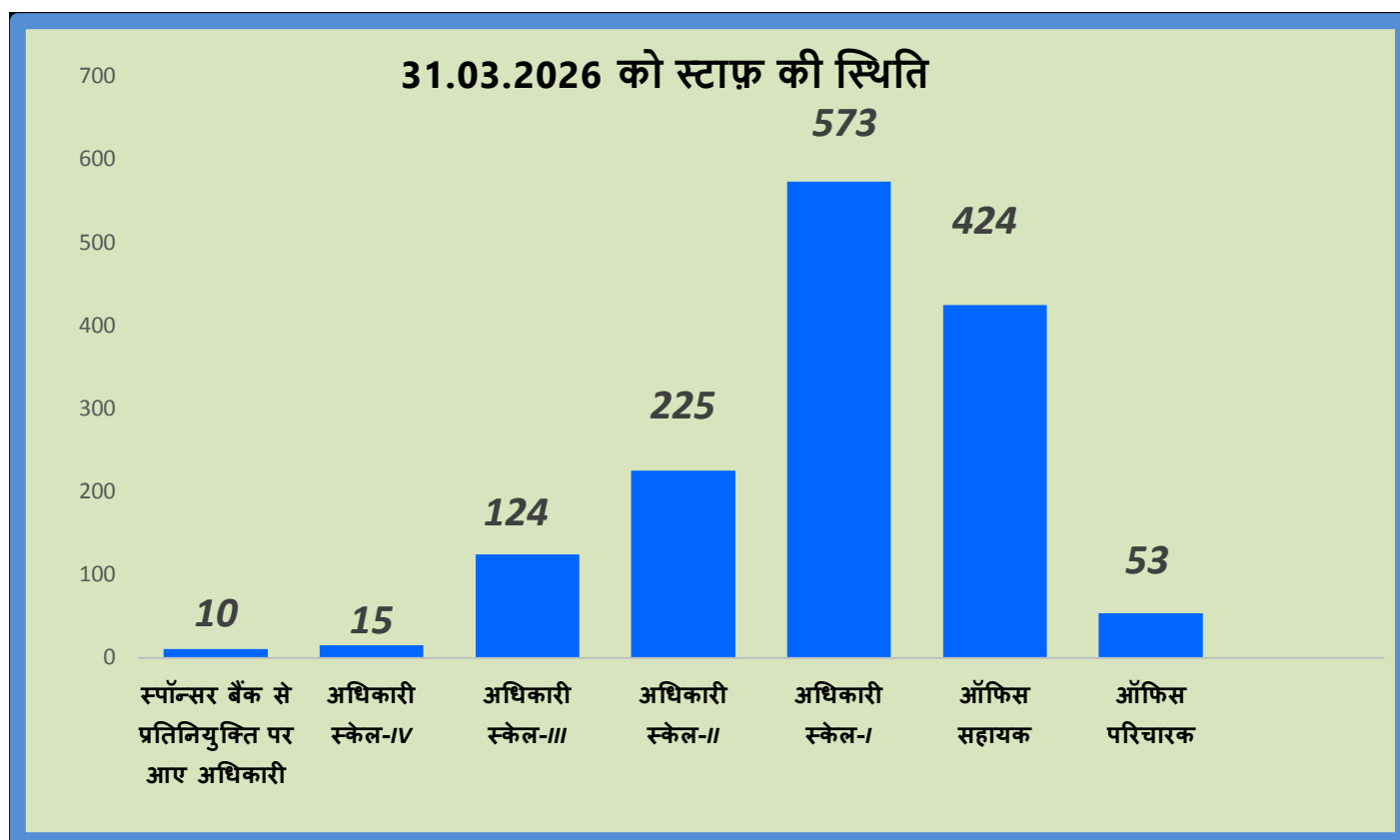
प्रगति पर चल रही मुख्य पहलें :-

- इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म (ट्रांज़ैक्शन सुविधा के साथ)
- आधार डेटा वॉल्ट
- व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा
- स्वास्थ्य और मृतक आधार एपीआई
- सभी डिजिटल उत्पादों के लिए सेंट्रलाइज़्ड और इंटीग्रेटेड रिकॉन्सिलिएशन प्लेटफॉर्म
- ईकेवाईसी, रीकेवाईसी और सीकेवाईसी के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म

इसके अलावा, बैंक डिजिटल अपनाने की दर को और बढ़ाने, ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और कुल मिलाकर कामकाज की क्षमता को मजबूत करने के लिए उभरते हुए डिजिटल अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है और उनका लाभ उठा रहा है।

17. मानव संसाधन विकास :-

क्र. सं.	विवरण	31-03-2026 तक
a)	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की संख्या	1414
b)	स्पॉन्सर बैंक से प्रतिनियुक्ति पर	10
c)	कुल कर्मचारियों की संख्या	1424
	अधिकारियों की संख्या (जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक)	937



नई पहल

1. बैंक ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना के तहत पात्र, एक (1) दिवंगत अधिकारी के परिवार के आश्रित सदस्य के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया है, जिससे दिवंगत अधिकारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो सके।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी और उन पर निर्भर लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के ज़रूरी इलाज करा सकें और इससे कर्मचारियों की सेहत और काम करने की क्षमता बेहतर हो, बैंक के मौजूदा कर्मचारियों के लिए 'मेडिकल रीइम्बर्समेंट स्कीम' के तहत कुल 153 मेडिकल क्लेम निपटाए गए, जिनकी कुल राशि ₹ 97.74 लाख थी।

3. कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र में हुए हालिया सुधारों और दिशानिर्देशों से अच्छी तरह अवगत कराने तथा संगठनात्मक सफलता के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से, कुल 781 अधिकारियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया।
4. बैंक ने कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए प्रधान कार्यालय में 'कर्मचारी शिकायत निवारण समिति' का भी गठन किया है।
5. बैंक ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (पीओएसएच एक्ट) के प्रावधानों को लागू करके महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाया है। बैंक ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। बैंक विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों लिंगों के कर्मचारियों को इस बारे में जागरूक भी कर रहा है।
6. बैंक में भर्ती और प्रमोशन के लिए, भारत सरकार के 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग' द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण नीति के प्रावधान लागू किए गए हैं। आरक्षण से जुड़े मामलों को देखने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए सीधी भर्ती और आंतरिक प्रमोशन से संबंधित आरक्षण रोस्टर, आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

18. ऑडिट, निरीक्षण और सतर्कता :-

ऑडिट, इंस्पेक्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट के कामकाज की समीक्षा बोर्ड की ऑडिट कमिटी (एसीबी) हर तिमाही में करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड की ऑडिट कमिटी की बैठकें 27.05.2025, 21.07.2025, 14.10.2025 और 19.01.2026 को आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026) के दौरान, बैंक के ऑडिट, निरीक्षण और सतर्कता विभाग ने 241 शाखाओं का आंतरिक निरीक्षण किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.05.2025 से 31.03.2026) के दौरान, बाहरी ऑडिटर्स/सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों द्वारा नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 330 शाखाओं (एक्सटेंशन काउंटर्स सहित) का समवर्ती ऑडिट किया गया। विभाग ने सभी 330 शाखाओं (एक्सटेंशन काउंटर्स सहित) का आईएस ऑडिट भी किया है।

नई पहल:

विभाग ने एक नया इन-हाउस प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने, बनाने, फॉलो-अप करने और उन्हें बंद करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित हो गई है। इससे इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के संचालन, फॉलो-अप और उन्हें बंद करने के काम में दक्षता आई है। इस पोर्टल के सफल कार्यान्वयन और संचालन की सफलता के बाद, अब विभाग 'कंकरेंट ऑडिट' प्रक्रिया के लिए भी इसी तरह का सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया में है।

कामकाज में दक्षता लाने के साथ-साथ, इससे कागज़ और फिजिकल रिकॉर्ड रखने में लगने वाली जगह की भी बचत होगी।

यह प्लेटफॉर्म डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए आसान और समझने में सरल टूल उपलब्ध कराएगा, जिससे इंस्पेक्शन के नतीजों और समय के साथ बदलते ट्रेंड्स की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर, हम कागज़ पर अपनी निर्भरता को काफी कम करते हैं, जिससे पर्यावरण की स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में योगदान मिलता है।

19. भारत सरकार के 'विशेष अभियान के तहत 02.10.2025 से 31.10.2025 तक कई पहलें की गईं:

- क) जे एंड के और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 150 जगहों पर सफ़ाई अभियान चलाया गया। इन जगहों में ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान जैसे चिंगस किला, एयरवान मंदिर (नगरी पैरोल) और पर्यटन स्थल नूरी चंब झरना आदि शामिल थे।
- ख) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में कुल 24 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
- ग) दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए, जैसे कि रैंप बनाना, शाखाओं में मैग्रीफाइंग ग्लास उपलब्ध कराना और उनके लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था करना।
- घ) 02.10.2025 से 31.10.2025 तक चले अभियान के दौरान, 8811 निष्क्रिय/दावा-रहित खातों को चालू किया गया और बैंक खातों में 2147 तथा सेफ़ डिपॉजिट लॉकर में 20 नॉमिनेशन रजिस्टर किए गए।
- ङ) इस विशेष अभियान के दौरान 51 लॉकर समझौतों का नवीनीकरण किया गया है।
- च) 13-10-2025 से 18-10-2025 तक पेंशन शिकायत सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से 577 पेंशनभोगियों से संपर्क किया गया और इस अवधि में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई।
- छ) बैंक की ओर से 44 वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए।
- ज) स्क्रेप (कबाड़) हटाने का एक अभियान चलाया गया और विभिन्न शाखाओं व कार्यालयों से स्क्रेप बेचकर ₹35,882 की कमाई हुई। 37 शाखाओं/कार्यालयों की जगहों की सफाई और सौंदर्यीकरण किया गया जिससे कुल 2,687 वर्ग फुट जगह खाली हुई।

20. प्रबंधन / निदेशक मंडल: -

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान, 10 बोर्ड बैठकें और एसीबी की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

21. वर्तमान में बोर्ड पर मौजूद निदेशकों के नाम।

1. श्री संजय गुप्ता, चेयरमैन
2. श्री विक्रमजीत सिंह, निदेशक (जे एंड के केंद्र शासित प्रदेश सरकार)
3. श्री ए.के. ठाकुर, निदेशक (भारत सरकार)
4. श्री सुनीत कुमार, निदेशक (प्रायोजक बैंक - जे एंड के बैंक)
5. श्री आशुतोष सरीन, निदेशक (प्रायोजक बैंक - J जे एंड के बैंक)
6. श्री सुभाष चंद्र छिब्बर, निदेशक (जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार)
7. श्री शुभ्रता घोष मौलिक, निदेशक (आरबीआई)
8. सुश्री उर्मिल लता, निदेशक (नाबार्ड)

22. आभार :-

मैं इस मौके पर बोर्ड के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे साल इस सफ़र के दौरान अपना कीमती सहयोग, मार्गदर्शन और सुझाव दिए।

मैं भारत सरकार, जे एंड के यूटी सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, जे एंड के बैंक (स्पॉन्सर बैंक) और बैंक के वैधानिक ऑडिटर्स का भी हमारे प्रति उनके लगातार सहयोग और भरोसे के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बैंक की तरक्की में हमारे वफादार ग्राहकों से मिले भरपूर सहयोग और समर्थन को भी याद करना चाहता हूँ। मैं मुश्किल समय में भी अपनी समर्पित टीम की अथक कोशिशों और बेहतरीन काम की सराहना करता हूँ। यह सब सिर्फ़ ब्रांच में काम करने वाले फ्रंट-लाइन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और जे एंड के और लद्दाख यूटी में फैले लाखों संतुष्ट ग्राहकों और शुभचिंतकों के भरोसे की वजह से ही मुमकिन हो पाया है।

तरक्की और विकास की हमारी यात्रा एक सामूहिक प्रयास है, और हम देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करते हुए अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक में, उत्कृष्टता की ओर अपनी यात्रा में हम आपके निरंतर सहयोग, समर्थन और सद्भावना की अपेक्षा करते हैं।

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की ओर से
जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक

संजय गुप्ता
चेयरमैन

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती,

सदस्य

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक

जम्मू

वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक ('बैंक') के साथ लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है। इसमें 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट, उस साल का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े नोट्स शामिल हैं, जिनमें ज़रूरी अकाउंटिंग पॉलिसी और दूसरी जानकारी का सारांश दिया गया है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे द्वारा ऑडिट की गई **29 ब्रांच, और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद 192 ब्रांच और 01 एक्सटेंशन काउंटर के रिटर्न शामिल हैं**, जिनका ऑडिट वैधानिक ब्रांच ऑडिटर ने किया है।

हमारे और दूसरे ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट की गई शाखाओं को बैंक ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ('नाबार्ड') द्वारा बैंक को जारी गाइडलाइंस के अनुसार चुना है।

बैलेंस शीट और प्रॉफिट-एंड-लॉस अकाउंट में 107 ब्रांच और 1 एक्सटेंशन काउंटर से मिली जानकारी भी शामिल है, जिनका ऑडिट नहीं हुआ था। हालाँकि, इनमें से 85 ब्रांच की समीक्षा कॉन्करेंट ऑडिटर ने की है, और बाकी 22 ब्रांच और 1 एक्सटेंशन काउंटर की बिना ऑडिट वाली जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई है।

हमारी राय में, और हमारी जानकारी और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 ("एक्ट"), रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, 1976 और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और नाबार्ड द्वारा जारी सर्कुलर, निर्देशों और गाइडलाइंस के तहत बैंक के लिए ज़रूरी जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

- (क) बैलेंस शीट और उससे जुड़े नोट्स को मिलाकर देखने पर यह एक पूरी और सही बैलेंस शीट है, जिसमें सभी ज़रूरी जानकारी शामिल है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह 31 मार्च, 2026 को बैंक की स्थिति की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करती है।
- (ख) लाभ-हानि खाता, उससे संबंधित नोट्स के साथ, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ का सही बैलेंस दिखाता है।
- (ग) कैश फ़्लो स्टेटमेंट उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैश फ़्लो की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करता है।

राय का आधार

हमने अपना ऑडिट, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("ICAI") द्वारा जारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ("SAs") और लागू कानूनों के अनुसार किया। उन स्टैंडर्ड्स के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए ऑडिटर की ज़िम्मेदारियाँ' वाले सेक्शन में और जानकारी दी गई है। हम ICAI द्वारा जारी 'कोड ऑफ़ एथिक्स' और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से जुड़ी नैतिक ज़रूरतों (जो लागू कानूनों और नियमों के तहत आती हैं) के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन ज़रूरतों और 'कोड ऑफ़ एथिक्स' के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट सबूत मिले हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए काफ़ी और उचित हैं।

मामले पर विशेष ध्यान

हम आरबीआई के 20 मार्च, 2025 के पत्र नंबर RB1/2024-25/127 DOR.ACC.REC.No.67/21.04.018/2024-25 के तहत मंजूर की गई 37.88 करोड़ रुपये की अन-अमॉर्टाइज़्ड पेंशन लायबिलिटी के संबंध में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 18 के नोट नंबर 11.3 की ओर ध्यान दिलाते हैं।

इसके अलावा, हम आरबीआई के विलय से जुड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 18 के नोट नंबर 1 की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, 1976 (1976 का 21) (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) की धारा 23A की उप-धारा (1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 07 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन नंबर CG-DL-E-07042025-262329 के ज़रिए, दो रीजनल रूरल बैंकों - पहले के जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और पहले के एल्लाक्काई देहाती बैंक (जिन्हें आगे 'ट्रांसफरर रीजनल रूरल बैंक' कहा जाएगा) - का विलय करके एक ही रीजनल रूरल बैंक बनाया, जिसे अब जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक (जिसे आगे 'ट्रांसफररी रीजनल रूरल बैंक' कहा जाएगा) कहा जाता है। इसका हेड ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की स्पॉन्सरशिप में जम्मू में है और यह 1 मई, 2025 (जिसे आगे 'विलय की प्रभावी तारीख' कहा जाएगा) से अस्तित्व में आया।

नोटिफिकेशन के अनुसार, विलय की प्रभावी तारीख से, ट्रांसफर करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की सभी तरह की बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज, ट्रांसफर लेने वाले रीजनल रूरल बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी। इसी के अनुसार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल करने के लिए 01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के आंकड़ों को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के खाते ग्यारह महीनों के लिए तैयार किए गए हैं।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

ऑडिट के मुख्य मामले

'मुख्य ऑडिट मामले' वे मामले हैं जो हमारी पेशेवर राय में, मौजूदा अवधि के लिए 'गोइंग कंसर्न' (कंपनी के चालू रहने) से जुड़ी महत्वपूर्ण अनिश्चितता के संदर्भ में, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समग्र ऑडिट और उन पर अपनी राय बनाने के दौरान विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने नीचे बताए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताने के लिए 'मुख्य ऑडिट मामले' के रूप में तय किया है।

1. एडवांस का वर्गीकरण, आय की पहचान, नॉन-परफॉर्मिंग एडवांस की पहचान और उनके लिए प्रोविज़निंग (फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 17 के पैरा 4 और 8 देखें, साथ ही शेड्यूल 18 का नोट 5 भी पढ़ें)

बैंक के नेट एडवांसेज (कुल दिए गए लोन) उसकी कुल संपत्ति का 54.62% हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक अहम हिस्सा हैं। ये मुख्य रूप से इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविज़निंग (आईआरएसीपी) नियमों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर और निर्देशों के तहत आते हैं। ये नियम एडवांसेज को 'परफॉर्मिंग' और 'नॉन-परफॉर्मिंग एडवांसेज' (एनपीए) में बांटने के लिए गाइडलाइंस देते हैं। बैंक अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अनुसार आईआरएसीपी नियमों के आधार पर इन एडवांसेज का वर्गीकरण करता है।

परफॉर्मिंग और नॉन-परफॉर्मिंग एडवांसेज (कर्ज़) की पहचान करने के लिए एक सही सिस्टम बनाना ज़रूरी है। बैंक एडवांसेज से जुड़े सभी ट्रांज़ैक्शन का हिसाब अपने आईटी सिस्टम, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में रखता है; यह सिस्टम यह भी पहचानता है कि एडवांसेज परफॉर्मिंग हैं या नॉन-परफॉर्मिंग। इसके अलावा, एडवांसेज को सिक्योरिटी और सेक्टर के आधार पर क्लासिफ़ाई करने के लिए सीबीएस में मैनुअल डेटा एंट्री पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, जैसे सिस्टम में गलत 'ड्राइंग पावर'

डालना, सिक्योरिटी की जानकारी को सही ढंग से अपडेट न करना, और ग्रुप एक्सपोज़र की पहचान भी मैनुअल प्रोसेस पर आधारित होती है।

लेन-देन की प्रकृति, रेगुलेटरी ज़रूरतों, मौजूदा बिज़नेस माहौल, सिक्योरिटीज़ के वैल्यूएशन और प्रोविज़न की कैलकुलेशन में शामिल अनुमान/फ़ैसले को देखते हुए, यह फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अहम मामला है। इसके अलावा, उधार लेने वालों और सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी द्वारा दिए गए डेटा पर निर्भरता, आरबीआई की अलग-अलग गाइडलाइंस के अनुसार प्रोविज़न की कैलकुलेशन, और नॉन-परफॉर्मिंग एडवांसज़ सहित ब्याज से होने वाली इनकम की पहचान जैसे कारणों से, हमने ऊपर बताए गए हिस्से को 'की ऑडिट मैटर' (मुख्य ऑडिट मामला) माना है।

2. गोइंग कंसर्न से जुड़ी महत्वपूर्ण अनिश्चितता

बैंक को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 28.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 31 मार्च 2026 तक बैंक का कुल संचित नुकसान 747.13 करोड़ रुपये रहा है। 30 अप्रैल 2025 को बैंक का सीआरएआर 4.45% था, जो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक गिरकर 3.66% हो गया। 9% की न्यूनतम निर्धारित विनियामक आवश्यकता के मुकाबले सीआरएआर 3.66% रहा।

बैंक की ऑपरेशनल क्षमताओं और ग्रोथ ट्रेंड के आधार पर, बैंक का मानना है कि वह अपने सामान्य कामकाज के दौरान अपनी एसेट्स (जिसमें डेफ़र्ड टैक्स एसेट भी शामिल है) से पैसा वसूल पाएगा और अपनी देनदारियों को चुका पाएगा; इसलिए फाइनेंशियल नतीजे 'गोइंग कंसर्न' (कामकाज जारी रहने) के आधार पर तैयार किए गए हैं। 'गोइंग कंसर्न' की यह धारणा, अन्य बातों के अलावा, बैंक की लिक्विडिटी, एसेट क्वालिटी और सॉल्वेंसी रेश्यो में सुधार करने की क्षमता पर निर्भर करती है; इसलिए एक ऐसी अहम अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक के 'गोइंग कंसर्न' के तौर पर बने रहने की क्षमता पर बड़ा संदेह पैदा कर सकती है। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैनेजमेंट के अनुसार ऐसी अनिश्चितताओं को कम करने वाले कारक भी मौजूद हैं।

इस मामले के संबंध में वित्तीय परिणामों पर हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

मुख्य ऑडिट प्रक्रियाएँ

हमने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान करने के लिए बैंक के सिस्टम का आकलन किया। हमारे ऑडिट के तरीके में इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन और उनके काम करने की प्रभावशीलता की जाँच करना, और साथ ही निम्नलिखित सहित सबस्टैंटिव टेस्टिंग (विस्तृत जाँच) शामिल थी:

- क. हमने बैंक से सिस्टम में बने कंट्रोल, आरबीआई गाइडलाइंस और बैंक की संबंधित पॉलिसीज़ के पालन के लिए शामिल चेक और बैलेंस (खासकर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की पहचान और प्रोविज़निंग के संबंध में) के बारे में जानकारी हासिल की, ताकि हम ज़रूरी प्रक्रियाओं के स्वरूप, समय और दायरे को तय कर सकें और उसी के अनुसार अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं की योजना बना सकें।
- ख. हमें सौपी गई 29 शाखाओं के लिए, आईआरएसीपी नियमों के अनुसार इनकम की पहचान, एडवांस को 'परफॉर्मिंग' और 'नॉन-परफॉर्मिंग' में बांटने और प्रोविज़निंग के लिए सिस्टम में डाले गए डेटा की सटीकता की जाँच की गई है। हमें सौपी गई शाखाओं में मुख्य प्रक्रियाओं को पूरा करते समय हमने बड़े एडवांस/स्ट्रेस्ड एडवांस की जाँच की है, जबकि अन्य एडवांस की जाँच सैंपल के आधार पर की गई है, जिसमें बैंक के मैनेजमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र वैल्यूअर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है। हमने बैंक के मैनेजमेंट के साथ एडवांस के सिस्टम-आधारित वर्गीकरण, प्रोविज़निंग प्रक्रिया के ऑटोमेशन और एनपीए के तौर पर पहचाने गए एडवांस के लिए ज़रूरी प्रोविज़न की गणना पर ज़ोर दिया है।

- ग. बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार इंटरनल ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट जैसे निगरानी तंत्रों का अस्तित्व और उनकी प्रभावशीलता।
 - घ. हमने उन शाखाओं से मिले नतीजों पर भरोसा किया जिनका ऑडिट नहीं हुआ था। इस सिलसिले में हमें दिए गए सैंपल डेटा की सटीकता की जांच करने के लिए हमने बैंक के इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा की और यह पक्का किया कि हमारे ऑडिट के दौरान मिली कमियों/अंतरों/गलतियों पर बैंक ने ठीक से ध्यान दिया है।
 - ङ. समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) की पहचान और प्रोविज़निंग तथा उससे जुड़ी आय की रिवर्सल की जाँच की गई।
 - च. आरबीआई के विवेकपूर्ण नियमों के अनुसार एनपीए की पहचान और ज़रूरी प्रोविज़न की पर्याप्तता के लिए मैनेजमेंट के अनुमानों और फ़ैसलों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।
 - छ. हमने बैंक द्वारा चुनी गई शाखाओं के लिए शाखा ऑडिटर्स द्वारा किए गए काम पर भी भरोसा किया है।
 - ज. सैंपल के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की फ़ाइलों और ऐसे खातों के कामकाज की समीक्षा।
 - झ. प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ करना।
 - ञ. ब्याज लागू करने, अन्य शुल्क लगाने, कमीशन आदि की जांच-पड़ताल।
 - ट. यह सुनिश्चित किया गया कि हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के दौरान पाई गई कमियों को ठीक से ठीक कर दिया गया है।
- 3. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, नॉन-परफॉर्मिंग निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों के शेड्यूल 17 के पॉइंट 2 और शेड्यूल 18 के नोट 3 को देखें)**
- निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं।
- बैंक की कुल संपत्ति में निवेश का हिस्सा 17.09% है। ये आरबीआई के सर्कुलर और निर्देशों के तहत आते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, नॉन-परफॉर्मिंग निवेश की पहचान, उससे जुड़ी आय को न मानना और उसके लिए प्रोविज़न बनाना जैसी बातें शामिल हैं।
- बिना लिस्ट हुए निवेश और कम ट्रेड होने वाले निवेश का मूल्यांकन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्वाभाविक रूप से जोखिम होता है, क्योंकि इसमें बाज़ार में उतार-चढ़ाव, भरोसेमंद कीमतों की अनुपलब्धता और मैक्रो-इकोनॉमिक अनिश्चितता जैसे कारक शामिल होते हैं।
- इसी के अनुसार, हमारा ऑडिट निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, नॉन-परफॉर्मिंग निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रोविज़निंग पर केंद्रित था।
- ऊपर बताई गई सिक्योरिटीज की हर कैटेगरी (टाइप) की वैल्यूएशन, आरबीआई के सर्कुलर और निर्देशों में बताए गए तरीके से की जानी है। इस प्रक्रिया में अलग-अलग स्रोतों, जैसे कि FBIL रेट्स और अनलिस्टेड कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह से डेटा या जानकारी इकट्ठा करना शामिल है।
- वैल्यूएशन में शामिल जटिलताओं और निर्णय लेने की ज़रूरत, ट्रांज़ैक्शन की मात्रा, मौजूदा निवेश और रेगुलेटरी फ़ोकस के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हमने ऊपर बताए गए क्षेत्र को 'मुख्य ऑडिट मामला' (की ऑडिट मामला) माना है।

मुख्य ऑडिट प्रक्रियाएँ

आरबीआई के सर्कुलर/निर्देशों के आधार पर निवेशों के संबंध में हमारे ऑडिट के तरीके में इंटरनल कंट्रोल को समझना और वैल्यूएशन, वर्गीकरण, नॉन-परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट (एनपीआई) की पहचान, और निवेशों से जुड़े प्रोविज़निंग/ डेप्रिसिएशन के संबंध में ठोस ऑडिट प्रक्रियाएं शामिल थीं। ट्रेज़री के ऑडिट के संबंध में हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं का फोकस इन बातों पर था:

- क. हमने निवेश से जुड़ी वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, एनपीआई की पहचान और प्रोविज़निंग/डेप्रिसिएशन के संबंध में आरबीआई के संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मूल्यांकन और अध्ययन किया।
- ख. मौजूदा निवेशों के चुने हुए सैंपल के लिए, हमने सिक्योरिटी की हर कैटेगरी की वैल्यूएशन को दोबारा करके आरबीआई के मास्टर सर्कुलर और निर्देशों के पालन और सटीकता की जांच की। सैंपल चुनते समय यह पक्का किया गया कि निवेश की सभी कैटेगरी (सिक्योरिटी की प्रकृति के आधार पर) सैंपल में शामिल हों।
- ग. आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, सबसे हालिया उपलब्ध फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट या तय प्रक्रियाओं के आधार पर, कोटेड इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन की स्वतंत्र रूप से जांच की गई।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की ज़िम्मेदारियाँ

अन्य जानकारी तैयार करने की ज़िम्मेदारी बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की है। इस अन्य जानकारी में डायरेक्टर की रिपोर्ट में शामिल जानकारी तो होती है, लेकिन इसमें फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट और उन पर हमारी ऑडिटर रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। उम्मीद है कि ऊपर बताई गई अन्य जानकारी हमें इस ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारी राय में यह अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी तरह का भरोसा या निष्कर्ष नहीं देंगे। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट के सिलसिले में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो हम उसे पढ़ें और यह देखें कि क्या वह जानकारी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट से या ऑडिट के दौरान हमें मिली जानकारी से काफ़ी अलग है, या क्या उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी या गलत जानकारी दिखती है। जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं और हमें लगता है कि उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी या गलत जानकारी है, तो हमें इस बात की जानकारी उन लोगों को देनी होगी जो मैनेजमेंट या गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार हैं। फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारियाँ। बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स इन फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये स्टेटमेंट भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांतों (जिनमें लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, 1976 के प्रावधान, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 29 और आरबीआई और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर और गाइडलाइन शामिल हैं) के अनुसार बैंक की फ़ाइनेंशियल स्थिति, फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ़्लो की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उचित अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए रखना; सही अकाउंटिंग नीतियों को चुनना और लागू करना; उचित और समझदारी भरे फैसले और अनुमान लगाना; और उचित इंटरनल फ़ाइनेंशियल कंट्रोल को डिज़ाइन करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है। ये कंट्रोल अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो ऐसे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने और पेश करने के लिए ज़रूरी हैं जो सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हों और जिनमें धोखाधड़ी या गलती के कारण कोई बड़ी गड़बड़ी या गलत जानकारी न हो।

फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे बैंक की 'गोइंग कंसर्न' (लगातार काम करते रहने) के तौर पर बने रहने की क्षमता का आकलन करें, 'गोइंग कंसर्न' से जुड़ी ज़रूरी बातों का खुलासा करें

और अकाउंटिंग के लिए 'गोइंग कंसर्न' आधार का इस्तेमाल करें। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स बैंक को बंद करने या कामकाज रोकने का इरादा न रखते हों, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और व्यावहारिक विकल्प न हो। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा मकसद यह पक्का करना है कि क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है - चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या गलती से - और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। 'उचित भरोसा' भरोसे का एक उँचा स्तर है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएज़ (ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स) के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा बड़ी गड़बड़ी का पता लगा ही लेगा। गड़बड़ियाँ धोखाधड़ी या गलती से हो सकती हैं और उन्हें 'मटीरियल' (बड़ी या अहम) तब माना जाता है जब अकेले या कुल मिलाकर, उनसे उन लोगों के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की उम्मीद हो जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर फैसले लेते हैं।

एसएज़ के अनुसार ऑडिट के हिस्से के तौर पर, हम ऑडिट के दौरान पेशेवर समझ का इस्तेमाल करते हैं और पेशेवर संदेह का रवैया बनाए रखते हैं।

हम यह भी करते हैं :-

- हम वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं; उन जोखिमों से निपटने के लिए ऑडिट प्रक्रियाएँ तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं; और अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न चलने का जोखिम, गलती के कारण होने वाली गलत बयानी के जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर जानकारी छिपाना, गलत जानकारी देना या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- ऑडिट की प्रक्रियाओं को इस तरह से तैयार करने के लिए, जो परिस्थितियों के हिसाब से सही हों, हमें ऑडिट से जुड़े इंटरनल कंट्रोल को समझना होगा। हमारी यह ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी राय दें कि क्या बैंक में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम सही ढंग से मौजूद है और क्या ये कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं।
- इस्तेमाल की गई अकाउंटिंग पॉलिसी की उपयुक्तता और मैनेजमेंट द्वारा किए गए अकाउंटिंग अनुमानों और उनसे जुड़ी जानकारी के खुलासे की उचितता का मूल्यांकन करें।
- हम मैनेजमेंट द्वारा अकाउंटिंग के 'गोइंग कंसर्न' (कारोबार के चलते रहने) आधार के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालेंगे। साथ ही, ऑडिट से मिले सबूतों के आधार पर यह देखेंगे कि क्या ऐसी कोई बड़ी अनिश्चितता है जो बैंक के 'गोइंग कंसर्न' के तौर पर काम करते रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। अगर हमें लगता है कि कोई बड़ी अनिश्चितता है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई संबंधित जानकारी की ओर ध्यान दिलाना होगा, या अगर वह जानकारी अपर्याप्त है, तो अपनी राय में बदलाव करना होगा। हमारे निष्कर्ष ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक मिले ऑडिट सबूतों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक का 'गोइंग कंसर्न' के तौर पर काम करना बंद हो सकता है।
- फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और कंटेंट (जिसमें डिस्क्लोज़र भी शामिल हैं) का मूल्यांकन करें और यह देखें कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट असल लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दिखाते हैं जिससे सही प्रेजेंटेशन हो सके।

हम गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ कई बातों पर बातचीत करते हैं जैसे कि ऑडिट का प्लान किया गया दायरा और समय, और ऑडिट के दौरान मिली अहम बातें—जिनमें इंटरनल कंट्रोल में पाई गई कोई भी बड़ी कमी भी शामिल है।

हम गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों को यह स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमने आज़ादी से जुड़े ज़रूरी नैतिक नियमों का पालन किया है। साथ ही, हम उन्हें उन सभी रिश्तों और दूसरी बातों के बारे में भी बताते हैं जिनका हमारी आज़ादी पर असर पड़ सकता है, और जहाँ ज़रूरी हो, उनसे जुड़े सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं।

गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ बातचीत में आए मामलों में से हम उन मामलों को चुनते हैं जो मौजूदा समय की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में सबसे अहम थे और इसलिए वे 'मुख्य ऑडिट मामले' (मुख्य लेखा परीक्षा मामले) हैं। हम अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में इन मामलों का ज़िक्र करते हैं, सिवाय तब जब कोई कानून या नियम इनके सार्वजनिक खुलासे पर रोक लगाता हो, या जब बहुत ही दुर्लभ मामलों में हमें लगे कि किसी मामले को रिपोर्ट में नहीं बताना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले नुकसान, ऐसी जानकारी देने से जनता को मिलने वाले फ़ायदों से ज़्यादा हो सकते हैं।

अन्य मामले

हमने बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल 299 ब्रांच और 02 एक्सटेंशन काउंटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट/ जानकारी का ऑडिट नहीं किया। 31 मार्च 2026 तक, ये ब्रांच बैंक के कुल एडवांस का 80.63% (4444.82 करोड़ रुपये) और कुल डिपॉजिट का 82.62% (6892.03 करोड़ रुपये) हिस्सा हैं। 192 ब्रांच और 01 एक्सटेंशन काउंटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट वैधानिक ब्रांच ऑडिटर (SBA) ने किया है और उनकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है। इसके अलावा, 107 ऐसी ब्रांच और 1 एक्सटेंशन काउंटर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है; ये बैंक के कुल एडवांस का 13.75% (758.22 करोड़ रुपये) और कुल डिपॉजिट का 13.88% (1157.99 करोड़ रुपये) हिस्सा हैं। हमारी राय में, 299 ब्रांच और 02 एक्सटेंशन काउंटर से जुड़ी रकम और जानकारी पूरी तरह से उन ब्रांच ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पर आधारित है, और उन ब्रांच के बिना ऑडिट किए गए रिटर्न पर आधारित है जिनका ऑडिट SBA और कॉन्करेंट ऑडिटर ने नहीं किया था।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने ऑडिट के मकसद से ज़रूरी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हासिल कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ज़रूरी थे, और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के दायरे में ही रहे हैं।
- (ग) दफ़्तरों और शाखाओं से मिली रिपोर्ट हमारे ऑडिट के मकसद के लिए काफ़ी पाई गई हैं।

हम आगे यह भी बताते हैं कि:

- क) हमारी राय में, बैंक ने कानून के अनुसार हिसाब-किताब की सही किताबें रखी हैं (जैसा कि उन किताबों की हमारी जांच से पता चलता है) और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया, वहां से हमारे ऑडिट के मकसद के लिए ज़रूरी सही रिटर्न मिल गए हैं।
- ख) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ़्लो स्टेटमेंट, अकाउंट की किताबों और उन ब्रांचों से मिले रिटर्न से मेल खाते हैं, जहाँ हम नहीं गए थे।
- ग) इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 29 शाखाओं, वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित 192 शाखाओं और 1 विस्तार शाखा तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत लेखापरीक्षित न की गई 107 शाखाओं और 1 विस्तार शाखा के खातों की रिपोर्टों का विधिवत विश्लेषण किया है;
- घ) हमारी राय में, बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट और कैश फ़्लो स्टेटमेंट लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हैं, बशर्ते वे आरबीआई द्वारा तय की गई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के विपरीत न हों।

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 014461एन)

दिनांक : 24-04-2026
स्थाना : जम्मू

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एम. नं.: 508018
यूडीआईएन नं. : 25508018BMJQ0B9290

31 मार्च 2026 तक के वित्तीय परिणाम

(राशि करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक के वित्तीय परिणाम		समाप्त तिमाही मार्च 2026		01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान
		31.03.2026	31.12.2025	
क्र.सं.	विवरण	(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	अर्जित ब्याज (क+ख+ग+घ)	182.25	188.14	685.24
	क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	113.21	120.03	429.20
	ख) निवेश से आय	29.21	28.99	108.20
	ग) आरबीआई के पास मौजूद बैलेंस और अन्य इंटर-बैंक फंड पर ब्याज	39.83	39.12	147.84
	घ) अन्य	-	-	-
2	अन्य कमाई	11.21	6.45	33.68
3	कुल आय (1+2)	193.46	194.59	718.92
4	चुकाया गया ब्याज	112.09	111.20	411.68
5	परिचालन व्यय (I+II)	84.08	90.75	309.09
	I. कर्मचारी लागत	60.90	63.72	226.95
	II. अन्य परिचालन व्यय	23.18	27.03	82.14
6	कुल खर्च (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिक खर्चों को छोड़कर)	196.17	201.95	720.77
7	प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले परिचालन लाभ (3-6)	(2.71)	(7.36)	(1.85)
8	प्रावधान (टैक्स के अलावा) और आकस्मिकताएँ	(1.00)	15.10	26.50
9	असाधारण मर्दे	-	-	-
10	टैक्स से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/हानि (-) (7-8-9)	(1.71)	(22.46)	(28.35)
11	डीटीए सहित टैक्स खर्च	-	-	-
12	टैक्स के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) (10-11)	(1.71)	(22.46)	(28.35)
13	असाधारण मर्दे (टैक्स खर्च घटाकर)	-	-	-

14	अवधि (12-13) के लिए शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	(1.71)	(22.46)	(28.35)
15	चुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	988.35	988.35	988.35
16	शेयर पूंजी जमा	0.00	0.00	0.00
17	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर रिज़र्व	-747.13	-745.43	-747.13
18	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	-	-	-
19	विश्लेषणात्मक अनुपात			
(i)	भारत सरकार के पास मौजूद शेयरों का प्रतिशत	50%	50%	50%
(ii)	- पूंजी पर्याप्तता अनुपात %			
	- कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) %	3.66%	3.74%	3.66%
(iii)	- एनपीए अनुपात			
	क) सकल एनपीए की राशि	263.45	275.27	263.45
	ख) नेट एनपीए की राशि	100.97	112.80	100.97
	ग) कुल अग्रिमों (Gross Advances) के अनुपात में सकल एनपीए (Gross NPAs) का प्रतिशत	4.83%	5.27%	4.83%
	घ) नेट एडवांसेज़ के मुकाबले नेट एनपीए का प्रतिशत	1.91%	2.23%	1.91%

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
निदेशक

ह/-
शुभव्रता घोष मौलिक
निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 014461एन

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एमआरएन : 508018

स्थान : जम्मू
दिनांक : 24.04.2026

31 मार्च 2026 को बैलेंस शीट

(₹ '000' छोड़ा गया)

	अनुसूची	31.03.2026	01.05.2025
पूंजी और देनदारियां		(लेखापरीक्षित)	(शुरुआत)
पूंजी	1	98,83,517	98,83,517
रिज़र्व और सरप्लस	2	(74,71,347)	(71,87,854)
जमा	3	8,34,17,117	7,68,61,633
उधारी	4	90,38,519	82,83,306
अन्य देनदारियां और प्रावधान	5	20,84,002	33,20,247
कुल		9,69,51,807	9,11,60,849
संपत्ति			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेष राशि	6	25,80,070	32,69,803
बैंकों के पास बैलेंस और कॉल व शॉर्ट नोटिस पर पैसा	7	2,23,31,196	2,04,13,518
निवेश	8	1,65,68,390	1,67,55,247
अग्रिम	9	5,29,53,206	4,76,08,194
अचल संपत्तियां	10	1,75,298	1,71,176
अन्य परिसंपत्तियां	11	2,343,647	29,42,911
कुल		9,69,51,807	9,11,60,849
आकस्मिक देयताएं	12	3,45,960	2,88,257
वसूली के लिए बिल		-	-

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
निदेशक

ह/-
शुभ्रता घोष मौलिक
निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 014461एन

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एमआरएन : 508018

स्थान : जम्मू
दिनांक : 24.04.2026

(ऑडिट) लाभ-हानि खाता 01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के लिए		
	अनुसूची	(₹ '000' को छोड़कर) 01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान
I. आय		(लेखापरीक्षित)
अर्जित ब्याज	13	68,52,462
अन्य कमाई	14	3,36,785
कुल		71,89,247
II. खर्च		
गया ब्याज	15	41,16,822
परिचालन खर्च	16	30,90,908
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		2,65,010
कुल		74,72,740
III. टैक्स से पहले का नेट प्रॉफ़िट / (लॉस)		(2,83,493)
टैक्स खर्च		
- आयकर के लिए प्रावधान		-
- स्थगित कर के लिए प्रावधान		-
- पिछली अवधि की आयकर समायोजन		-
IV. विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)		(2,83,493)
V. आगे लाया गया नुकसान		(74,05,446)
VI. विनियोजन/स्थानांतरित:		
i) वैधानिक रिज़र्व		-
ii) पूंजी आरक्षित निधि		-
iii) राजस्व और अन्य रिज़र्व		-
बैलेंस शीट में ले जाए गए बैलेंस		(76,88,939)

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ बैलेंस शीट का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
निदेशक

ह/-
शुभव्रता घोष मौलिक
निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

धर्म राज एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 014461एन

(सीए सुनील चौधरी)

साथी

एमआरएन : 508018

स्थान : जम्मू

दिनांक : 24.04.2026

अनुसूची-1 पूंजी

(रु.'000' छोड़ा गया)		
	31.03.2026	01.05.2025
अधिकृत पूंजी		
2,00,00,00,000 (P.Y. 2,00,00,00,000)		
₹10/- प्रति इक्विटी शेयर	20,000,000	20,000,000
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
988,351,700		
₹10/- प्रति इक्विटी शेयर	9,883,517	9,883,517
कुल	9,883,517	9,883,517

अनुसूची-2 रिज़र्व और अधिशेष

(रु.'000' छोड़ा गया)		
	31.03.2026	01.05.2025
I. वैधानिक रिज़र्व		
प्रारंभिक जमा	184,304	184,304
अवधि के दौरान जोड़/(कटौती)	-	-
जमा शेष	184,304	184,304
II. आरक्षित निधि		
प्रारंभिक जमा	33,288	33,288
अवधि के दौरान जोड़/(कटौती)	-	-
जमा शेष	33,288	33,288
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक जमा	-	-
अवधि के दौरान जोड़/(कटौती)	-	-
जमा शेष	-	-
IV. राजस्व और अन्य रिज़र्व		
प्रारंभिक जमा	-	-
अवधि के दौरान जोड़/(कटौती)	-	-
निकासी	-	-
जमा शेष	-	-
V. लाभ-हानि खाते में शेष	(7,688,939)	(7,405,446)
कुल (I, II, III, IV और V)	(7,471,347)	(7,187,854)

अनुसूची-3 जमा राशियाँ

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
क I.	डिमांड डिपॉजिट्स		
	i) बैंकों से	-	-
	ii) दूसरों से	4,085,358	3,083,955
	कुल (I और ii)	4,085,358	3,083,955
II.	बचत बैंक जमा	32,740,570	30,728,927
III.	सावधि जमा		
	i) बैंकों से	-	-
	ii) दूसरों से	46,591,189	43,048,751
	कुल (I और ii)	46,591,189	43,048,751
	कुल क (I+II+III)	83,417,117	76,861,633
ख. I.	भारत में शाखाओं की जमा राशि	83,417,117	76,861,633
II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियाँ	-	-
	कुल ख (I+II)	83,417,117	76,861,633

अनुसूची-4 उधार

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	भारत में उधार		
i)	भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
ii)	अन्य बैंक (प्रायोजक बैंक)	157,770	467,769
iii)	अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	8,880,749	7,815,537
	कुल (i से iii)	9,038,519	8,283,306
II.	भारत के बाहर से उधार	-	-
	कुल योग (I और II)	9,038,519	8,283,306
	ऊपर I और II में शामिल सुरक्षित उधार	शून्य	शून्य

अनुसूची-5 अन्य देनदारियां और प्रावधान

(रु.'000' छोड़ा गया)			
		31.03.2026	01.05.2025
i)	देय बिल	79,239	52,792
ii)	इंटर-ऑफिस एडजस्टमेंट (नेट)	17,495	22,099
ii)	अर्जित ब्याज	80,337	814,939
v)	विलम्बित टैक्स देयता	-	
v)	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	168,567	143,906
i)	विशेष समाधान ढांचे का प्रावधान	11,160	11,160
ii)	अन्य (अन्य प्रावधानों सहित)	1,727,204	2,275,351
	कुल (i से vii)	2,084,002	3,320,247

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेष राशि

(रु.'000' छोड़ा गया)			
		31.03.2026	01.05.2025
I.	हाथ में नकद (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	90,375	114,643
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेंस		
	i) करंट अकाउंट में	2,489,695	3,155,160
	ii) अन्य खातों में	-	-
	कुल (I और II)	2,580,070	3,269,803

अनुसूची-7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर उपलब्ध धनराशि

(रु.'000' छोड़ा गया)			
		31.03.2026	01.05.2025
I.	भारत में		
	i) बैंकों के साथ बैलेंस		
	क) करंट अकाउंट में	87,621	232,684
	ख) अन्य जमा खातों में	22,243,575	20,180,834
	कुल (i)	22,331,196	20,413,518

	ii) मांग और अल्प सूचना पर धन		
	क) बैंकों के साथ	-	-
	ख) अन्य संस्थानों के साथ	-	-
	कुल (ii)	-	-
	कुल (i और ii)	22,331,196	20,413,518
II.	भारत के बाहर		
	i) करंट अकाउंट में	-	-
	ii) अन्य जमा खातों में	-	-
	iii) मांग और अल्प सूचना पर धन	-	-
	(i, ii और iii) का कुल योग (कुल II)	-	-
	कुल योग (I और II)	22,331,196	20,413,518

अनुसूची-8 निवेश			
(रु.'000' छोड़ा गया)			
		31.03.2026	01.05.2025
I.	भारत में निवेश		
	कुल	16,568,390	16,755,247
	घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान	-	-
	कम करें: निवेश के लिए प्रावधान (NPI)	-	-
	नेट निवेश	16,568,390	16,755,247
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	16,568,390	16,753,947
	ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
	iii) शेयर (प्रेफरेंशियल + इक्विटी)	-	-
	iv) डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
	v) प्रायोजित संस्थान	-	-
	vi) अन्य	-	1,300
	कुल (I)	16,568,390	16,755,247
II.	भारत के बाहर निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
	ii) विदेशों में सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य
	iii) अन्य (स्वैप)	शून्य	शून्य
	कुल (II)	-	-
	कुल (I और II)	16,568,390	16,755,247

अनुसूची-9 अग्रिम

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
क	i) खरीदे और बट्टे पर भुनाए गए बिल	-	-
	ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले लोन	27,952,329	25,044,308
	iii) टर्म लोन	25,000,877	22,563,886
	iv) एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008 के तहत भारत सरकार से मिलने वाली राशि	-	-
	कुल (i से iv)	52,953,206	47,608,194
ख	i) मूर्त संपत्तियों से सुरक्षित	50,820,075	45,296,579
	ii) बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	706,678	208,670
	iii) असुरक्षित	1,426,453	2,102,945
	कुल (i से iii)	52,953,206	47,608,194
घ	I. भारत में प्रगति		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	40,197,325	35,860,333
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
	iii) बैंकों	-	-
	iv) गैर-प्राथमिकता क्षेत्र (अन्य)	12,755,881	11,747,861
	कुल (i से iv)	52,953,206	47,608,194
	II. भारत के बाहर दिए गए अग्रिम		
	i) बैंकों से देय	-	-
	ii) दूसरों से देय	-	-
	कुल (i से ii)	-	-
	कुल योग (I और II)	52,953,206	47,608,194

अनुसूची-10 अचल संपत्तियां

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	परिसर		
	क) भूमि		
	कार्यवाही वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	1385	1,385
	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
		1,385	1,385
	इस अवधि के दौरान की गई कटौतियां	-	-
	कुल	1,385	1,385
	अब तक का मूल्यहास	(978)	(1,146)
	कुल (क)	407	239
	ख) इमारत		
	कार्यवाही वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	18,683	18,683
	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-
		18,683	18,683
	इस अवधि के दौरान की गई कटौतियां	-	-
	कुल	18,683	18,683
	अब तक का मूल्यहास	(5,235)	(15,582)
	कुल (ख)	13,448	3,101
	ग) निर्माण कार्य प्रगति पर है	-	-
	कुल (I) [क+ख+ग]	13,855	3,340
II.	अन्य अचल संपत्तियां		
	(फ़र्नीचर और फ़िक्स्चर सहित)		
	कार्यवाही वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	883,656	853,734
	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	55,893	5,277
		939,549	859,011
	इस अवधि के दौरान की गई कटौतियां	(7,764)	(2,364)
		931,785	856,647
	अब तक का मूल्यहास	770,342	(688,811)
	कुल (II)	161,443	167,836
	कुल योग (I और II)	175,298	171,176

अनुसूची-11 अन्य परिसंपत्तियां

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	अर्जित ब्याज (निवेश पर)	749,134	1,181,192
II.	अर्जित ब्याज (ऋण और अग्रिम पर)		86,357
iii.	एडवांस में चुकाया गया टैक्स/टीडीएस (प्रोविज़न घटाकर)	3,114	1,630
III.	स्टेशनरी और टिकट	9,385	9,537
IV.	अस्थगित कर परिसंपत्ति	859,030	859,030
V.	अन्य	722,984	805,165
	कुल (I से V)	2,343,647	2,942,911

अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं

(रु.'000' छोड़ा गया)

		31.03.2026	01.05.2025
I.	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2,600	2,600
II.	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए दायित्व	-	-
III.	बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण दायित्व	-	-
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटी -		
	क) भारत में	87,709	63,200
	ख) भारत के बाहर	-	-
V.	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	-	-
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	1,511	1,511
VII.	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) के तहत दायित्व	254,140	220,946
	कुल (I से VII)	345,960	288,257

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

01-05-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए

		(रु.'000' छोड़ा गया)
		31.03.2026
I.	अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट	4,292,079
II.	निवेश पर आय	1,082,032
III.	आरबीआई और अन्य इंटर-बैंक फंड्स में मौजूद बैलेंस पर मिलने वाला ब्याज	1,478,351
IV.	अन्य	-
कुल (I से IV)		6,852,462

अनुसूची 14 - अन्य आय

01-05-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए

		(रु.'000' छोड़ा गया)
		31.03.2026
I.	कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज	53,487
II.	निवेश की बिक्री/ रिडेम्पशन पर लाभ/(हानि)	3,140
	निवेश की बिक्री/रिडेम्पशन पर लाभ	-
	कम: निवेशों की बिक्री/रिडेम्पशन पर हानि	-
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	-
	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-
	कम: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-
IV.	भूमि, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि)	-
	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-
	घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	-
V.	पीएसएलसी ट्रेडिंग पर लाभ /(हानि)	47,858
	पीएसएलसी ट्रेडिंग पर मुनाफा	-
	कम: पीएसएलसी ट्रेडिंग पर नुकसान	-
VI.	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम से विदेश/भारत में लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	-
VII.	विविध आय	232,300
कुल (I से VII)		336,785

अनुसूची 15 - व्यय ब्याज

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए

		(रु.'000' छोड़ा गया)
		31.03.2026
I.	जमा राशियों पर ब्याज	3,618,080
II.	आरबीआई/इंटर-बैंक उधार पर ब्याज	-
III.	ब्याज अन्य	498,742
कुल (I से III)		4,116,822

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए

		(रु.'000' छोड़ा गया)
		31.03.2026
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2,269,498
II.	किराया, कर और लाइटिंग	75,316
III.	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	11,233
IV.	विज्ञापन और प्रचार	3,067
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	64,173
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	-
VII.	ऑडिटर की फीस और खर्च (ब्रांच ऑडिटर की फीस और खर्च सहित)	32,464
VIII.	कानूनी शुल्क	3,399
IX.	डाक-खर्च, तार, टेलीफोन आदि	1,044
X.	मरम्मत और रखरखाव	5,806
XI.	बीमा	104,842
XII.	अन्य व्यय	520,066
कुल (I से XII)		3,090,908

प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए

I.	गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	235,615
II.	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	24,661
III.	विशेष सकल ढांचे का प्रावधान	-
IV.	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	815
V.	100% पुनर्वास का प्रावधान	3,919
कुल (I से V)		265,010

अनुसूची-17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. सामान्य अवलोकन

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक की स्थापना, भारत सरकार के 07 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन (जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23A की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया था) के अनुसार, दो पहले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों - यानी जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक - को मिलाकर की गई है। इसका मालिकाना हक संयुक्त रूप से भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (प्रायोजक बैंक) के पास है और इसका मुख्यालय जम्मू में है। बैंक की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये (10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 200 करोड़ शेयर) है और बैंक की चुकता शेयर पूंजी 988,35,17,000 रुपये (10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 98,83,51,700 शेयर) है। पूंजी संरचना का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	शेयरहोल्डर	कुल (रु. करोड़)
1.	केंद्र सरकार	494.18
2.	जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश की सरकार	148.25
3.	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड - प्रायोजक बैंक	345.92
	कुल	988.35

बैंक की कुल 330 शाखाएँ हैं, यानी जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश में 326 शाखाएँ (जिनमें 2 एक्सटेंशन काउंटर शामिल हैं) और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश में 4 शाखाएँ हैं, जो दोनों केंद्र-शासित प्रदेशों में सभी तरह की वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार:

संलग्न वित्तीय विवरण (ऐतिहासिक लागत के आधार) पर तैयार किए गए हैं और ये भारत में 'जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स' (जीएएपी) के अनुरूप हैं। इनमें कानूनी प्रावधान, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ (जैसे आरबीआई और नाबार्ड) की गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीएआई द्वारा जारी गाइडेंस नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित तौर-तरीके शामिल हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

फाइनैशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए मैनेजमेंट को फाइनैशियल स्टेटमेंट की तारीख पर रिपोर्ट की गई एसेट्स और लायबिलिटीज़ (जिसमें संभावित लायबिलिटीज़ भी शामिल हैं) और रिपोर्टिंग अवधि की इनकम और खर्चों पर विचार करने के लिए अनुमान और धारणाएं बनानी पड़ती हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनैशियल स्टेटमेंट तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान समझदारी भरे और उचित हैं।

3. निवेश:

- (i) भारत के रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यानी (क) "पकड़े रखने के लिए" (ख) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और (ग) "व्यापार के लिए रखे गए", जिसमें उप-वर्गीकरण हैं, जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) अन्य।
- ii) 'हेलड-टू मैच्योरिटी' श्रेणी में वे सिक्योरिटीज़ शामिल हैं जिन्हें बैंक ने परिपक्वता तक रखने के इरादे से खरीदा है। 'हेलड-फॉर-ट्रेडिंग' श्रेणी में वे सिक्योरिटीज़ शामिल हैं जिन्हें बैंक ने व्यापार करने के इरादे से खरीदा है। 'एवलेबल-फॉर-सेल' सिक्योरिटीज़ वे हैं, जो ऊपर दी गई किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत होने के योग्य नहीं हैं।
- iii) बैंक हर निवेश को हासिल करते समय उसकी श्रेणी तय करता है और उसी के अनुसार उसे वर्गीकृत करता है।
- iv) "हेलड-टू-मैच्योरिटी" (एचटीएम) कैटेगरी में रखे गए निवेशों को 'मार्केट-टू-मार्केट' (बाज़ार भाव पर) नहीं किया जाता है और उन्हें खरीद की लागत पर ही दिखाया जाता है; सिवाय तब, जब यह लागत फेस वैल्यू (अंकित मूल्य) से ज़्यादा हो—ऐसे मामले में, प्रीमियम की रकम को मैच्योरिटी तक बचे समय में धीरे-धीरे राइट-ऑफ (अमॉर्टाइज़) किया जाता है।
- v) "उपलब्ध-के-लिए-बिक्री" और "व्यापार के लिए धारण" श्रेणी में व्यक्तिगत स्क्रिप्स को तिमाही अंतराल पर मार्क टू मार्केट किया जाता है। बैलेंस शीट में जिन निवेशों को प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक वर्गीकरण के तहत शुद्ध मूल्यहास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया जाता है, जबकि किसी भी उपरोक्त वर्गीकरण के तहत शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है।
- vi) "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार/कोटेशन से उपलब्ध बाजार मूल्य पर आधारित होता है। केंद्रीय/राज्य सरकार के प्रतिभूति, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर और बांड एफ आई एमएमडीए / फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित कीमतों/वाईटीएम दरों के अनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- vii) निवेश से होने वाली आय का हिसाब 'अक्रूअल बेसिस' (अर्जित आधार) पर रखा जाता है। ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है और कोई बकाया नहीं है।
- viii) टूटी हुए अवधि के ब्याज को सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के तहत व्यय आइटम के रूप में माना जाता है।
- ix) किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। "हेलड टू मैच्योरिटी" श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ होने की स्थिति में, कर कटौती के बाद लाभ की समान राशि को पूंजी आरक्षित खाते में रखा जाता है।
- x) ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को खरीद मूल्य पर दिखाया जाता है। ऐसे बॉन्ड्स पर आय बैंक द्वारा रखे गए समय के दौरान सकल उपज (कर से पहले) के संदर्भ में कर अर्जित की जाती है।

4. अग्रिम और प्रावधान:

- 4.1 ऋण और अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदर्शन कर रहे और गैर-प्रदर्शन कर रहे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-प्रदर्शनकारी संपत्तियाँ (एनपीए) आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सब-स्टैंडर्ड, संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं:
 - i. टर्म लोन के मामले में, ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया हो;
 - ii. ओवरड्राफ्ट या केश क्रेडिट एडवांस के मामले में, अकाउंट "आउट ऑफ़ ऑर्डर" माना जाता है, यानी अगर बकाया बैलेंस लगातार 90 दिनों तक मंजूर की गई लिमिट/ड्राइंग पावर से ज्यादा रहता है, या बैलेंस शीट की तारीख तक लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं होता है या क्रेडिट उस दौरान डेबिट किए गए ब्याज को चुकाने के लिए काफी नहीं होता है
 - iii. खरीदे गए/डिस्काउंट किए गए बिलों के मामले में, बिल 90 दिनों से ज्यादा समय तक बकाया रहता है;
 - iv. कृषि ऋणों के संबंध में:
 - (क) अल्प अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है; और
 - (ख) लंबी अवधि की फसलों के मामले में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-मौसम के लिए बकाया रह जाता है।
- 4.2 एनपीए के लिए प्रावधान, रेगुलेटरी/सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस के अनुसार उन दरों पर किए जाते हैं जो आरबीआई/नावार्ड द्वारा तय की गई दरों के बराबर या ज्यादा (ज़्यादातर कैटेगरीज़ में) होती हैं।
- 4.3 आरबीआई द्वारा तय किए गए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर एनपीए को सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में बांटा गया है:
 - i. उप मानक : ऐसा लोन एसेट जो 12 महीने या उससे कम समय से नॉन-परफॉर्मिंग रहा हो।
 - ii. संदिग्ध: एक ऋण संपत्ति जो 12 महीने तक उप-मानक श्रेणी में बनी रही है।
 - iii. हानि (Loss) : एक ऐसा लोन एसेट जिसमें नुकसान की पहचान तो हो गई है, लेकिन उसकी रकम को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 4.4 अग्रिम राशि को प्रावधानों और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज जो एकत्र नहीं किया गया (आईएनसी) है, को घटाकर दर्शाया गया है।
- 4.5 एनपीए के तौर पर क्लासिफ़ाई किए गए लोन अकाउंट के मामले में, अगर कोई अकाउंट रेगुलेटर द्वारा तय गाइडलाइंस के मुताबिक है, तो उसे 'परफॉर्मिंग एसेट' के तौर पर फिर से क्लासिफ़ाई किया जा सकता है।
- 4.6 मानक संपत्ति के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान:
 1. कृषि और एसएमई सेक्टर को 0.25% पर सीधे लोन
 2. कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर 1% पर
 3. ऊपर (1) और (2) में शामिल न किए गए अन्य सभी अग्रिम 0.40 पर
- 4.7 एनपीए से जुड़े खास प्रावधानों के अलावा, आरबीआई की मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक संपत्ति के लिए भी सामान्य प्रावधान किए जाते हैं। ये प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में "अन्य देनदारियां और

- प्रावधान" के तहत दिखाए जाते हैं और नेट एनपीए की गणना करते समय इन्हें शामिल नहीं किया जाता है।
- 4.8 आरबीआई/नावार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों (एडवांसेज) का पुनर्गठन और उनके लिए प्रावधान किया गया है।
 - 4.9 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए कर्जों के बदले वसूल की गई राशि को उस वर्ष के राजस्व के रूप में माना जाता है।
 - 4.10 एनपीए में हुई वसूली (संबंधित उधारकर्ता को मंजूर की गई नई/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से नहीं) को मूलधन या बकाया ब्याज के लिए बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाता है:
 - a. प्रधानाचार्य
 - b. शुल्क, लागत, कमीशन आदि
 - c. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

5. अचल संपत्तियां और मूल्यहास:

- 5.1 अचल संपत्तियां को उनकी लागत में से जमा मूल्यहास और संपत्ति हानि/मूल्यहास (अगर कोई हो) घटाकर दिखाया जाता है। लागत में खरीद की कीमत, ढुलाई, ड्यूटी, टैक्स और एसेट के इस्तेमाल से पहले उस पर होने वाले सभी खर्च, जैसे साइट तैयार करना, इंस्टॉलेशन की लागत और प्रोफेशनल फीस शामिल होती हैं। इस्तेमाल में आ चुके एसेट्स पर बाद में किए गए खर्चों को तभी कैपिटलाइज़ किया जाता है, जब उनसे भविष्य में मिलने वाले फायदे या उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है।

क्र. खं.	प्रमुख का नाम	मूल्यहास की विधि	उपयोगी जीवनकाल
1.	आरसीसी से निर्माण	सीधी रेखा विधि	60 साल
2.	फ़र्नीचर और फ़िक्स्चर	सीधी रेखा विधि	10 साल
3.	प्लांट और मशीनरी	सीधी रेखा विधि	15 साल
4.	वाहन की उपयोगी आयु	सीधी रेखा विधि	08 साल

- 5.2 स्थायी संपत्तियों का मूल्यहास सीधे रेखा विधि के अनुसार किया जाता है, जिसमें मूल लागत का 5% शेष मूल्य माना जाता है, जैसा कि कंपनियों अधिनियम 2013 की धाराओं के अनुसार संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो कि कंपनियों अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग C में नीचे दिया गया है:
- 5.3 लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए चुकाए गए प्रीमियम को लीज़ की अवधि के दौरान अमॉर्टाइज़ किया जाता है।
- 5.4 ₹1,000 से कम कीमत वाली संपत्तियों को खरीदने के साल में ही खर्च मान लिया जाता है।
- 5.5 साल के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर, डेप्रिसिएशन (मूल्यहास) उस अवधि के अनुपात में लगाया जाता है जितने दिनों तक संपत्ति का इस्तेमाल किया गया है।
- 5.6 कंप्यूटर (एटीएम/सीडीएम सहित) और उनके ज़रूरी हिस्से के तौर पर मौजूद सॉफ़्टवेयर पर डेप्रिसिएशन (मूल्यहास) की गणना आरबीआई की दिशा-निर्देश के अनुसार, पूरे साल के लिए 'सीधी रेखा विधि' से 33.33% की दर पर की जाती है, जिसमें बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) को शून्य माना जाता है।

मोबाइल फ़ोन की उपयोगी आयु 2 साल मानी जाती है और मूल्यहास पूरे साल के लिए 'सीधी रेखा विधि' से लगाया जाता है, जो कंपनीज़ एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार है; इसमें बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) शून्य मानी जाती है।

- 5.7 अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाई जाती है, तो उसे 'फर्नीचर और फिक्स्चर' में रखा जाता है; वरना इलेक्ट्रिक फिटिंग को 'प्लांट और मशीनरी' में रखा जाता है।

6. कर्मचारी लाभ:

6.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों की सेवाओं के बदले दिए जाने वाले अपेक्षित अल्पकालिक लाभ (जैसे आकस्मिक छुट्टी और चिकित्सा लाभ) की रकम को उस अवधि में रिकॉर्ड किया जाता है, जब कर्मचारी सेवाएँ देते हैं।

6.2 नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ

i. परिभाषित लाभ योजना

ii. बैंक ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण योजनाएं चलाता है, जो 'परिभाषित लाभ योजनाएं' हैं।

(क) बैंक सभी योग्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सुविधा देता है। यह सुविधा नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी खत्म होने पर पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। सर्विस रेगुलेशन के रेगुलेशन नंबर 72 के अनुसार, हर अधिकारी या कर्मचारी 'पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के प्रावधानों या जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) स्टाफ सर्विस रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन नंबर 72 के सब-रेगुलेशन 2 - इनमें से जो भी ज़्यादा हो - के तहत ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा। सब-रेगुलेशन 2 में यह बताया गया है कि हर अधिकारी या कर्मचारी इन मौकों पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा: -

i) रिटायरमेंट;

ii) मौत;

iii) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता के कारण वह आगे सेवा करने के लिए अयोग्य है।

iv) लगातार 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद इस्तीफ़ा

v) 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद, सज़ा के अलावा किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्त करना।

किसी कर्मचारी को गलत व्यवहार के कारण नौकरी से निकाले जाने पर उसकी ग्रेच्युटी ज़ब्त नहीं की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसे गलत व्यवहार से बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ हो; और ऐसे मामले में भी, ग्रेच्युटी की कटौती केवल नुकसान की सीमा तक ही की जाएगी। किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की राशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या छह महीने से अधिक की सेवा अवधि के लिए एक महीने के वेतन के बराबर होगी, बशर्ते यह अधिकतम 15 महीने के वेतन तक सीमित हो। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो वह 30 वर्षों के बाद सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त ग्रेच्युटी राशि का पात्र

होगा। इसके अलावा, अधिकारी के मामले में ग्रेच्युटी का भुगतान अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर किया जाएगा।

साथ ही, ग्रेच्युटी की गणना के लिए कर्मचारी का वेतन, मृत्यु, विकलांगता, रिटायरमेंट, इस्तीफा या नौकरी से हटाए जाने (जो भी स्थिति हो) से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान मिलने वाले बेसिक पे (100%), महंगाई भत्ता, स्पेशल अलाउंस और ऑफिशिएटिंग अलाउंस का औसत होगा।

ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अनुसार, किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी खत्म होने पर (रिटायरमेंट, इस्तीफा, या मृत्यु और विकलांगता को छोड़कर) ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, बशर्ते उसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा की हो। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा नियम, 2010 के तहत पात्र होने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा ज़रूरी है। बैंक हर साल किए जाने वाले स्वतंत्र एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर फंड मैनेजरों द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड में सालाना योगदान करता है। ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार, 29.03.2018 से देय अधिकतम राशि ₹20.00 लाख है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (ग्रेच्युटी का भुगतान) नियमों के अनुसार, यह राशि ₹20.00 लाख से ज़्यादा हो सकती है। अधिकारियों/कर्मचारियों को ज़्यादा राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) बैंक के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अर्जित अवकाश नकद में बदलने का अधिकार है, बशर्ते कि कुल जमा अवकाश 240 दिनों से अधिक न हो। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) नियम 2024, जो बैंक में 23.08.2024 से लागू हैं, के अनुसार, बैंक की सेवाओं से इस्तीफा देने पर, पात्र कर्मचारियों को केवल सेवा समाप्ति के समय उनकी क्रेडिट में मौजूद ऐसी छुट्टी का आधा ही नकद में बदलने का अधिकार है, बशर्ते कि अधिकतम सीमा 120 दिन हो।

(ग) परिभाषित लाभ को देने की लागत का हिसाब 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' का इस्तेमाल करके लगाया जाता है और हर बैलेंस शीट की तारीख पर एक्चुरियल वैल्यूएशन किया जाता है। एक्चुरियल गेन/लॉस को तुरंत प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है और उन्हें आगे के लिए टाला नहीं जाता है।

(घ) बैंक ने अपने निश्चित लाभ योजनाओं के लिए राजस्व के खिलाफ एस-15 संशोधित (2005) को अपनाने पर संक्रमणकालीन देयता को मान्यता देने का विकल्प चुना है।

7. कराधान के लिए प्रावधान:

- (क) इनकम टैक्स का खर्च, मौजूदा टैक्स और डेफ़र्ड टैक्स (स्थगित कर) की कुल राशि होती है। मौजूदा साल के टैक्स का हिसाब-किताब लागू कानूनों और एस-22 के अनुसार किया जाता है। डेफ़र्ड टैक्स एडजस्टमेंट में उस अवधि के दौरान डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स या लायबिलिटीज़ में हुए बदलाव शामिल होते हैं।
- (ख) अस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की कैरिंग वैल्यू और उनके संबंधित टैक्स बेस और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बीच समय के अंतर (टाइमिंग डिफरेंस) से भविष्य में होने वाले टैक्स असर के लिए, डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सावधानीपूर्वक आधार पर मान्यता दी जाती है। डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उन टैक्स दरों और टैक्स कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो

बैलेंस शीट की तारीख से पहले लागू हो चुके हैं या बाद में लागू किए गए हैं। डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बदलाव के असर को प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में मान्यता दी जाती है।

- (ग) हर रिपोर्टिंग तारीख पर, मैनेजमेंट के इस फैसले के आधार पर कि क्या इनकी वसूली पक्की है, डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स को पहचाना और दोबारा आंका जाता है। अवशोषित मूल्यहास और कर हानियाँ को आगे ले जाने (कैरी फ़ॉरवर्ड) पर डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स को तभी पहचाना जाता है, जब इस बात की लगभग पक्की उम्मीद हो कि भविष्य के मुनाफ़े के बदले इन डेफ़र्ड टैक्स एसेट्स की वसूली की जा सकेगी।

8. राजस्व मान्यता

8.1 आय और व्यय की बुकिंग:

जब तक अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय का हिसाब संचय के आधार पर रखा जाता है:

- क. गैर-प्रदर्शनशील अग्रिमों/निवेशों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों/निवेशों पर ब्याज और अन्य आय को भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केवल उस हद तक ही मान्यता दी जाती है जितना वास्तविक रूप में प्राप्त किया गया हो।
- ख. फीस, कमीशन (बीमा कमीशन के अलावा), एक्सचेंज लॉकर का किराया और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, वसूली के आधार पर बकाया बिलों पर ब्याज।
- घ. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में रिकवरी पहले मूलधन की राशि की ओर लागू की गई है और उसके बाद ब्याज की राशि की ओर।
- ङ. इनकम टैक्स/अन्य टैक्स रिफंड पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय का हिसाब सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के आधार पर किया जाता है।
- च. अप्रत्याशित आय/खर्च का हिसाब प्राप्ति/भुगतान वाले वर्ष में किया जाता है।
- छ. ब्रांचों को जारी की गई स्टेशनरी को इस्तेमाल हो चुकी माना गया है।
- ज. अवैतनिक समय जमा पर ब्याज बचत बैंक दर या परिपक्व समय जमा में अनुबंधित ब्याज दर पर दिया जाता है, जो भी कम हो।

9. कुल लाभ (हानि)

लाभ-हानि खाते में दिखाए गए शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने के बाद की जाती है:

- आयकर (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार स्थगित कराधान सहित)।
- खराब और संदिग्ध अग्रिम;
- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निवेश के मूल्य में कोई भी समायोजन;
- मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान।

- आकस्मिक निधियों में स्थानांतरण, और
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान।

10. आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन:

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (एएस) 29, प्रावधान, संभावित दायित्व और संभावित संपत्तियों के अनुसार, बैंक प्रावधानों को तब मान्यता देता है जब उसके पास एक वर्तमान दायित्व हो, जो किसी पिछले घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो, यह संभावना हो कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभ शामिल संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और जब दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सके।

प्रोविज़न (प्रावधान) बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को पूरा करने के लिए ज़रूरी मैनेजमेंट के अनुमान और इसी तरह के लेन-देन के अनुभव के आधार पर तय किए जाते हैं। हर बैलेंस शीट की तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और मैनेजमेंट के मौजूदा अनुमानों के हिसाब से इनमें बदलाव किया जाता है। जिन मामलों में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि आपातकालीन योजना से नुकसान होने की संभावना है, लेकिन नुकसान की रकम का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वहाँ फाइनैशियल स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी जाती है।

आकस्मिक संपत्ति को, यदि कोई हों, तो वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है जो शायद कभी प्राप्त न हो।

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
निदेशक

ह/-
शुभव्रता घोष मौलिक
निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 014461एन

स्थान : जम्मू
दिनांक : 24.04.2026

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एमआरएन : 508018

अनुसूची - 18

1. खातों से संबंधित टिप्पणियाँ

केंद्र सरकार ने 'रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, 1976' (1976 का 21) (जिसे आगे 'एक्ट' कहा गया है) की धारा 23A की उप-धारा (1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 07 अप्रैल 2025 के नोटिफिकेशन नंबर CG-DL-E-07042025-262329 के ज़रिए, दो रीजनल रूरल बैंकों - पहले के जे एंड के ग्रामीण बैंक और पहले के एल्लाकाई देहाती बैंक (जिन्हें आगे 'ट्रांसफरर रीजनल रूरल बैंक' कहा गया है) - का विलय करके एक ही रीजनल रूरल बैंक बनाया है, जिसे अब 'जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक' (जिसे आगे 'ट्रांसफररी रीजनल रूरल बैंक' कहा गया है) कहा जाएगा। इसका हेड ऑफिस जम्मू में है और यह 'द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड' की स्पॉन्सरशिप में काम करेगा। यह विलय 1 मई 2025 (जिसे आगे 'विलय की प्रभावी तारीख' कहा गया है) से लागू हुआ है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, विलय की प्रभावी तारीख से, ट्रांसफर करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की सभी तरह की बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज, ट्रांसफर लेने वाले रीजनल रूरल बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी। इसी के अनुसार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल करने के लिए 01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के आंकड़ों को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के खाते ग्यारह महीनों के लिए तैयार किए गए हैं।

2. विनियामक पूंजी

क. विनियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
i)	टियर 1 कैपिटल	155.31
ii)	टियर 2 कैपिटल	32.63
iii)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) (i + ii)	187.94
iv)	कुल जोखिम-भारित संपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	5130.47
v)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 कैपिटल)	3.03
vi)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 कैपिटल)	0.63
vii)	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी, जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	3.66
viii)	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत a) भारत सरकार b) जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार c) जे एंड के बैंक	50% 15% 35%
ix)	साल के दौरान जुटाई गई पेड-अप इक्विटी कैपिटल की राशि	-
x)	साल के दौरान जुटाए गए परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की राशि	-

ख. रिज़र्व से निकासी

साल के दौरान रिज़र्व से कोई राशि नहीं निकाली गई है।

3. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

31.03.2026* को एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कुछ मदों का मैच्योरिटी पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	51.10	257.38	259.14	172.22	364.15	267.74	964.53	2007.75	3925.49	42.30	29.92	8341.72
कुल अग्रिम*	145.42	112.59	131.21	273.17	134.52	134.66	12.43	118.30	2258.82	687.80	1286.4	5295.32
निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	92.54	354.88	320.93	873.48	1656.84
उधारी	0	0	0	0	0	124.36	34.03	662.38	26.22	41.08	15.78	903.85
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* कुल अग्रिमों के आंकड़े में सकल निष्पादत अग्रिम और गैर निष्पादत अग्रिम (एनपीए) शामिल होते हैं, जिनमें से प्रोविज़न घटा दिए जाते हैं।

** ऊपर दी गई जानकारी बैंक के मैनेजमेंट द्वारा तैयार और प्रमाणित की गई है और लेखा परीक्षकों ने इस पर भरोसा किया है।

4. निवेश का विवरण

बैंक ने भारत के बाहर कोई निवेश नहीं किया है 31.03.2026 तक बैंक द्वारा भारत में किए गए निवेश का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	भारत में निवेश						
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक/संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत में कुल निवेश
मैच्योरिटी तक होल्ड करना							
कुल	1316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.10
घटाएँ: नॉन-परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नेट	1316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1316.10

बिक्री के लिए उपलब्ध							
कुल	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.74
कम करें: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नेट	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.74
ट्रेडिंग के लिए रखा गया							
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	1656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.84
घटाएं: नॉन-परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविज़न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कम करें: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नेट	1656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.84

4.1 मूल्यहास के लिए प्रावधान और निवेश उतार-चढ़ाव कोष में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		तक
			31.03.2026
1.	निवेश/ एनपीआई पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव		
	(i)	प्रारंभिक जमा	शून्य
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य
		घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/राइट-बैक	शून्य
	(iii)	जमा शेष	शून्य
2.	निवेश उतार-चढ़ाव कोष में परिवर्तन		
	(i)	प्रारंभिक जमा	शून्य
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	शून्य
	(iii)	घटाएँ: ड्रॉडाउन	शून्य
	(iii)	जमा शेष	शून्य
3.	एएफएस और एचएफटी /करंट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट के क्लोजिंग बैलेंस [कैरिंग वैल्यू में से नेट डेप्रिसिएशन घटाकर (नेट एप्रिसिएशन को छोड़कर), यानी बैलेंस शीट में दिखाई गई नेट रकम] के प्रतिशत के तौर पर आईएफआर में क्लोजिंग बैलेंस।		शून्य

4.1.1 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (एचटीएम) कैटेगरी में/से बिक्री और ट्रांसफर

बैंक ने एचटीएम कैटेगरी से सीधे कोई सिक्योरिटी नहीं बेची है।

4.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

4.2.1 गैर निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक
प्रारंभिक शेष	शून्य
वर्ष के दौरान की गई वृद्धियाँ	शून्य
साल के दौरान कटौती	शून्य
समापन शेष	शून्य
कुल प्रावधान	शून्य

4.2.2 31.03.2026 तक गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	मात्रा	प्राइवेट प्लेसमेंट का दायरा	"इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे" वाली सिक्योरिटीज का दायरा	"अनरेटेड" (बिना रेटिंग वाली) प्रतिभूतियों का दायरा	"अनलिस्टेड" (सूचीबद्ध न की गई) प्रतिभूतियों का दायरा
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी, एआईएफआई सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	बैंक (सीडी सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	निजी कॉर्पोरेट (सीपी सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	मूल्यहास के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 रेपो लेन-देन (फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	साल के दौरान न्यूनतम बकाया राशि		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि		साल के दौरान 365 दिनों का औसत बकाया		31.03.2026 तक बकाया	
	एफ वी	एमवी	एफ वी	एमवी	एफ वी	एमवी	एफ वी	एमवी
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां								
क) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) सरकारी दस्तावेज़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां								
क) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4 सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेन-देन (बाज़ार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	साल के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान बकाया राशि का दैनिक औसत	साल के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया
जीएसएल ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए उधार दी गई सिक्योरिटीज़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए उधार ली गई सिक्योरिटीज़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल ट्रांज़ैक्शन के तहत गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल ट्रांज़ैक्शन के तहत कोलैटरल के तौर पर मिली सिक्योरिटीज़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5 एसेट क्वालिटी

5.1 अग्रिम और रखे गए प्रावधान का वर्गीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. स.	विवरण		मानक	गैर निष्पादित				कुल
			कुल मानक अग्रिम	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
(i)	सकल मानक अग्रिम और एनपीए							
	क)	प्रारंभिक जमा	4677.13	50.28	174.37	18.65	243.30	4920.43
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई वृद्धियाँ					91.13	
	ग)	घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी					70.99	
	घ)	जमा शेष	5194.35	61.12	178.98	23.35	263.45	5457.80
		*सकल एनपीए में कमी के कारण						
	i	अपग्रेडेशन					24.36	
	ii	रिकवरी (अपग्रेड किए गए खातों से हुई रिकवरी को छोड़कर)					31.80	
	iii	तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते में डालना					14.83	
	iv	ऊपर (iii) में बताए गए मामलों के अलावा अन्य राइट-ऑफ़					1.95	
(ii)	प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)							
	क)	रखे गए प्रावधानों का शुरुआती बैलेंस	14.39	7.63	133.33	18.65	159.61	173.99
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई नई व्यवस्थाएँ					23.56	
	ग)	घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना/ऋणों को बट्टे खाते में डालना					20.69	
	घ)	रखे गए प्रावधानों का अंतिम शेष	16.86	10.77	131.87	19.83	162.47	179.33

(iii)	शुद्ध और निष्पादित परिसंपत्ति*							
	क)	प्रारंभिक जमा					83.69	
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान नई जोड़-तोड़					17.28	
	ग)	घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					-	
	घ)	जमा शेष					100.97	-
(iv)	फ्लोटिंग प्रावधान							
	क)	प्रारंभिक जमा						
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
	ग)	घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						
	घ)	फ्लोटिंग प्रोविज़न का क्लोज़िंग बैलेंस						
(v)	तकनीकी राइट-ऑफ़ और उनसे हुई वसूली							
	क)	टेक्निकल रेस्ट-ऑफ़ और उनकी हुई वैशेषिक						44.66
	ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ़						14.83
	ग)	घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों से हुई वसूली						5.12
	घ)	जमा शेष						54.37

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष
कुल एनपीए का कुल एडवांस से अनुपात	4.83%
नेट एनपीए का नेट एडवांसेज से अनुपात	1.91%
प्रावधान कवरेज अनुपात	68.23%

5.2 सेक्टर-वार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	चालू वर्ष		
	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल एडवांसेज के मुकाबले ग्राँस एनपीए का प्रतिशत
क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र			
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1537.99	115.51	7.51
इंडस्ट्री सेक्टर को दिए गए एडवांस 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' के तहत पात्र हैं।	508.74	49.23	9.68
सेवाएं	1672.22	84.21	5.04
पर्सनल लोन	437.50	2.96	0.68
अन्य	18.09	1.61	8.90
उप-योग क	4174.54	253.52	6.07
ख. गैर-प्राथमिकता क्षेत्र			
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	0.00	0.00	0
उद्योग	0.00	0.00	0
सेवाएं	0.00	0.00	0
व्यक्तिगत कर्ज	920.58	9.11	0.99
अन्य लोन	362.68	0.82	0.23
उप-योग ख	1283.26	9.93	0.77
कुल (क+ख)	5457.80	263.45	4.83

5.3 रीस्ट्रक्चर किए गए लोन का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026
	रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग और रीनेगोशिएशन के दायरे में आने वाली लोन एसेट्स की कुल राशि	1739.80
1.	रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग और रीनेगोशिएशन के दायरे में आने वाले स्टैंडर्ड एसेट्स की राशि	1739.80
2.	रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग और रीनेगोशिएशन के दायरे में आने वाली सब-स्टैंडर्ड एसेट्स की राशि	शून्य
3.	रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग और रीनेगोशिएशन के दायरे में आने वाली संदिग्ध परिसंपत्तियों की राशि	शून्य

5.4 रीस्ट्रक्चरिंग के दायरे में आने वाले खातों का विवरण :

विवरण		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)	कुल
		चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
मानक	उधार लेने वालों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-मानक	उधार लेने वालों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संदेहपूर्ण	उधार लेने वालों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	उधार लेने वालों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रावधान (₹ करोड़)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.5 लोन एक्सपोजर के ट्रांसफर का खुलासा:

वर्ष के दौरान स्थानांतरित तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना चाहिए)			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमति-प्राप्त हस्तांतरिती को	अन्य ट्रांसफरीज़ को (कृपया बताएं)
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानांतरित खातों के ऋणों का कुल बकाया मूलधन की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानांतरित ऋणों का भारित औसत शेष अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानांतरण के समय ऋणों का शुद्ध बुक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल विचार	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में स्थानांतरित किए गए खातों के सम्बन्ध में अतिरिक्त विचार प्राप्त हुआ	शून्य	शून्य	शून्य
साल के दौरान लिए गए कर्ज का विवरण			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से		एआरसी से
अधिग्रहित ऋणों की कुल बकाया मूल राशि	शून्य		शून्य
अधिग्रहित ऋणों की कुल बकाया मूल राशि	शून्य		शून्य
अधिग्रहित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य		शून्य

5.6 नॉन-फंड आधारित (एनएफबी) क्रेडिट सुविधाएँ

		31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2026 तक
		सुरक्षित* हिस्सा	असुरक्षित हिस्सा
I	बकाया गारंटी (₹ करोड़)	8.77	-
	i) भारत में	8.77	-
	ii) भारत के बाहर	-	-
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व (₹ करोड़)	-	-
III	अन्य NFB क्रेडिट सुविधाएँ (₹ करोड़)	-	-

5.7 धोखाधड़ी वाले खाते

विवरण	चालू वर्ष
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	4
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या धोखाधड़ी में शामिल राशि (करोड़ में)	0.66
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए पहले से किए गए प्रावधान की राशि (करोड़ में)	शून्य
साल के दौरान ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (करोड़ में)	0.31
साल के अंत में 'अन्य रिज़र्व' से डेबिट की गई अनअमॉर्टाइज़्ड प्रोविज़न की राशि (करोड़ में)	शून्य

सभी धोखाधड़ी की जानकारी एफएमएस रिटर्न के ज़रिए 'एन्श्योर' पोर्टल पर नाबार्ड को दे दी गई है।

* अंतर की राशि (यानी 0.35 करोड़ रुपये) के लिए खातों में रिकवरी कर ली गई थी, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

5.8 कोविड-19 से जुड़ी दिक्कतों के लिए रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत जानकारी का खुलासा:

6 अगस्त 2020 के सर्कुलर DOR.No.BO.BN/3/21.04.048/2020-21 के तहत 'प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क' (सावधानीपूर्ण ढांचा) के अंतर्गत एक विशेष सुविधा दी गई थी। इसका मकसद कर्ज देने वालों को योग्य कॉर्पोरेट एक्सपोजर और पर्सनल लोन के लिए समाधान योजना लागू करने में सक्षम बनाना था, साथ ही ऐसे एक्सपोजर को 'स्टैंडर्ड' के तौर पर वर्गीकृत करना था। बैंकों को नीचे बताए गए फॉर्मेट में हर छमाही पर जानकारी देनी होगी (यानी 30 सितंबर और 31 मार्च की वित्तीय स्टेटमेंट में)। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2021 को खत्म होने वाली छमाही से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि समाधान योजना के तहत आने वाले सभी एक्सपोजर या तो पूरी तरह खत्म न हो जाएं या पूरी तरह एनपीए में न बदल जाएं—इनमें से जो भी पहले हो।

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के लिए जानकारी देने का फॉर्मेट

(राशि ₹ करोड़ में)

उधार लेने वाले का प्रकार	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति जोखिम (एक्सपोजर) – 01.05.2025 के अंत तक की स्थिति (A)**	(क)का, वह कुल कर्ज जो छमाही के दौरान एनपीए बन गया	(क)छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि	(क)उधार लेने वालों द्वारा छमाही के दौरान भुगतान की गई राशि	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर – 30.09.2025 की समाप्ति पर स्थिति**
व्यक्तिगत ऋण	0.7253997	--	--	0.0645616	0.6463760
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	--	--	--	--	--
जिनमें से	--	--	--	--	--

एमएसएमई					
अन्य	0.7833270	--	--	0.1353658	0.6165889
कुल	1.5087268	--	--	0.1999274	1.2629649
* जैसा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 3(7) में बताया गया है					
पुनर्गठित एमएसएमई खाते					
एमएसएमई	8.5166214	-	--	4.5635659	4.5451419
कुल योग	10.0253482	--	--	4.7634933	5.8081068

(राशि ₹ करोड़ में)

उधार लेने वाले का प्रकार	संकल्प योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप **मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति जोखिम – पिछले अर्धवार्षिक अवधि के अंत की स्थिति (क) (सितंबर-2025)	(क) का, वह कुल कर्ज जो छमाही के दौरान एनपीए बन गया	(क) छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि	(क) उधार लेने वालों द्वारा छमाही के दौरान भुगतान की गई राशि	**समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर – वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च 2026) की स्थिति**
व्यक्तिगत ऋण	0.6463760	--	--	0.0833062	0.6054191
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	--	--	--	--	--
जिनमें से एमएसएमई	--	--	--	--	--
अन्य	0.6165889	--	--	0.1593156	0.5138018
कुल	1.2629649	--	--	0.2426218	1.1192210
* जैसा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 3(7) में बताया गया है					
पुनर्गठित एमएसएमई खाते					
एमएसएमई	4.5451419	0.2828826	--	7.3882264	7.8873598
कुल योग	5.8081068	0.2828826	--	7.6308482	9.0065808

6. एक्सपोज़र

6.1 वास्तविक स्थितियों का सामना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक
1.	सीधा संपर्क	
(i)	आवासीय मॉर्गेज**	556
	यह लोन पूरी तरह से ऐसी रिहायशी प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज (गिरवी रखने) से सुरक्षित है, जिसमें या तो लोन लेने वाला खुद रहता है या रहने वाला है, या फिर वह प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है; (इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किए जाने के योग्य 437 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत हाउसिंग लोन भी शामिल हैं)	
(ii)	कमर्शियल रियल एस्टेट	1.06
	कमर्शियल रियल एस्टेट (जैसे ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेस, मल्टी-पर्पस कमर्शियल जगह, कई परिवारों के रहने वाली बिल्डिंग, कई किरायेदारों वाली कमर्शियल जगह, इंडस्ट्रियल या वेयरहाउस स्पेस, होटल, ज़मीन खरीदना, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वगैरह) पर मॉर्गेज रखकर लोन दिया जाता है।	
(iii)	मॉर्गेज-बैकड सिक्योरिटीज़ और अन्य सिक्योरिटीज़ एक्सपोज़र में निवेश	शून्य
(a)	आवासीय	शून्य
(b)	कमर्शियल रियल एस्टेट	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष संपर्क (नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर फंड-बेस्ड और नॉन-फंड-बेस्ड एक्सपोज़र)	शून्य
	रियल एस्टेट में कुल निवेश	557.06

ऊपर दी गई जानकारी बैंक के मैनेजमेंट द्वारा तैयार और प्रमाणित की गई है, और ऑडिटर्स ने इस पर भरोसा किया है।

6.2 बैंक द्वारा सिंगल बॉरोअर लिमिट/ग्रुप बॉरोअर लिमिट से अधिक की गई सीमा का विवरण

बैंक ने साल के दौरान सिंगल बॉरोअर लिमिट और ग्रुप बॉरोअर लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दिया है।

6.3 असुरक्षित अग्रिम

अमूर्त संपत्तियों (जैसे अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण आदि) द्वारा सुरक्षित ऋण और अग्रिमों का विवरण।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	शून्य
ऊपर बताई गई रकम में से, उन एडवांसेज़ (अग्रिम राशियों) की रकम जिनके लिए इन्टेंजिबल सिक्क्योरिटीज़ (जैसे अधिकारों, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर चार्ज) ली गई हैं।	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य

6.4 सोने और चांदी की गिरवी पर लोन

क) योग्य सोने और चांदी की गिरवी संपत्ति के बदले दिए गए लोन का विवरण

विवरण	बकाया लोन		औसत टिकट साइज़ (₹ करोड़)	औसत LTV अनुपात	सकल एनपी ए (%)
	₹ करोड़	कुल लोन के प्रतिशत के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष का शुरुआती बैलेंस [(क)+ (ख)]	-	-	-	-	-
(क) उपभोग ऋण	-	-	-	-	-
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	-	-
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	-	-
2. वित्तीय वर्ष के दौरान मंज़ूर और वितरित किए गए नए ऋण [(क)+ (ख)]	-	-	-	-	शून्य
(क) उपभोग ऋण	-	-	-	-	शून्य
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	-	शून्य
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	-	शून्य
3. वित्तीय वर्ष के दौरान मंज़ूर और वितरित किए गए नवीनीकरण	-	-	-	-	शून्य
4. वित्तीय वर्ष के दौरान मंज़ूर और वितरित किए गए टॉप-अप लोन	-	-	-	-	शून्य
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(क)+(ख)]	-	-	-	शून्य	शून्य
(क) फॉलोअर्स ऋण	-	-	-	शून्य	शून्य
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	शून्य	शून्य
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	शून्य	शून्य

6. वित्त वर्ष के दौरान वसूल किए गए नॉन-परफॉर्मिंग लोन [(क) + (ख)]	-	-	-	शून्य	शून्य
(क) उपभोग ऋण	-	-	-	शून्य	शून्य
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	शून्य	शून्य
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	शून्य	शून्य
7. वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण [(क) + (ख)]	-	-	-	शून्य	शून्य
(क) उपभोग ऋण	-	-	-	शून्य	शून्य
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	शून्य	शून्य
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	शून्य	शून्य
8. वित्त वर्ष के अंत में क्लोजिंग बैलेंस [(क) + (ख)]	-	-	-	-	-
(क) उपभोग ऋण	-	-	-	-	-
जिनमें से बुलेट रीपेमेंट लोन	-	-	-	-	-
(ख) आय पैदा करने वाले लोन	-	-	-	-	-

ख) सोने और चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति और नीलामियों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	
a)	वित्तीय वर्ष के अंत में बिना दावे वाली सोना या चांदी की गिरवी रखी संपत्ति (ग्राम में)	-
b)	उन लोन अकाउंट्स की संख्या जिनमें नीलामी की गई	-
c)	(ख)में बताए गए लोन अकाउंट्स में कुल बकाया राशि	-
d)	(ख)में बताए गए लोन अकाउंट्स में कुल बकाया राशि	-
e)	वित्त वर्ष के दौरान नीलाम की गई सोने या चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति (ग्राम में)	-
f)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी से हुई वसूली (₹ करोड़ में)	-
g)	रिकवरी प्रतिशत:	-
h)	सोने या चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में	-
i)	बकाया लोन के प्रतिशत के रूप में	-

6.5 संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र

संबंधित पक्षों के साथ एक्सपोज़र का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
क. संबंधित पक्षों को ऋण		
1.	साल के दौरान संबंधित पक्षों को मंजूर किए गए लोन की कुल वैल्यू	-
2.	31 मार्च तक संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य	-
3.	31 मार्च को कुल क्रेडिट एक्सपोज़र के अनुपात के तौर पर संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया लोन का कुल मूल्य (%)	-
4.	संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:	-
	(i) 31 मार्च तक स्पेशल मेशन अकाउंट्स	-
	(ii) 31 मार्च तक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स	-
5.	31 मार्च तक संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में रखी गई प्रावधान की राशि	-
ख. संबंधित पक्षों से जुड़े अनुबंध और व्यवस्थाएं		
6.	साल के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	-
7.	31 मार्च तक संबंधित पक्षों से जुड़े बकाया अनुबंधों और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	-

7. डिपॉजिट, एडवांस, एक्सपोज़र और एनपीए का कंसंट्रेशन

7.1 जमा राशि का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि (करोड़ रुपये में)	104.89
बैंक की कुल जमा राशि में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	1.26%

7.2 एडवांस का कंसंट्रेशन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (करोड़ रुपये में)	56.25
बैंक के कुल ऋणों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों का प्रतिशत	1.03%

7.3 एक्सपोजर का कंसंट्रेशन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये में)	76.93
बैंक के कुल एक्सपोजर (उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर) में से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत।	1.41%

7.4 एनपीए का कंसंट्रेशन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
टॉप 4 एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (करोड़ रुपये में)	2.80
कुल ग्राँस एनपीए में बीस सबसे बड़े एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	2.70%

8. डेरिवेटिव्स

बैंक ने चालू वर्ष में डेरिवेटिव्स में कोई लेन-देन नहीं किया है।

9. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएफ) में हस्तांतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष
डीईएफ में ट्रांसफर की गई रकम का शुरुआती बैलेंस	21.53
जोड़ें : डीईएफ में ट्रांसफर की गई राशि (वर्ष के दौरान)	5.08
घटाएं: दावों के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	1.20
डीईएफ में ट्रांसफर की गई रकम का क्लोजिंग बैलेंस	25.41

10. शिकायतों का खुलासा

क) ग्राहकों और लोकपाल (ओम्बड्समैन) के कार्यालयों से बैंक को मिली शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026
बैंक को अपने ग्राहकों से मिली शिकायतें		
1.	साल की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1
2.	साल के दौरान मिली शिकायतों की संख्या	300
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	289
3.1	इनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
4.	साल के आखिर में लंबित शिकायतों की संख्या	12

बैंक को लोकपाल कार्यालय से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है।		
5.	ओम्बड्समैन के कार्यालय से बैंक को प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या जिन पर कार्रवाई की जा सकती है।	26
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	25
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	01
5.3	बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा अवॉर्ड (फैसला) सुनाए जाने के बाद सुलझाई गई शिकायतों की संख्या 5 है।	शून्य
6.	तय समय के भीतर लागू न किए गए अवॉर्ड्स की संख्या (जिनके खिलाफ अपील की गई है, उन्हें छोड़कर)	शून्य

ख. बैंक को ग्राहकों से मिली शिकायतों के मुख्य पाँच कारण

शिकायत के आधार (यानी, इनसे संबंधित शिकायतें)	साल की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	साल के दौरान मिली शिकायतों की संख्या	पिछले साल की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	साल के आखिर में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम /डेबिट कार्ड	शून्य	3	+50 %	1	शून्य
मोबाइल बैंकिंग	शून्य	20	+150 %	1	शून्य
ऋण और अग्रिम	शून्य	95	+1.06 %	4	शून्य
स्टाफ़ का व्यवहार	1	66	+53.49 %	2	शून्य
अन्य	शून्य	142	+91.89 %	4	शून्य
कुल	1	326	+47.51 %	12	शून्य

11. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) / राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड) द्वारा लगाया गया जुर्माना

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई/नाबार्ड द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12. अन्य जानकारी:

12.1 बिज़नेस रेश्यो:

क्र.सं.	विवरण	01-05-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के दौरान
(i)	वर्किंग फंड के प्रतिशत के रूप में ब्याज से आय	7.45 %
(ii)	वर्किंग फंड के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.37 %
(iii)	जमा राशि की लागत	5.01 %
(iv)	नेट इंटररेस्ट मार्जिन	3.24 %
(v)	वर्किंग फंड के प्रतिशत के रूप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट/लॉस(-)	-0.02 %
(vi)	संपत्ति पर वापसी	-0.34 %
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में) 31-03-2026 तक	9.69
(viii)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-0.02

*ऊपर दी गई जानकारी बैंक के मैनेजमेंट द्वारा तैयार और प्रमाणित की गई है, और ऑडिटर्स ने इस पर भरोसा किया है।

12.2 बैंकाशोरेंस व्यवसाय

बैंक द्वारा किए गए इश्योरेंस ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकाशोरेंस बिज़नेस से कमाई गई फीस / ब्रोकरेज का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	01-05-2025 से 31.03.2026 तक
1.	जीवन बीमा व्यवसाय	0.87
2.	स्वास्थ्य बीमा	0.35
3.	सामान्य बीमा	1.62
	कुल	2.84

12.3 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स (पीएसएलसी) से जुड़ी जानकारी का खुलासा

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान, बैंक ने पीएसएलसी स्कीम के तहत पीएसएलसी – एसएफ / एमएफ कैटेगरी में 166 करोड़ रुपये के 'प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज' बेचे और 4.78 करोड़ रुपये का प्रीमियम कमाया। इस प्रीमियम को नीचे दी गई जानकारी के अनुसार "प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट" में "नॉन-इंटररेस्ट इनकम" हेड के तहत शामिल किया गया है :-

(राशि ₹ करोड़ में)

पीएसएलसी बेचे गए		पीएसएलसी खरीदा गया		01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान शुद्ध लाभ
कुल बिक्री	प्रीमियम प्राप्त हुआ	कुल खरीदी गई	बीमा शुल्क का भुगतान	
166	4.78	शून्य	शून्य	4.78

12.4 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

“लाभ और हानि खाते में व्यय” शीर्षक के तहत दिखाए गए “प्रावधान और आकस्मिकताओं” का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
एनपीए के लिए प्रावधान	23.56
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	2.47
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	शून्य
धोखाधड़ी और गबन के लिए प्रावधान	0.31
बोनस के लिए प्रावधान*	शून्य
पेंशन के लिए प्रावधान*	24.62
आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान	शून्य
वेतन संशोधन का प्रावधान	1.82
रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एफआईटीएल डेट के लिए प्रावधान	शून्य
कुल	52.78

- चालू वर्ष के कर्मचारियों के बोनस के लिए प्रावधान शून्य है और कर्मचारियों की पेंशन के लिए 24.62 करोड़ रुपये और वेतन पुनरीक्षण के लिए 1.82 करोड़ रुपये का प्रावधान 'लाभ और हानि खाता' में 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' के तहत 'संचालन खर्च' में शामिल किया गया है, न कि 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' में।

12.5 डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

बैंक ने तय समय-सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को लागू डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर दिया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष
1	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	10.24
2	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया राशि	शून्य

12.6 वर्ष के दौरान करों के लिए किए गए विविध प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष
स्थगित कर संपत्ति*	शून्य
विलम्बित टैक्स देयता*	शून्य
आयकर	शून्य

- डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट की गणना के लिए केवल महत्वपूर्ण मदों (मटीरियल आइटम्स) पर विचार किया गया है।

12.7 "अन्य (जिसमें प्रावधान शामिल हैं)" के अंतर्गत किसी भी ऐसी मद के लिए जो कुल संपत्ति के एक प्रतिशत से अधिक हो

₹ 102.97 करोड़ की पेंशन प्रोविज़न राशि 'अन्य प्रोविज़न' में शामिल है और इसे शेड्यूल 5 में "अन्य (अन्य प्रोविज़न सहित)" हेड के तहत दिखाया गया है।

13. अतिरिक्त खुलासे

13.1 इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के संबंध में खुलासे

13.1.1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 9 - रेवेन्यू रिकग्निशन (राजस्व की पहचान)

आय की मदों को दर्ज करने में कोई खास अंतर नहीं है जिन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड-9 और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बताना ज़रूरी है।

13.1.2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 10 - प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट

क) स्थायी संपत्तियों पर 'स्ट्रेट लाइन मेथड' के अनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। इसमें मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है। यह प्रक्रिया 'कंपनीज़ एक्ट 2013' के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिसमें संपत्तियों की उपयोगी आयु 'कंपनीज़ एक्ट 2013' की 'शेड्यूल II' के 'पार्ट सी' में बताई गई है, जो इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रमुख का नाम	मूल्यहास की विधि	उपयोगी जीवनकाल
1.	आरसीसी से निर्माण	सीधी रेखा विधि	60 साल
2.	फ़र्नीचर और फ़िक्स्चर	सीधी रेखा विधि	10 साल
3.	प्लांट और मशीनरी	सीधी रेखा विधि	15 साल
4.	वाहन	सीधी रेखा विधि	08 साल

ख) लीज़होल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए चुकाए गए प्रीमियम को लीज़ की अवधि के दौरान अमॉर्टाइज़ किया जाता है।

- क) कंप्यूटर (एटीएम/सीडीएम सहित) और उनके ज़रूरी हिस्से के तौर पर शामिल सॉफ्टवेयर पर डेप्रिसिएशन (मूल्यहास) की गणना आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 'स्ट्रेट लाइन मेथड' से पूरे साल के लिए 33.33% की दर से की जाती है, जिसमें बची हुई कीमत (रेसिडुअल वैल्यू) को शून्य माना जाता है। मोबाइल फ़ोन की उपयोगी अवधि 2 साल मानी जाती है और डेप्रिसिएशन 'स्ट्रेट लाइन मेथड' से पूरे साल के लिए कंपनीज़ एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है, जिसमें बची हुई कीमत शून्य मानी जाती है।
- ख) अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाई जाती है, तो उसे 'फर्नीचर और फिक्स्चर' में रखा जाता है; वरना इलेक्ट्रिक फिटिंग को 'प्लांट और मशीनरी' में रखा जाता है।

13.2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 12 – सरकारी अनुदान

- क) साल के दौरान किसी खास फिक्स्ड एसेट (स्थायी संपत्ति) की खरीद पर अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिलती है, तो उसे उस एसेट की लागत से घटा दिया जाता है और डेप्रिसिएशन (मूल्यहास) उस एसेट की घटी हुई कीमत पर लगाया जाता है।
- ख) इस साल के दौरान, कुछ फिक्स्ड एसेट्स/सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरबीआई) से ₹ 44,28,568.47 की ग्रांट मिली/मिलने वाली है।

13.3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 15 – कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

डिफाइंड बेनिफिट प्लान

कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड स्कीम और लीव एनकैशमेंट 'डिफाइंड बेनिफिट प्लान' हैं। बैंक को श्री/सुश्री बी. चटर्जी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से 31.03.2026 तक की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की एक्चुअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट मिली है। बैंक ने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए अपना फंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास इन्वेस्ट किया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए	
		उपहार	नकदीकरण छोड़े
1	मार्च 2026 के लिए एक्चुअरियल मूल्यांकन के अनुसार दायित्वों का वर्तमान मूल्य	50.97	41.14
2	लाइफ़ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और SBI लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ फंड वैल्यू।	45.85	44.09
3	बैलेंस, यानी कमी	5.12	शून्य
4	बैंक ने क्यू 1, क्यू 2 और क्यू 3 में पहले ही प्रोविज़न बना लिए हैं।	3.68	4.32
5	मार्च 2026 को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में प्रावधान किया गया।	1.44	शून्य
6	कमी	शून्य	शून्य

क्र.सं.	विवरण	उपहार	नकदीकरण छोड़े
		31.03.2026	31.03.2026
1.	छूट की दर	7.58 %	7.58 %
2.	अपेक्षित रिटर्न की दर	7.00 %	7.00 %
3.	वेतन में बढ़ोतरी की दर	6.00 %	6.00 %
4.	संघर्षण दर	5.00 %	5.00 %
5.	इस्तेमाल किया गया तरीका	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	
6.	01.05.2025 से 31.03.2026 तक भुगतान किए गए लाभ (राशि ₹ करोड़ में)	9.22	4.54

क. वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) ने धारा 23A की उप-धारा (1) [S.O. 1628(E)] के तहत गैज़ेट नोटिफिकेशन जारी करके, जे एंड के ग्रामीण बैंक और एल्लाकाई देहाती बैंक (दोनों ट्रांसफरर आरआरबी)का विलय करके 'जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक' (ट्रांसफररी आरआरबी)नाम का एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का आदेश दिया है, जो 1 मई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में बताई गई राष्ट्रीय स्तर की मानक प्रक्रिया के पॉइंट नंबर 11 के अनुसार, सभी ट्रांसफरर बैंकों का विलय की तारीख यानी 30.04.2025 को विशेष ऑडिट किया गया है।

ख. इसके अलावा, महंगाई राहत (छमाही आधार पर) में संशोधन और जेकेजीबी तथा ईडीबी के विलय के कारण पेंशन देनदारी में होने वाली संभावित बढ़ोतरी और खर्च को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में मई से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 24.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
डीआर दर में बदलाव और पेंशन की कमी (वैल्यूएशन के अनुसार) के कारण प्रावधान किया गया है। बेसिक पेंशन में बदलाव, जेकेजीबी और ईडीबी के विलय, फंड के खर्च (पेंशन और कम्प्यूटेशन के रूप में) और कम औसत रिटर्न आदि के कारण देनदारी बढ़ गई है।	मई-जून 2025	4.10
	Q2	5.50
	Q3	9.22
	Q4	5.80
	कुल	24.62

क. इसके अलावा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या F.NO. 8/4/2024-RRB (दिनांक 03.10.2024) के ज़रिए आरआरबी में 01.11.1993 से पेंशन योजना लागू करने (जो पहले 01.04.2018 से लागू थी) और पात्र पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को इससे जुड़े बकाया का भुगतान करने की मंजूरी दी थी। इसी के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा तय समय-सीमा का पालन करते हुए, पहले के जेकेजीबी और पहले के

ईडीबी ने पेंशन का बकाया पहले 20%, फिर 30% और बाद में 50% की दर से जारी किया है। पेंशन के कुल बकाया भुगतान की राशि पहले के जेकेजीबी के मामले में ₹44.42 करोड़ और पहले के ईडीबी के मामले में ₹18.70 करोड़ है।

- ख.** इसके अलावा, नाबार्ड, मुंबई ने अपने पत्र संख्या NB. HO.IDD.RRB/172918/(316-RRB Policy)/2024-25 (दिनांक 26.03.2025) के माध्यम से सूचित किया है कि आरबीआई ने आरआरबी को पेंशन में संशोधन के कारण होने वाले खर्च को पांच साल की अवधि में बांटकर (परिशोधन करना) दिखाने की अनुमति दी है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होगी, बशर्ते हर साल कुल पेंशन देनदारी का कम से कम 20% खर्च के तौर पर दिखाया जाए। बैंक द्वारा बांटे गए (परिशोधन करना) खर्च का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	विवरण	पूर्ववर्ती जेकेजीबी (करोड़ में)	पूर्ववर्ती ईडीबी (करोड़ में)
1.	पेंशन की कुल देनदारी को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करके पांच वर्षों में अमॉर्टाइज़ (धीरे-धीरे चुकाया) किया जाएगा।	44.42	18.70
2.	मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पेंशन देनदारी को अमॉर्टाइज़ किया गया (जो कुल पेंशन देनदारी का 1/5 हिस्सा है)।	8.88	3.74
3.	अप्रैल 2025 के लिए पेंशन देनदारी को अमॉर्टाइज़ किया गया।	0.74	0.31
4.	पेंशन देनदारी को मई 2025 से मार्च 2026 तक अमॉर्टाइज़ किया जाएगा।	11.57	
5.	पेंशन देनदारी को अगले 03 वित्तीय वर्षों में अमॉर्टाइज़ किया जाएगा।	37.88	

ग. लंबित वेतन संशोधन और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट/9वें जॉइंट नोट के तहत बकाया वेतन संशोधन भत्तों और अन्य भत्तों (जैसे नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में एम्प्लॉयर का योगदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10% से बढ़ाकर 14% करना, फिक्स्ड पर्सनल पे (एफपीपी) और लीव फेयर कंसेशन ट्रेवलिंग अलाउंस (एलएफसी टीए)) के भुगतान के लिए ₹1.82 करोड़ का प्रावधान किया है।

13.4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 17 – सेगमेंट रिपोर्टिंग

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अनुसार, बैंक बिज़नेस सेगमेंट को प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट और ट्रेज़री को सेकेंडरी रिपोर्टिंग सेगमेंट के तौर पर मानता है।

01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान, बिज़नेस सेगमेंट से रेवेन्यू ₹ 462.57 करोड़ (ब्याज से आय और अन्य आय) था और ट्रेज़री से रेवेन्यू ₹ 256.35 करोड़ था।

चूंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

13.5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 18 – संबंधित पक्ष का खुलासा

i) संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण इस प्रकार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

आइटम/संबंधित पक्ष	जे एंड के बैंक लिमिटेड (प्रायोजक बैंक)
31.03.2026 तक बकाया	
उधारी	15.77*
जमा	2224.36
अन्य देनदारियां (जे एंड के बैंक द्वारा निवेश)	345.92
अग्रिम	शून्य
निवेश	शून्य
अन्य परिसंपत्तियां	शून्य
01.05.2025 से 31.03.2026 तक अधिकतम बकाया राशि	
उधारी	15.77*
जमा	2304.91
अन्य देनदारियां (जे एंड के बैंक द्वारा निवेश)	345.92
अग्रिम	74.50
निवेश	शून्य
अन्य परिसंपत्तियां	शून्य
01.05.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान	
ब्याज आय	130.99
ब्याज व्यय	0.78
से खरीदी गई स्थायी संपत्तियां	शून्य
स्थायी संपत्तियां इन्हें बेची गईं	शून्य
दी गई सेवाओं से आय	शून्य
स्पॉन्सर बैंक से सेवाएँ प्राप्त करने का खर्च	1.09

* टीयर II परपेचुअल बॉन्ड में निवेश के रूप में, पूर्व जे एंड के ग्रामीण बैंक और पूर्व एल्लाकाई देहाती बैंक द्वारा सीबीएस लागू करने के लिए स्पॉन्सर बैंक का 50% हिस्सा ₹15.77 करोड़ है ।

आइटम/संबंधित पक्ष	श्री संजय गुप्ता (चेयरमैन)
वह अवधि जिसके दौरान पद धारण किया गया	01.05.2025 से 31.03.2026 तक
निवेश	शून्य
प्राप्त ब्याज/कमीशन	शून्य
सैलरी (राशि करोड़ में)	₹ 0.37

ii) पारिश्रमिक का खुलासा

स्पॉन्सर बैंक से डेपुटेशन पर आए चेयरमैन, जनरल मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण
 (राशि करोड़ में)

	अध्यक्ष	महाप्रबंधक	अन्य कर्मचारी
वेतन और भत्ते	₹ 0.37	₹ 0.98	₹ 1.29
कुल	₹ 0.37	₹ 0.98	₹ 1.29

13.6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 19 - लीज़

लीज या किराए पर ली गई प्रॉपर्टीज़ को बैंक की मर्जी से रिन्यू या कैंसिल किया जा सकता है। बैंक द्वारा की गई लीज़ एक तय समय के लिए होती है, लेकिन इसमें लीज़ की अवधि के दौरान भी, तय महीनों का लिखित नोटिस देकर लीज़ को खत्म करने का विकल्प होता है। ऑपरेटिंग लीज़ के लिए चुकाया गया लीज़ किराया उस साल के प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में खर्च के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे वह संबंधित होता है। 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान माना गया लीज़ किराया ₹5.86 करोड़ है।

13.7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस-22 के अनुसार इनकम टैक्स का हिसाब-किताब किया है और उसी के मुताबिक डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मान्यता दी गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

समय का अंतर	स्थगित कर संपत्ति (डीटीए)	स्थगित कर दायित्व (डीटीएल)
संपत्तियों पर मूल्यहास	-	-
आगे ले जाए जाने वाले नुकसान और अवशोषित न किए गए मूल्यहास	-	-

नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स : ₹ 85.90 करोड़

वर्ष के लिए स्थगित कर का प्रभाव : ₹ शून्य

13.8 शेयर आय

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026
साल के दौरान शुद्ध लाभ	-28.35
शेयर की संख्या	98.84
प्रति शेयर आय	-0.29

13.9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 28 - एसेट्स का इम्पेयरमेंट (संपत्तियों के मूल्य में कमी)

बैंक की संपत्ति में मुख्य रूप से वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं, जो एस 28-इम्पेयरमेंट ऑफ़ एसेट्स (संपत्तियों की मूल्य-हानि) के दायरे में नहीं आती हैं। बैंक के मैनेजमेंट का मानना है कि उक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, उसकी गैर-वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में कोई मूल्य-हानि (इम्पेयरमेंट) नहीं हुई है।

13.10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 29 - आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों के लिए प्रावधान

शेड्यूल 12 के अनुसार दिखाई गई हर कैटेगरी के तहत संभावित देनदारियों के मामले में, मैनेजमेंट की राय है कि इनके निपटान के लिए किसी भी तरह के भुगतान की संभावना बहुत कम है, इसलिए इन देनदारियों को पूरा करने के लिए किसी प्रावधान की ज़रूरत नहीं है।

13.11 फ्लोटिंग प्रावधानों का विवरण / उपयोग (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक
प्रारंभिक जमा	शून्य
वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त कार्य	शून्य
वर्ष के दौरान किया गया आहरण	शून्य
जमा शेष	शून्य

14. अन्य खुलासे

14.1 बैंक को 01-05-2025 से 31-03-2026 की अवधि के दौरान ₹ 28.35 करोड़ का नुकसान हुआ है और 31 मार्च 2026 तक बैंक का कुल जमा नुकसान ₹ 747.13 करोड़ है। 31 मार्च 2026 को सीआरएआर 3.66% था, जबकि रेगुलेटरी नियम के अनुसार कम से कम 9% की ज़रूरत होती है।

14.2 इंटर-बैंक / इंटर-ब्रांच ट्रांज़ैक्शन, ब्रांच सस्पेंस, सिस्टम सस्पेंस, क्लियरिंग और विविध जमा का मिलान / समायोजन लगातार चल रहा है। मैनेजमेंट की राय में, यदि कोई एंट्री बिना मिलान के रह जाती है, तो वित्तीय विवरणों पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा और मिलान होने पर उसका हिसाबकिताब / समायोजन कर लिया जाएगा।

14.3 सीमा समाप्त होने के बाद भी जमा राशि पर ब्याज

बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, समय सीमा पूरी होने के बाद भी जमा राशि पर ब्याज देने की नीति का पालन करता है। इसके तहत, ओवरड्यू अवधि के लिए सेविंग्स बैंक रेट या मैच्योर हो चुकी टर्म डिपॉज़िट पर तय ब्याज दर—इनमें से जो भी कम हो—वह ब्याज दिया जाता है।

14.4 किसानों को ब्याज सब्सिडी

नाबार्ड मुंबई के सर्कुलर नंबर 193/DoR-37/2024 (रेफरेंस नंबर NB. DoR/9060-9090/IS-1/2024-25, तारीख 03.06.2024) के तहत, समय पर भुगतान करने वाले 35,549 किसानों को ₹ 6,85,31,187 (छह करोड़ पचासी लाख इकतीस हजार एक सौ सत्तासी रुपये) की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी (इंसेंटिव के तौर पर) दी जाएगी। इन किसानों ने एसटी-एसएओ के तहत फसल ऋण/केसीसी लिया था। इस राशि का दावा अभी भारत सरकार से किसान ऋण पोर्टल के ज़रिए किया जाना बाकी है।

14.5 जे एंड के और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेशों में अशांति से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए पुनर्वास पैकेज-2025

बैंक ने इस पैकेज के तहत ₹ 3.54 करोड़ की राशि वाले 224 खातों को पुनर्जीवित किया।

14.6 ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस -2008)

'एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम 2008' (एडीडब्ल्यूडीआरएस-2008) के तहत ₹22.84 लाख का क्लेम नाबार्ड/भारत सरकार के पास लंबित है।

14.7 निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

आरबीआई सर्कुलर नंबर RPCD.CO.RRB.BC.No./74/03.05.33/2013-14 दिनांक 07 जनवरी, 2014 के अनुसार, बैंक ने 01 अप्रैल, 2014 से एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में एमटीएम मानदंड लागू किए हैं। बैंक ने 31.03.2026 को एसएलआर की पूरी पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी 'हेलड टू मेच्योरिटी', 'उपलब्ध बिक्री के लिए' और 'हेलड फॉर ट्रेडिंग', और एमटीएम श्रेणी के तहत एसएलआर होल्डिंग आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। इसलिए, प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

14.8 सस्पेंस अकाउंट में रखी गई अन-रियलाइज़्ड (प्राप्त न हुई) ब्याज राशि के संबंध में खुलासे

31.03.2026 तक, एनपीए पर ₹377.32 करोड़ का ऐसा ब्याज जो अभी मिला नहीं है उसे सस्पेंस अकाउंट में रखा गया है और प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया गया है।

14.9 सहायक बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,09,33,064.46 (एक करोड़ नौ लाख तैंतीस हजार चौंसठ रुपये और छियालीस पैसे) के खर्च का दावा किया है। यह खर्च बैंक में लागू की गई विभिन्न टेक्नोलॉजी पहलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेवाएँ देने में आया है। इस साल के दौरान इस रकम को 'अन्य खर्च' के मद में शामिल किया गया है।

14.10 प्रोविज़न कवरेज रेश्यो (पीसीआर)

31 मार्च 2026 को बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेश्यो (पीसीआर) 68.23% है, जबकि 30 अप्रैल 2025 को यह 70.94% था।

14.11 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत एमएसएमई से जुड़ी जानकारी के खुलासे के संबंध में, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के सप्लायर्स को किए गए भुगतान, सामान या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या मानी गई स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं हुए हैं; यह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 (2006 का 27) की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार है।

14.12 लेखा नीतियां (अनुसूची 17) और खातों से संबंधित टिप्पणियां (अनुसूची 18) इन खातों का अभिन्न अंग हैं।

ह/-
संजय गुप्ता
 अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
 निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
 निदेशक

ह/-
शुभ्रता घोष मौलिक
 निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
धर्म राज एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन : 014461एन

(सीए सुनील चौधरी)
 साथी
 एमआरएन : 508018

स्थान : जम्मू
 दिनांक : 24.04.2026

कैश फ्लो स्टेटमेंट

		(₹ 000 हटा दिए गए हैं) अवधि समाप्त 01.05.2025 से 31.03.2026 तक
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	1,296,240
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(68,295)
ग.	फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो	-
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	1,227,945
घ.	साल की शुरुआत में नकद और नकद के बराबर की राशि	23,683,321
ड.	साल के अंत में नकद और नकद के बराबर की राशि	24,911,266
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	
I	टैक्स के बाद शुद्ध लाभ	(283,493)
	आयकर के लिए प्रावधान	-
	स्थगित कर संपत्ति	859,030
	विलम्बित टैक्स देयता	-
	कुल (I)	575,537
II	समायोजन:	
	स्थायी संपत्तियों पर मूल्यहास	64,173
	एनपीए अग्रिमों के लिए प्रावधान	235,615
	निवेशों का परिशोधन	
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-
	स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	-
	कुल (II)	299,788
	ऑपरेटिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बदलाव से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट [कुल (I) + (II)]	875,324
III	ऑपरेटिंग एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बदलाव	
	जमा राशि में वृद्धि (कमी)	6,555,484
	उधार में वृद्धि (कमी)	755,213
	निवेश में वृद्धि (कमी)	186,857
	अग्रिमों में वृद्धि (कमी)	(5,580,627)
	अन्य देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	(1,236,245)
	अन्य संपत्तियों में वृद्धि (कमी) (प्री-पेड टैक्स के अलावा, जिसमें संचित नुकसान शामिल नहीं हैं)	(259,766)
	कुल (III)	420,916
	ऑपरेशन्स से उत्पन्न नकद [कुल (I) + (II) + (III)]	1,296,240
	घटाएं : चुकाया गया टैक्स (एडवांस इनकम टैक्स और TDS)	-
	ऑपरेटिंग गतिविधियों से नेट कैश	1,296,240

ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	
क.	स्थायी संपत्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर)	(68,295)
	कुल	(68,295)
ग.	फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो	
क.	पूँजी	-
ख.	शेयर पूँजी जमा	-
ग.	लाभांश/निकासी की गई	-
	कुल (क...ग)	-
घ.	साल की शुरुआत में कैश और कैश के बराबर की रकम	
क.	मेरे पास नकदी है	114,643
ख.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेंस	3,155,160
ग.	बैंकों के पास बैलेंस और 'मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस'	20,413,518
	कुल (क...ग)	23,683,321
ड.	साल के अंत में नकद और नकद के बराबर की राशि	
क.	मेरे पास नकदी है	90,375
ख.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेंस	2,489,695
ग.	बैंकों के पास बैलेंस और 'मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस'	22,331,196
	कुल (क...ग)	24,911,266
नोट	1. ब्रैकेट में दिए गए सभी आंकड़े "कैश आउटफ्लो" (नकद निकासी) को दर्शाते हैं। 2. चुकाए गए प्रत्यक्ष करों को ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न माना जाता है और उन्हें निवेश और फाइनेंसिंग गतिविधियों के बीच अलग-अलग नहीं किया जाता है।	

ह/-
संजय गुप्ता
अध्यक्ष

ह/-
सुनील कुमार
निदेशक

ह/-
ए. के. ठाकुर
निदेशक

ह/-
शुभव्रता घोष मौलिक
निदेशक

हमारी आज की तारीख की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

धर्म राज एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 014461एन

(सीए सुनील चौधरी)
साथी
एमआरएन : 508018

स्थान : जम्मू
दिनांक : 24.04.2026

शाखाओं की सूची

जिला : अनंतनाग	बोटिंगो	ट्रेगपोरा
ऐश्मुक्राम	चंदिलोरा	तुजर शरीफ
अकूड़ा	डोबिवान	उमर मार्केट
अनंतनाग	डोरू	उरी
अंछिडोरा	जिंगल	वगुरा
बतेंगो-खानाबाल	गोषु बग	वगुब सोपोर
बिडुर	हांजीवारा	वाइलू कालपोरा
बिजबेहरा	हैदराबेग	वरपोरा
बूचू	हैगम	वुतर्गम
डायलगाम	कचुमुकम	जिला : बडगाम
डोरू	काकर हमाम	बदगाम
हार्ड तोरू	कमलकोटे	बीरवां
कनिलवान	कानिसपोरा	हंजूरा
खिरम	करणक-शिवन	कनिहामा
कुल्लर	खानपथ	खैग
लारुन गंगिपोरा	खानपोरा	काल पोरा
सालिया	खोरे (शेराबाद)	क्रमशेर
उतेरसू	कुंजार	ओम्पोरा
वेस्सू	मीर गुंड	रैथन
वैलू	नूरबाग (मॉडल टाउन)	वडवान
यॉरखोशिपोरा	मोहल्ला जदीद	वात्रा हॉल
जिला : बांदीपोरा	नेहलपोरा	जैनीगम
अरागम	नई कॉलोनी सोपोर	जिला : डोडा
अरिंदरदपोरा	ओगमाना	बढ़ेर्वा
अष्टिंगो	ओथुरा	डोडा
बंदीपोरा	पालहालान	जाथेली
दावर गुरेज	पठला	प्राणु
हाजिन	पाटन	जिला : गांदरबल
नदीहाल	पिरनियां	सदर कोटे
नौगाम सोनवारी	प्रिंगल	डाब
कोयल मुकाम	रेबन	गुंड (कंगन)
सुम्बल	संग्रामा	लार
वातपोरा कुझिपोरा	सीर जागीर	मनीगाम
जिला : बारामुल्ला	शरिपोरा (बंगिल)	मारगुंड
अग्रिकलान	शिरीन (गुंटमुल्ला)	पांडेच
आज़ादगुंज	सिंहपोरा कालान	शेरपतिरी
बिज़हामा	सोपोर (मेन बाजार)	वाकुरा
बुमई	टांगमार्ग	जिला : जम्मू
बोनियार	तिलगाम	अखनूर

अर्निया	परगवाल	मंडली
बड़ियल ब्राह्मणा	फलाइयाँ	मार्त नागरोटा (प्रेठा नागरोटा)
बाहु फोर्ट	रिहाल धमलियाँ	नगरी पारोले
बंटालाब	आरएस पुरा	पल्ली मोड़
बासपुर	साई	पर्नल्ला
बटेरा	संग्रामपुर	फैंटर
भलवाल	सरोरे	राजबाग
बिष्णा	सत्रायन कैप	शेरपुर बाला
तालाब तिल्लो बोहरी	शक्ति नगर	जिला : किश्तवार
बृज नगर	सिंबल कैप	दूल
चकरोई	सिंबल मोड़	किश्तवार
छत्री हिम्मत	सुइंसार	क्रालपोरा
छाथा	भारत नगर (तालाब तिल्लो)	जिला : कुलगाम
चौकी चौरा	चारिसवैल	अरेह
डब्बेहार	चेक चेंजर्वेन	अरवानी
देओली	कुंजवानी	चौगाम
दिगियाना	लौअर रूप नगर	देवसर
गजानसु	पुरखू	कड्डुर
घो मनहासन	रायपुर सत्वरी	केलम
जंदराह	तालाब खतिका	खरबतपोरा
जीवन नगर	ताली मोड़	कुलगाम
जोरियन	टोमल आनंद नगर	मुनाद गुप्फ्रन
कालू चक	टोपे शेरखानिया	पहलू
कल्याणपुर	जगती	कस्बा खोल्ल
कन्हाल	जिला: कारगिल	तारीगाम देवसर
खेड़ी	कारगिल	यारीपोरा
खौर	जिला : कठुआ	जिला : कुपवाड़ा
किर्पिंड	बारवाल	बागी बाला
कोटली झाजार	भुंड	चौकिबल
कोटली मियाँ फतेह	चड़वाल	चुगल
लक्ष्मी नगर, सरवाल	चान ग्रान	ड्रैगमुल्ला
मैरा	कॉलेज रोड कठुआ	गुलगाम
मलिक मार्केट	दयाला चक	हैडवारा
मिश्रीवाला	डुगन	कलामाबाद
मुठी	गुजरू नागरोटा	कंडी
नगरोटा	हरिपुर मोड़	खान्तीपोरा
नर्दी	हातली	खुमरयाल
नरवाल	जखबर	क्रालगुंड
पल्लनवाला	कठुआ	कुपवाड़ा
पालौरा	महानपुर	लडरवान (कवारी)

लालपोरा
नटनुसा
नवगाम
पुहरुपथ
पोशवान
टैड
तारातपोरा
विलगाम
यूनिस व्हिपोरा
जिला : लेह
चुचोट यकमा
लेह
स्पीतुक
जिला : पूंछ
बफलियाज़
चंदक
धरगलून
झुलस
मंडी
मांकोट
मेंधार
पूछ
सुरनकोट
जिला : पुलवामा
चाकुरा
डड्सारा
हावल
काकापोरा
लाजोरा
लेथपोरा
लिटर
लोर्घम
मलंगपोरा
मोरण
पुलवामा
शेरशाली
थाब
जिला : राजौरी
बगनौटी

बजाबैन (कांगड़ी)
बवानी
छत्री परत
चिंगास
दरहल मल्कान
देवक
ढांगरी
धर्मसाल
डूंगी (ब्राह्मण ससककोटे)
खेओरा
लाम
मुंजा कोट
नौशेरा
पलम
राजौरी
शाहदरा
सियालसुई
सिओट
सोलकी
सुंदरबनी
टाटापानी
त्रियाथ
जिला : रामबन
बनीहल
चंद्रकोटे
मैत्रा
जिला : रियासी
बाघा
कटरा
रियासी
जिला : सांबा
घाघवाल
गुराह सलाथियां
जाख
कारथोली
मंडी साड्वाली
नाध
नंदपुर
पांगदौर

पुरमंडल
रामगढ़
राया
सांबा
स्मैलपुर
सुमब
स्वखा मोर
स्मैलपुर
जिला : शोपियन
हार्मन
कपरें
केलर
पिंजुराह
जिला : श्रीनगर
पांजी नर
शालतेंग
बुकपोरा
बल्हामा
बाटापोरा
बेमिना
गुप्ता-गंगा
हैदपोरा
हरवान
लवापोरा
नौगाम
पलापोरे
हज़ूरी बाग
ज़िवान
जिला : उधमपुर
चाक मोर
चेनानी
जिब-ठाठी
क्रीमाची
मलहर्द
राथियन (एक्सटेंशन काउंटर)
सुंदरानी
उधमपुर



Digital and Financial Awareness Camp organised under DFS Saturation Campaign by Jammu and Kashmir Grameen Bank at village Swankha Morh Jammu in presence of Mr. Chandrashekhar Azad, Regional Director RBI, Jammu.

Digital and Financial Awareness camp organised by Jammu and Kashmir Grameen Bank at village Nardi.



Jammu and Kashmir Grameen Bank conducted Digital and Financial Awareness camp in coordination with NABARD under Swachhata Hi Sewa 2025 for students at Govt. Girls High School, Kaloyen, RS Pura.



Plantation Drive conducted by Jammu and Kashmir Grameen Bank under the Swachhata Hi Seva Campaign 2025, in the presence of Mr. Raja Sajad Hussain Khan, General Manager (Kashmir), at Joggers Park, Rajbagh, Srinagar

Commemoration of 150 years of 'Vande Mataram' observed at Jammu and Kashmir Grameen Bank, Head Office Narwal, Jammu in presence of Mr. Sanjay Gupta, Chairman



Cleanliness Drive conducted by Jammu and Kashmir Grameen Bank under Swachhata Hi Seva Campaign 2025



जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक JAMMU AND KASHMIR GRAMEEN BANK

Scheduled Bank Owned by Government

H. O.: Narwal (Near Fruit Complex), Jammu (J&K)

Website : www.jkgrameen.bank.in